

LOK SABHA

DEBATES

(Sixth Series)

Vol. VI

[July 29 to August 8, 1977/Sravana 7 to 17, 1899 (Saka)]



Second Session, 1977/1899 (Saka)

(Vol. VI contains Nos. 41-48)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

CONTENTS

No. 47, Saturday, August 6, 1977/Śravana 15, 1899 (Saka)

	COLUMNS
Papers laid on the Table	1—5
Committee on Absence of Members from the Sitzings of the House— Minutes	5
Assent to Bills	6
Re. Business of the House.	6—10
Salary and Allowances of Leaders of Opposition in Parliament Bill— <i>Introduced.</i>	12
Matters under Rule 377	13—22
Discussion Re. Employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Services & Motion re. Twentieth, Twenty-First and Twenty-Second Reports of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes—	23—162
Shri Yuvraj	23—29
Dr. Ramji Singh	29—35
Shri Shyam Sunder Gupta	36—40
Shri B. Rachaiah	40—46
Shri Chand Ram	47—54
Shri Ramji Lal Suman	54—62
Prof. Dilip Chakravarty	62—67
Shri Giridhar Gomango	67—69
Shri Ram Vilas Paswan	69—76
Shri Hopingstone Lyngdoh	76—80
Shri Ram Awadhesh Singh	80—87
Shri M. N. Govindan Nair	87—90
Shri Shiv Narain Sarsonia	90—98
Shri Lalji Bhai	98—102
Shri P. M. Sayeed	102—110

(ii)

	COLUMNS
Shri Lahanu Shidava Kom	107—111
Shri Raj Narain	111—130
Shri Basant Singh Khalsa	130—135
Shri B. Shankaranand	135—141
Shri P. V. Periasamy	141—143
Shri B. C. Kamble	143—146
Shri N. Sreekantan Nair	146—149
Shri A. K. Roy	149—151
Shri Ram Kanwar Berwa	151—154
Shri G. S. Reddi	154—155
Chaudhari Hari Ram Makkasar	155—156
Shri Phirangi Prasad	156—162
Statement Re. Inclusion of Sholapur Division in Central Railway—	
Prof. Madhu Dandavate.	35—36

LOK SABHA DEBATES

1

LOK SABHA

Saturday, August 6, 1977/Sharada 15,
1899 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the
Clock

[MR. SPEAKER in the Chair]

PAPERS LAID ON THE TABLE

EXPLANATORY MEMORANDUM RE CONSTRUCTION OF A FARM HOUSE BY SHRIMATI INDIRA GANDHI, HOTELS, BOARDING HOUSES ETC (BUILDING STANDARDS) REGULATIONS, 1977 & SECOND REPORT (1975-77) OF DELHI URBAN ARTS COMMISSIONS

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKSHI) I beg to lay on the Table—

(1) Explanatory Memorandum (Hindi and English versions) regarding construction of a farm house near Mehrauli by the former Prime Minister Shrimati Indira Gandhi, together with copies of building plans of the said farm house [Placed in library See No LT-956/77]

(2) A copy of the Hotels, Boarding Houses, Guest Houses, Hostels, Lodging Houses and Motels (Building Standards) Regulations, 1977 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O. 211 in Gazette of India dated the 15th January, 1977 under section 58 of the Delhi Development Act, 1957 [Placed in library See No. LT-957/77]

(3) A copy of the Second Report (1975-77) of the Delhi Urban Art Commission, New Delhi, under section 19 of the Delhi Urban Art Commission Act, 1974 (Hindi, and English Versions) [Placed in library See No LT-956/77]

SHRI HARI VISHNU KAMATH (Hoshangabad). With regard to item 1(1)—Explanatory Memorandum (Hindi 1912 LS—1.

2

and English versions) regarding construction of a farm house near Mehrauli by the former Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi, together with copies of building plans of the said farm house, I am glad and I am thankful to you that as per your firm directive that it should be laid on the Table and not in the Library, it has been laid on the Table today.

On the last day when you gave your firm directive the Minister said in answer to our question Mr. Bora also took part, the question was whether it was in a private green belt or not he said it was definitely not in private area. In answer to my earlier question he had said on 25th July that she purchased the land from private parties—Shri Dharam Singh & Sanwalia S/o Shri Bakhtawar, resident of Mangalpur, Delhi Cinti and Shri Bhola S/o Shri Ramji Lal of Sultanpur. These are the parties from whom she bought land.

This is when you gave your peremptory directive.

MR. SPEAKER It is unnecessary.

SHRI HARI VISHNU KAMATH : But for your directive Government would have been dilly dallying in this matter. On that day he said in fact "I will try my best to obtain an estimate from the Delhi Municipal Committee and it will be placed on the Table of the House". But what has been placed to-day is only the plan and not the estimate.

MR. SPEAKER He has written to me to say that Delhi Municipal Committee has no material.

SHRI HARI VISHNU KAMATH : I think tell the House (Interrupts)

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : This is very important. I have seen the bye laws. The sanction of this Plan is against the bye laws and under pressure by Mr. Gandhi I would like the hon. Minister to go into this—whether this Plan has been sanctioned properly or against the rule? I have seen the building rules. I tell the Minister it is against the rules and the proper enquiry should be made. If it is against the rules, the construction should be stopped.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour) : Last time when I came before the House I made two categorical statements in order to get further correct information from the Minister. He has not come out so far. These are—

1. Whether the building is being erected in an area to be preserved as a green belt or not? No construction is allowed on the green belt.
2. Whether the total land ceiling in that particular area is 500 sq. meter or not? If so, how much land building is going to consume and how much are the adjoining areas under the ownership of Mrs. Gandhi? Whether the law prevalent has been violated or not and whether the building plan was sanctioned with lawful authority or under pressure?

MR. SPEAKER : You will please collect all the information and lay it on the table of the House.

SHRI SIKANDAR BAKHT : I have got only one information which I have to collect and give. I have already said that I will try my best to obtain the estimates also. As I have already informed you, the Municipal Corporation says that they do not have any legal authority to go into that house and make an estimate of the house. Therefore, I have handed over the plan to some of the engineers and it is they who have to prepare estimates. I will give also the estimate. The plan is regularly sanctioned. And so, there is nothing further to add to that.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : You said that you would make an enquiry. I challenge the Minister that the building plan has been wrongly sanctioned under the pressure of the then Prime Minister. You should make an enquiry. This is a farm. At the most a small house can be constructed in that area. A big house has been constructed there. (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : I would request the Hon. Members to get up one at a time even if the rules are broken.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Sir, you will kindly direct the Minister because that was not taken up at the request of the Minister that he would give the estimates and the plan of that building. You please direct him to find out whether it is according to rules.

MR. SPEAKER : You will kindly look into the matter whether that is according to rules or not.

SHRI SIKANDAR BAKHT : Yes, Sir.

MR. SPEAKER : Shri Mohan Dharia.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : Before that, I rise on a point of order.

PROF. DILIP CHAKRAVARTY : (Calcutta South) : Sir, He says he is looking into it. But several hon. Members mentioned that permission was given violating the rules.

MR. SPEAKER : He said he is looking into the matter. Now, Shri Mohan Dharia to lay the paper on the table.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : Sir, what is he going to lay unless the Members are supplied with the gazette notifications under reference? We must know what the gazette notification is and we should see what is done is proper or improper. We were getting the gazette copies earlier. They come to us three months after the date of publication. I have written to the Manager, Publications, that we should get gazettes promptly. That has not worked.

How can these be laid unless the Members say that they have received the gazettes. Unless we receive the gazettes how can we judge what is being laid on the table of the House is proper or improper. You will kindly give your ruling on this.

They are not giving the gazettes in time.

MR. SPEAKER : I am told that the gazette is supplied to the Library.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : I was getting it from 1967.

MR. SPEAKER : We shall see that the Members, who ever want the gazettes, are supplied with gazette copies.

श्री रामधारी शास्त्री (पबरीना) : मेरा निवेदन है कि हर एक मेम्बर को गजेट की प्रति दी जाये ।

SHRI JYOTIRMOY BOSU : Sir, I want to assist you. The Members should get the gazettes immediately and only after we receive them, he should be allowed to lay it and not earlier.

MR. SPEAKER : I shall see that the Member gets the copy of the gazette in time.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : Much obliged. Thank you, Sir.

MR. SPEAKER : Now, Shri Mohan Dharla to lay the paper.

CENTRAL SILK BOARD (AMDT.) RULES, 1977 ANNUAL ADMINISTRATION REPORTS OF TEA BOARD, CALCUTTA FOR 1974-75 AND 1975-76 & AUDIT REPORT ON THE ACCOUNTS OF THE TEA BOARD FOR 1975-76

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharla) : I am not responsible for this delay. It was the responsibility of the earlier Government. Sir, with your permission, I beg to lay on the Table—

- (1) A copy of the Central Silk Board (Amendment) Rules, 1977 (Hindi and English versions) published in Notification No. 948 in Gazette of India dated the 23rd July, 1977, under sub-section (3) of section 13 of the Central Silk Board Act, 1948. [Placed in Library. See No. LT-959/77.]
- (2) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Tea Board, Calcutta for the year 1974-75.
- (3) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Tea Board, Calcutta, for the year 1975-76.
- (4) A copy of the Audit Report (Hindi and English versions) on the Account of the Tea Board, Calcutta for the year 1975-76 along with the statement of Accounts. [Placed in Library. See No. LT-960/77.]

11:09 hrs.

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

MINUTES

SHRI NATWARLAL PARMAR (Dhindhuka) : I beg to lay on the Table Minutes of the sittings of the Committee on Absence of Members from the sittings of the House held on the 6th and 28th July, 1977.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : (Diamond Harbour) : Sir, it is the convention that there should be only two names on the list. I find that there are three names here.

MR. SPEAKER : Hereafter we will try to do it according to rules.

11:20 hrs.

ASSENT TO BILLS

SECRETARY : Sir, I lay on the Table following five Bills passed by the Houses of Parliament during the current session and assented to since a report was last made to the House on the 29th July, 1977:—

1. The Oil and Natural Gas Commission (Amendment) Bill, 1977.
2. The Insecticides (Amendment) Bill, 1977.
3. The Nagaland Appropriation (No. 2) Bill, 1977.
4. The Cardamom (Amendment) Bill, 1977.
5. The Motor Vehicles (Amendment) Bill, 1977.

11:20½ hrs.

RE. BUSINESS OF THE HOUSE

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar) : Sir, I have a point of order. My point of order is that in the revised list of business circulated today, there is no mention about the Minister of Parliamentary Affairs making a statement of business for next week. Normally, when there is no session on Saturday, on Friday the Minister of Parliamentary Affairs gives a statement of the business for the next week. But I do not see any statement today coming from the Parliamentary Affairs Minister as to what is the business for the next week. Without that notice how can we know what is the business for the next week.

MR. SPEAKER : There is only one day left, that is, Monday. We have sent advance notice to all of you about it. Of course, technically, you are right. But substantially, if there has to be any compliance, we have sent notice today.

PROF. P. G. MAVALANKAR : I will not stand on technicalities. But it so happens that for next week, there is only one day. My point is that in the absence of any statement about the business next week coming from the hon. Minister we do not have any opportunity of inviting the attention of the Government through you as to what we think is important business to be conducted by the House before the House adjourns *sine die*.

MR. SPEAKER : There is only one day left.

PROF. P. G. MAVALANKAR : We would like to raise, with your permission, certain points to which we would like to draw the attention of the Government because we think the matters are very urgent, and so they must be disposed of before the House adjourns *sine die*. Now, if there is no statement on that point the item has been left in what motion the item has been for next week's business, I should make my submissions that you will have to kindly look into it. You will have to give me and other Members the permission to speak. For example, the discussion on bonus is not taking place. We have been demanding a discussion on bonus for a long time.

MR. SPEAKER : This was considered at the Business Advisory Committee. Though it was considered a very important subject, what had happened is that there had been a commitment to the House that the House will not do it beyond Monday. Mr. Kemath asked for a positive assurance from the Minister of Parliamentary Affairs.

SHRI C. K. CHANDRAPPA (Cannanore) : We do not want to discuss it with you. You can kindly ask the hon. Minister whether he would make a statement in this regard.

MR. SPEAKER : He is not making any statement. The Business Advisory Committee has gone into the matter. Your party representative was absent there. We discussed the matter. Then ultimately I found it was not possible to provide for it. We had a long discussion on this.

He is not making any statement. The Business Advisory Committee has gone into the matter.

SHRI C. K. CHANDRAPPA : How can the Government not make a statement on the question of bonus.....
(Interruptions)

MR. SPEAKER : The Government has taken note of the recommendation made by the Members and there was a long discussion about it in the debate on the President's Address and also during the Budget Session. Members' opinion is already there. They are considering it and even if somebody wants to make further representation, they will consider it. But, unfortunately, what has happened is, not that the subject is very important, it is a matter of serious concern, and some readable discussion has taken place. They will take note of them and they will come to a conclusion. After all, there are so many important matters, but the Members are completely tired, by this time.]

PROF. P. G. MAVALANKAR : Besides discussion on bonus, I would like to draw the attention of the Government to the fact that two other subjects have remained at the stage of an inconclusive debate namely the discussion on price rise and motion on Netaji Subhash Chandra Bose.

MR. SPEAKER : Your concerned Members have discussed that matter. I have discussed the matter with the Minister. Of course I told him these difficulties and he has very generously agreed to it.

AN HON. MEMBER : What about the price rise?

SHRI SAMAR GUHA (Cuttack) : I shall be glad if the House discusses the resolution moved by me....

MR. SPEAKER : I have also promised that in the next session, it will be continued and adequate time will be given to that.

PROF. P. G. MAVALANKAR : Sir, finally, I want to say about one thing. I want to know whether the Minister of Parliamentary Affairs will reply to my question, in the present session, about the matter of pension to former Members of Parliament. Earlier, he had said that the matter was under consideration of the Government and the Government would come to some decision later on. Some have asked for more pension and some like me have asked for removing the pension completely. If the House is adjourning on Monday *sine die*, what about the promise they and we all gave to the electorate of our country? The workers and the wage earners are not given their dues; how can the Members of Parliament ask for pension? The Minister says that the matter is under consideration. He considers other things. But the Government have no time for discussing this and deciding the question of removing this unjust, illegal and immoral law providing for pension to the former Members of the Parliament.

MR. SPEAKER : There are many assurances given in the manifesto. We cannot implement all of them simultaneously.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour) : Sir, Mr. Advani has placed a White Paper on the table of the House on the malpractice of the Information and Broadcasting Ministry. I had given a motion then and there and I should be allowed to move it. You are asking the Minister to introduce the Bill. After allowing Members under Rule 377, you have to go to the

Legislative Business. That is the practice.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): Here is a photostat copy of blanket MISA warrant. The D.I.G. of Police directed that these people be arrested under MISA. There were thousands of people who were arrested under MISA. There are thousands of people who have been arrested under MISA without proper warrants. You were a judge of the Supreme Court and you know that for arresting a person under MISA the personal satisfaction of the detaining authority should be there. It is a very serious matter; there was no personal satisfaction. You will agree that it amounts to a criminal offence under IPC 167. The officer issued such a type of blanket warrant..

MR. SPEAKER: You put a short notice question.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Neither is there; I gave a call attention notice; neither short notice nor call attention is there. Something should be done. Hundreds of people in Delhi and outside were arrested and the persons who did so must be taken to task. You have been a judge and I think you will also agree with me that if this thing is allowed to be repeated, the country will go to dogs and democracy will go to winds. Please come to our rescue and let this be taken up in any form, call attention or short notice. The Government must reply. The Home Minister is here. It is a very complicated matter and it is also a very important matter.

MR. SPEAKER: The Home Minister is here; he has taken note of the matter.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Only when a call attention or short notice question is admitted, the Home Minister can make his statement. The Home Minister cannot do anything.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Let the Home Minister be requested to make a statement *suo motu* on the blank MISA forms signed.

MR. SPEAKER: They say some people have been arrested under MISA without informing them. Now, so many people are arrested under MISA again and they want to know your reaction about the matter because they are raising objection. They have given short notice question. There are 377 notices. Will you consider the matter? Will you be able to make a statement on Monday?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): Sir, I have received no notice. I will take note of this. I will take the question of the hon. Member and I will reply day after tomorrow.

PROF. DILIP CHAKRAVARTY (Calcutta South): I want to make a submission.

MR. SPEAKER: Today, anyway, we will have to sit till 8.30.

PROF. DILIP CHAKRAVARTY: Sir, regarding the Food Corporation of India, I sent a question. But the answer seems to be wrong and is not based on facts. I gave due notice for a half-an-hour discussion. But nothing has come up. Still some employees of the Food Corporation of India, who have been discharged during Emergency, remain out of their jobs. And this is the policy of the Janata Government to take everybody, as the Railway Minister did. To my questions, wrong answers came and I did not get an opportunity to raise the issue. Further, in pursuance of a statement made by me about the killing of prisoners inside jails during Emergency, on the request of the Home Minister I sent him a letter detailing 1976 incidents of killing inside the jails during Emergency. Could I expect you to direct the Home Minister to make a statement before this House adjourns?

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): I would like to make a submission. I am not making any complaints or allegations. Yesterday we had a very good debate on the censure motion against the hon. Home Minister. Previously, it was always complained that Opposition had been blacked out and that no opportunity was being given to them. But we are all surprised to see today's newspapers; except 'Patriot', no other paper reported his speech. This paper gave only two sentences from Shri Stephen's speech, which he made for nearly 50 minutes. Even one newspaper ridiculed Mr. Stephen. (Interruptions)

I have no complaint against any newspaper or any correspondent. I only want to make them understand that what was followed in the Emergency they are continuing. They have not changed the attitude. I have an information. Somebody told me, may be a rumour, that telephone calls went to Editors of Newspapers to black out Shri Stephen. Your are continuing the Emergency. (Interruptions)

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I know, Mrs. Gandhi's PRO used to telephone the Editors and say 'Don't publish Jyotirmoy Bosu'. You are very lucky that this Government is very generous. You are the murderers of democracy.

DR. HENRY AUSTIN (Ernakulam): I wish to make a humble submission. When Members on the other side raised a question 'restoration of democracy', they said that freedom of the press is basic to the articulation and genuine functioning of democracy (*Interruptions*).

We endorse all those things. But, by no stretch of imagination can it be argued that yesterday's black out of Shri C. M. Stephen's reply to the Prime Minister was accidental. He had made very relevant points in the interest of an objective discussion. The people of this country should know what happened. When they are pronouncing democracy,....

MR. SPEAKER: I do not allow anything more. (*Interruptions*)

SHRI P. M. SAYEED (Lakshadweep): Sir, yesterday we had a very nice discussion here on the censure motion. A very senior Member like Shyamnandan Babu was interrupting Mr. Stephen after every few sentences. It is rather a reflection on the Chair in allowing that. I want to know whether it should remain a good taste or if you want to remain silent on this. If you go through the proceedings....

MR. SPEAKER: No, no. The Chair will take care of it.

SHRI P. M. SAYEED: In that case I only request you to ask the hon. Member to withdraw his remarks or you expunge them.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Please sit down now. I am on my legs. Nobody need come to the rescue of the Chair. I have enough strength to take care of myself.

श्री सहोदय (विजयनगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं चार दिन से बराबर कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए लेकिन मुझे मौका नहीं मिला है। 42 करोड़ रुपया किसानों का भूजर मिलों पर बाकी है और इस पर चर्चा

करने के लिए मैंने बारबार लिखा है। इस सेशन के बाद दो, डेढ़ महीने तक सेशन नहीं होगा और किसानों के सामने बहुत सारी परेशानियाँ हैं क्योंकि उनका जो रुपया बाकी है, भूजर मिलों से उनका पेमेन्ट नहीं हो रहा है। मैंने आधा घंटे की चर्चा उठाने के लिए बार बार रिक्वेस्ट की है, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया है। कृपा कर के आप सोमवार को मुझे आधे घंटे की इस पर चर्चा उठाने का कम्पो दें।

11.28 hrs.

SALARY AND ALLOWANCES OF LEADERS OF OPPOSITION IN PARLIAMENT BILL*

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the salary and allowances of Leaders of Opposition in Parliament.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Sir, I oppose this Bill because the country is reeling under the impact of devastating floods. There are severe scarcity conditions, hunger, poverty and unemployment. This is what Mrs. Gandhi was doing. In order to keep her Party in tact she increased the remuneration of M.Ps. from Rs. 500/- to Rs. 1000/-. I want to say to this Government that they need not be over generous to these people who had been trained to feather their own nests. That is all for the present and I will speak more when the Bill comes up for discussion.

MR. SPEAKER: I rule out this opposition because he has not given any advance notice to oppose this Bill.

The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the salary and allowances of Leaders of Opposition in Parliament."

The motion was adopted

SHRI RAVINDRA VARMA: Sir, I introduce the Bill.

11.29 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) TRANSFER OF HIGH COURT JUDGES
BACK TO THEIR STATES

श्री निर्मल चन्द्र जैन (सिवनी) : अध्यक्ष महोदय, आपात स्थिति के दौरान उस कालिमा अवधि में जब लोग जेलों में बन्द कर दिये गये थे, जेलों में भारी असुविधाएं थीं और इस के बारे में बहुत जगहों पर उच्च न्यायालयों में याचिकाएं भी दायर की गई थीं। जबलपुर के उच्च न्यायालय में मैं ने भी एक याचिका दायर की थी जो अंगतः स्वीकार की गयी थी। हैबिस कार्पस की भी बहुत सी याचिकाएं उच्च न्यायालयों में दाखिल की गई थीं। आठ हाई कोर्ट्स ने यह निर्णय दिया था कि उनके बारे में मुनवाई हो सकती है। बदला लेने की भावना से श्रीमती इंदिरा गांधी ने और खलनायक गोखले जी ने उच्च न्यायालयों के न्यायाधिपतियों का स्थानांतरण किया था। जब जनता सरकार शासन में आई तब विभिन्न अवसरों पर घोषणायें की गई कि जिन न्यायाधिपतियों को इस तरह से स्थानांतरित किया गया है उनको यह मौका दिया जाएगा कि वे चुनें कि वे अपनी जगहों पर वापिस जाना चाहते हैं अथवा नहीं। यह प्रश्न कई बार उठाया गया है। 5-4-77 को विधि मंत्री ने क्वेश्चन आवर में उत्तर दिया था कि सब जजों को यह स्वतंत्रता और मौका हम देना चाहते हैं। फिर 13 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इस बात को दोहराया था। इसके बाद 14 जून को श्री चन्द्र ने जो कि विधि मंत्री के स्थान पर उत्तर दे रहे थे कहा था :

7 Judges have requested for transfer

मेरा निवेदन है और आप से कहना है कि बहुत से न्यायाधिपति हैं जिन से

पूछा तक नहीं गया है कि वे वापिस जाना चाहते हैं अथवा नहीं। जबलपुर के उच्च-न्यायालय में आंध्र प्रदेश से आए कुंडेया साहब से पूछा नहीं गया है। इसके कारण सीनियरिटी के मामले भी कुछ उलझे हुए हैं। निकट भविष्य में कुछ पदोन्नतियां होनी हैं और उन में भी क्वाइट पैदा होने की सम्भावना है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जबलपुर उच्च न्यायालय के श्री आनन्द प्रकाश जी सैन ने फैसला दिया था सरकार के खिलाफ और उनको भी बदले की भावना से स्थानांतरित कर दिया गया था। कुंडेया साहब से पूछा नहीं गया है। सैन साहब की इच्छा है कि वे जबलपुर जाएं। लेकिन उनसे पूछा नहीं गया है। मैं चाहता हूँ कि इस मामले में शीघ्रता बरती जाए। 28 जून को लिखित स्पष्ट रूप से यह घोषणा की गई थी कि उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों से जिन का स्थानांतरण किया गया था पूछा जाएगा कि वे वापिस जाना चाहते हैं अथवा नहीं। मेरी विधि मंत्री जी ने आपके तथा सदन के माध्यम से प्रार्थना है कि वह इसके बारे में त्वरित कार्रवाई करें और उन से पूछा जाए कि वे वापिस जाना चाहते हैं अथवा नहीं और जाना चाहते हैं तो उनको वापिस भेजने की व्यवस्था करें।

(ii) DECISION OF THE GOVERNMENT TO SPLIT
FERTILISER CORPORATION OF INDIA

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): Mr. Speaker, Sir, I would like to raise an important issue. An announcement was made by the hon. Minister, Shri Bahuguna, for creating four units by splitting the FCI. This Corporation consists of several fertiliser companies and a sum of Rs. 700 crores have been invested into them. Some of them are not functioning and some of them are running into losses. So, effective steps are necessary for making these units viable. But instead of taking into consideration that aspect, Shri Bahuguna, hon. Minister of Chemicals and Fertilisers has come to the conclusion to split it. What will be the impact on

[Shri K. Lakkappa]

public exchequer and country's economy as a consequence of splitting this Corporation into four units? If the Cabinet decision to split up the Fertiliser Corporation of India is implemented it will benefit only a few officers alone in the matter of their promotions because four independent companies would come into existence requiring four Chairmen/Managing Directors, four headquarters, four Central Training Centres, besides appointments of senior officers like Company Secretaries and Advisers in various fields for each of the companies and four full-fledged managements. This ultimately involves further expenditure on huge establishment. It has always been a white elephant eating into the vitals of the Fertiliser Corporation and the public funds. The present Government always talks of economy and austerity measures. But how they would implement austerity measures on items like transport, telephone, travelling, creation of posts, recruitment etc. synchronizing with the same decision to split up the Corporation. Even the registration of fees of the four companies would be to the tune of about Rs. 2 crores.

This is also what has been stated in the *Statesman* dated 15-7-77:

"One of the main reasons for the decision to split up the Fertiliser Corporation of India into four autonomous corporations is that it is 'monstrously big' and, therefore, 'unmanageable'. At the moment the FCI has seven units in operation and four in various stages of completion with gross assets well in excess of Rs. 700 crores. This is admittedly big but considering the nature of the industry, the FCI's size is modest. In fact, some experts are on record that the FCI could easily manage more than twice the present number of units. All the units with the exception of the Nangal one have been incurring heavy losses which does not necessarily mean that the FCI is badly managed. Alternatively, there is nothing to suggest that they could be turned into profit-making units by the simple expedient of re-organizing the FCI into smaller corporations. On the contrary, the chances are that creating four autonomous corporations in place of one will involve additional administrative and managerial overheads and encourage officials' inherent empire-building tendencies. Locational and tech-

nological reasons have been advanced in favour of restructuring the FCI.

Instead of reorganising the whole thing, streamlining the administration and introducing discipline in the administration, the hon. Minister has taken such steps which will result in the net loss and heavy expenditure by creating these four independent units. Ultimately, not only indiscipline will be curbed but it will also be advantageous to the building up of in-built bureaucracy. Therefore, there is no austerity measure involved in it; there is no simplicity involved in it; there is no administrative convenience and discipline involved in it. If they take such a decision, it will be disastrous to the nation.

Instead of doing this, let the hon. Minister bring about re-orientation and discipline in this sector. There are a few top-level officers who are engineering this sort of a thing. They want to create an atmosphere and want to have four autonomous units in four different regions of the country so that they can get into them and become bosses and enjoy the best of things.

I would like to submit that this is a very unreasonable decision and it is not a wise decision. I would request the hon. Minister to reconsider all these aspects of the matter in the interest of the nation.

(iii) RETRENCHMENT OF LABOURERS IN GOVERNMENT DEPARTMENTS OF UNION TERRITORY OF LAKSHADWEEP

SHRI P. M. SAYEED (Lakshadweep): Mr. Speaker, Sir, I would like to draw the attention of the House to a very serious matter which has taken place in my constituency, the union territory of Lakshadweep, where the entire labour force has been drawn from different Departments of the administration. Though it is a very small union territory, the working force in different Departments is considerably large.

The serious incident that has taken place is with regard to the retrenchment of labourers in various departments, specially, the harbour and the Public Works Department and that too is a very small number if at all compared to any other union territory. The retrenchment is to the tune of 150 labourers in all.

What the administration officials are doing is that on the pretext of lack of funds, they are retrenching labour which

has been in continuous service for the last 10 years or 12 years or even 15 years. The thing is, if the service continuity crosses 240 days, as per the labour laws, they have to be permanently absorbed. That is the pretext under which these people are being thrown out every year like this. This is a very serious matter. 150 labourers have been thrown out of employment, that is, 150 families are starving because of this. This is a place where there is no legislative set up, no popular involvement of the people, excepting election of the Members to the Lok Sabha. Therefore, I would appeal to the hon. Minister to see that these labourers are taken back and are absorbed on a permanent basis.

SHRI JOYTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): This is a very serious matter and the Government should say something about it.

(iv) OBSERVANCE OF CENTENARY YEAR OF 'VANDE MATRAM'

SHRI SAMAR GUHA (Contai): Mr. Speaker, Sir, through you, I would like to draw the attention of the hon. Home Minister to the centenary year of Vande Matram, the composition of our National Song Vande Matram. This is not necessary for me to remind the House of the role that this National Song played in the struggle for our independence. This is known to everybody that millions of our people faced lathis, batons and bullets with the words Vande Matram Song in their lips. Many martyrs went to the gallows with the words Vande Matram Song in their lips. This was accepted not merely theoretically as the national song, but the word 'Vande Matram' was christened as our national mantram on the blood of so many martyrs and Vande Matram was accepted as the National Song.

I would urge the Home Minister to take adequate steps so that this Vande Matram Centenary should be observed. A small Parliamentary Committee may be set up and a special stamp in commemoration of Vande Matram Song may be brought out. The mass media and the Information and Broadcasting Ministry should also take notice of it. The Education Minister can also bring out a certain brochure and a national symposium in different parts of the country can be arranged; other programmes can also be organised. I hope the hon. Home Minister will take notice of it and discharge our patriotic duty towards this National Song of Vande Matram which was composed by rishi Bankam Chandra in almost the same year.

(v) CRISIS IN SMALL SCALE AND COTTAGE SECTORS OF THE SHOE INDUSTRY

SHRI SHAMBHU NATH CHATURVEDI (Agra): Mr. Speaker, Sir, I had given a notice of call Attention to call the attention of the hon. Finance Minister to the crisis facing the small scale & cottage sector of the shoe industry leading to lay-off and unemployment of thousands of workers as a result of the Central Excise Notification No. 88/77 dated 9-5-77, which reads as follows. I will read out only the operative part of it.

"The Central Government hereby exempt Footwear falling under sub-item I of Item 35 of the First Schedule to the Central Excise and Salt Act, 1944 (1) of 1944 from the whole of duty of Excise leviable thereon provided that:—

- (1) Such footwear is produced by or on behalf of a manufacturers; one or more factories, including precincts thereof, wherein not more than 49 workers are working or were working on any day of the preceding 12 months; and
- (2) That total equivalent of power used in the manufacture of such Footwear by or on behalf of the manufacturer in one of more factories does not exceed 2 H.P."

Then an explanation has been given as a footnote which is the source of all the mischief.

"Explanation:—

Where footwear, manufactured by a manufacturer is affixed with the brand or trade name, registered or not of another manufacturer or is purchased by another manufacturer, it shall be deemed to have been manufactured by or on behalf of such other manufacturer."

The explanation seeks to undo the concession that has been given in the first two paragraphs which I have read out. In operation, the exemption given to the small scale sector and cottage workers has been nullified by this explanation as most of the goods produced in the small scale sector are purchased by the large organizations both in the public and private sectors, and bear their brand names. The total value of the goods thus purchased from the small scale sector is of the order of two to three crores.

With the imposition of this duty, which is being levied on those footwears

[Shri Shambhu Nath Chaturvedi]

also which are now manufactured in the cottage sector because they put a brand name on it, this outlet for clearance and disposal of those goods will be closed, as they can be more cheaply produced by them in their own mechanised and large scale units.

Further, since the small scale and cottage workers are now being treated as manufacturers on behalf of large scale organizations, they have to take out licences and comply with other formalities. Thus, a fearful prospect of unemployment of workers and ruin of this industry opens before them. It affects the livelihood of thousands of people.

Sir, the purpose of a Calling Attention notice is to know the Government's thinking and mind in regard to this problem which is not fulfilled by a mere recital of the problem under Rule 377. That is why, I do express my dissatisfaction, because I wanted to know the reaction of the Government in this matter where the livelihood of thousands of workers is affected.

(vi) ALLEGED VIOLATION OF GUEST CONTROL ORDER AT A DINNER PARTY HOSTED ON 4TH AUGUST, 1977 AT KARNATAKA HOUSE

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour) : Mr. Speaker, Sir, the country is now reeling under the impact of devastating floods and there are starvation and scarcity conditions in abundance. In a condition such as this, Shrimati Indira Gandhi through her henchmen is organising big dinner parties to stage a come-back to political circulation from which the people had massively thrown her out during the last general elections.

Day before yesterday night a dinner party was arranged for which it is reported that Birlas have paid for, in Karnataka House blatantly violating the guest control Order which in Section 3 clearly states :]

"Where the number of participants exceeds 50 (including the host or his) it shall be permissible to serve only four preparations not containing prohibited food stuffs out of which non-vegetarian preparations shall not be more than two."

It is reported that the dinner party consisted of 175 to 200 persons; it served a 10-course dinner which consisted courses of prohibited items.

I have informed the Food Commissioner, Delhi Administration but to my knowledge, so far no action has been taken against the real culprits. The people are being reminded that there is no separate law for powerful people, but only small people are made victims of laws.

This dinner party took place in Karnataka House which is a Government property and the Chief Minister of Karnataka, I am told flew in perhaps spending Government money to attend this dinner. This is also a clear case how public property is being utilised for private gains.

Now, about Assam.**.....

MR. SPEAKER : Nothing will go on record about any other matter.

PROF. P. G. MAVALANKAR : (Gandhinagar) : I have sought your permission. Very important matter under 377 is about the pension to be given to the former Member of Parliament.

MR. SPEAKER : I have not allowed.

PROF. P. G. MAVALANKAR : I am suggesting that we can still pass it on Monday.

MR. SPEAKER : You can raise it on Monday.

PROF. P. G. MAVALANKAR : This is agitating the minds of so many of us.

The former Members of Parliament are being given pension.

MR. SPEAKER : You have mentioned it earlier.

PROF. P. G. MAVALANKAR : I am mentioning it in passing since the hon. Prime Minister is in the House...

MR. SPEAKER : I have not allowed it. I will see whether I can allow it on Monday?

PROF. P. G. MAVALANKAR : Please allow it on Monday.

SHRI VASANT SATHE (Akola) : I have given notice under 377. I wanted the reply before the end of the Session i.e. Monday, the 8th August, 1977.

MR. SPEAKER : I shall send a copy to him.

SHRI VASANT SATHE : Kindly do that. That is relating to announcement of bonus. I hope he gives the decision before we disperse.

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkal) I have also done that. Please consider.

(vii) FAMINE LIKE CONDITIONS IN
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

SHRI MANORANJAN BHAKTA (Andaman and Nicobar Islands) : I like to draw the attention of this House and the Government about a very serious matter involving the life and death question of poor, small and marginal farmers of Andaman Nicobar Islands residing in various Islands. Everyday I am receiving number of letters which, state that the small and marginal farmers including men, women and children are under starvation. The reason is that last year due to heavy pest attack the earlier variety of paddy crop was damaged. In the same year in the month of December due to a heavy devastating cyclone, the late variety paddy crop which was harvested and some which were about to be harvested were completely washed away by flood water and cyclone. Even the rice crop too was badly damaged. The damage was of such nature that one lakh of rupees were sent to the Chief Commissioner from the Prime Minister's Relief Fund. The farmer in this Union Territory is completely depending on single crop and that too depends on the rain water and no irrigation facilities are available here.

These farmers even could not produce any early crop this year for want of timely rain which could have solved their problem partially. As they could not clear the cooperative or bank loans due to such crop failure, the fresh loans in spite of repeated assurance made by Andaman Administration was not granted resulting in untold miseries.

The villages in Diglipur and Mayabunder Tahsil of North Andamans, Rangat Tahsil in Middle Andamans, Havelock, Baratang and villages near Port Blair in Port Blair Tahsil and villages in Ferragunj Tahsil are worst affected. The Reserve Bank wanted certificate for natural calamity from District Authorities but this was not issued whereas individual certificates were issued which could not satisfy the Reserve Bank and Short term/medium term agricultural loan through State Cooperative Bank was denied. Many villagers as reported to me particularly from Ramnagar, Jagannath Dara, Nabagram, Parangara, Tugapur, Chalapur etc. and many other villages, farmers have left and still

are leaving villages in search of food. Many have started eating various jungle leaves, roots etc., deaths to starvation are also reported. The territory is not self-sufficient in food. The coarse rice in the market is sold at Rs. 4-5/- per k.g. Long queues are formed even for a kilogram of wheat. The officialdom in all levels is not serious about the problem and paying no importance in such a grave situation. The Revenue officials are playing with the poor farmers and causing much distress and hardship to the poor people.

The mazdoors are too suffering as their buying capacity is limited. The condition of landless agricultural labourers are worst than any body else.

Sir, I have seen food crisis in Andaman even before but not such a grave situation in any of the earlier occasions.

I, therefore, appeal to all sections of this August House to extend all cooperation to save the poor farmers' life in this farflung tiny territory of our great nation.

MR. SPEAKER : Now we come to Discussion under Rule 193.

SHRI VASANT SATHE : Before that I rise on a point of order. I want to know from the hon. Minister of Home Affairs to correct his statement regarding the Badal enquiry that he made that day. He had stated categorically that there was not question of withdrawing the cases from the court. I hope he maintains that. In the answer it is stated that the State Government accorded permission for making the cancellation reports in three cases which were accepted by the court. So, I would like to know if you are correct; if you do not, then I will have the right to move a Privilege Motion.

Therefore, I am giving you an opportunity under Direction No. 115 to do so on your own.

MR. SPEAKER : No such notice was given to me under 115. I therefore disallow it. I am sorry the rule requires it.

SHRI VASANT SATHE : I know. There was no time to give this notice as we are ending the session on Monday. That is why I am giving this notice to the Home Minister before I bring the Privilege Motion.

MR. SPEAKER : I am sorry the rule requires it. Now we go over to the next item.

11:57 hrs.

DISCUSSION RE: EMPLOYMENT OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES IN SERVICES &

MOTION RE: TWENTIETH, TWENTY-FIRST AND TWENTY-SECOND REPORTS OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES—contd.

MR. SPEAKER : This is a very important subject. A large number of members have given notice, particularly the members belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Therefore, I shall give Shri Yuvraj twenty minutes and the rest of the Members will observe their speeches in ten minutes each. That is because a large number of members want to speak.

So, I hope you will take only ten minutes. I would request the hon. Members not to speak in the House when the debate is going on. Please observe silence in the House.

श्री युवराज (कटिहार) : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों की सेवाओं में आरक्षित पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। आप को और इस सदन को यह जान कर बड़ा कष्ट होगा कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों में इन के लिये जो पद आरक्षित (रिजर्व्ड) है, वे कभी पूरे नहीं किये गये। बार-बार प्रयास के बावजूद, बार-बार इस सवाल को उठाने के बावजूद भी जो इन का रिजर्वेशन है, चाहे प्रथम श्रेणी हो, चाहे द्वितीय श्रेणी हो और चाहे तृतीय श्रेणी हो—इन तीनों श्रेणियों में भारी कमी रह जाती है और वह कमी पूरी नहीं हो पाती। सभी सरकारों को, चाहे राज्य सरकार हो, संघ राज्य क्षेत्र हों, सभी को 31 मार्च तक यह जानकारी आयुक्त को देनी होती है, लेकिन यह जानकारी उन के पास समय के अन्दर कभी नहीं पहुँच पाती। आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट में इस का बड़ा दुःख चित्रण किया है और बतलाया है कि हरिजन और आदि-

वासियों के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी आंकड़े संकलित करने का जहाँ तक प्रश्न है, वे संकलित नहीं किये जाते और ठीक समय पर आयोग को उपलब्ध नहीं किये जाते।

1974 के अन्त तक श्रेणी तीन तथा चार के सभी गैर-तकनीकी पदों में और राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर के पदों में अनुसूचित जातियों के लिये 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये 5 प्रतिशत आरक्षण करने का अनुदेश दिया गया था। 1974 के अन्त तक 6 प्रतिशत से बढ़ कर 8 प्रतिशत और श्रेणी 4 में 10 प्रतिशत से बढ़ कर 12 प्रतिशत किया। आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया था कि बहुत लम्बे समय तक विशेष भर्ती योजना चालू की जाए और अगर एक अभियान विशेष भर्ती योजना का लम्बे समय तक चालू होता, तो अनेक हरिजन और आदिवासी भाइयों की नियुक्ति हो जाती लेकिन रस्म अदायगी के तौर पर कुछ विभागों में खास तौर पर चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरने के लिए, तृतीय श्रेणी के पदों को भरने के लिए और कुछ द्वितीय श्रेणी के पदों को भरने के लिए एक विशेष अभियान चालू किया गया और कुछ काल तक ही यह अभियान चला, जिस के फलस्वरूप इन तीनों श्रेणी के कुछ पदों को भरा जा सका लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी का जो चित्र है, वह बहुत ही निराशाजनक है।

12.00 hrs.

अध्यक्ष महोदय, आप यह देखेंगे कि 5 अगस्त, 1977 को अतारक्षित प्रश्न संख्या 6452 के उत्तर में वित्त और राजस्व मंत्री ने यह बताने की कृपा की है। उन्होंने बताया है कि 30-7-1977 की स्थिति के अनुसार विभिन्न आय-कर अधिकार-क्षेत्रों में श्रेणी-1 के 1275

अधिकारी और श्रेणी 2 के 2044 आय-कर अधिकारी थे। इनमें से श्रेणी-1 के 142 आय कर अधिकारी और श्रेणी 2 के 213 आय कर अधिकारी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के थे। केन्द्रीय परिमण्डल के विशेष वेतन वाले पद और कम्पनी परिमण्डल के पदों पर अधिकतर श्रेणी-1 के आयकर अधिकारी तैनात हैं और श्रेणी-1 के 142 आय कर अधिकारियों में से 17 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अधिकारी ऐसे पदों पर तैनात हैं। इस तरह में आप देखेंगे कि बहुत प्रयास करने के बावजूद भी जो अपेक्षित आरक्षित पद है वे भी भरे नहीं जा सके। आप को और इस सदन को यह जान कर बहुत दुःख होगा कि अनस्टाईड क्वेश्चन 6298 के उत्तर में वित्त और राजस्व मंत्री जी ने यह बताया है :—

"The total number of Class I and II (Gazetted) posts in the various Central Excise and Customs collect rates as on 1-7-1977 and the total number of posts reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes".

"The total number of Class I (Group A) and Class II (Group B) (Gazetted) posts in the various Collect rates of Central Excise and Customs as on 1-7-1977 is annexed."

इस स्टेटमेंट में जो जगह मैशंड थी, वे बतलाई गई हैं और उस में यह कहा गया है कि अहमदाबाद में गेन्रूल एक्साइज कलक्ट्रेट में क्लास-1 के 136 पद हैं। क्लास 2 के 120 पद हैं। उसी तरह से इलाहाबाद में 32 और 110 हैं। बंगलौर में 25 और 110 हैं। बड़ौदा में 29 और 165 हैं। बम्बई में 74 और 238 हैं। भुवनेश्वर में 10 और 37 हैं। कन्नकता में 30 और 160 हैं। कुल जो योग है वह क्लास 1 का 634 बनता है और क्लास 2 का 2399।

इन में से एक पद पर भी अनुसूचित जाति या जन जाति का व्यक्ति नहीं लिया गया है।

इनकम टैक्स के जो आंकड़े हैं उनको सुन कर और भी ताज्जुब होगा। न केवल सेंट्रल एक्साइज और कस्टम्स में इन जातियों का एक भी हरिजन और आदिवासी उच्चाधिकारी नहीं है बल्कि इनकम टैक्स विभाग के बारे में जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है उस में भी इन्होंने बताया है कि आंध्र में जहां क्लास 1 की 115 पोस्ट्स हैं और क्लास 2 की 73 उन में एक भी हरिजन या आदिवासी नहीं है। असम में 31 और 35 में से एक भी नहीं है। यही हाल दूसरे राज्यों का बम्बई, बिहार, पश्चिमी बंगाल, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश कानपुर, मेरठ, आगरा, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश में लखनऊ और इलाहाबाद आदि का है। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पद जो इनकम टैक्स के अधीन थे 1-7-77 को उन में से एक भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों को नहीं दिया गया था। इसमें बढ़ कर हमारे लिए शर्म और तकलीफदेह बात क्या हो सकती है।

उस दिन रेल मंत्री जी ने बताया था कि 1974-75 में एक विशेष अभियान चलाया गया था। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि वह भी एक विशेष अभियान चलाने की दिशा में योजना बना रहे हैं। मैं आपका ध्यान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की 1973-74 वर्ष की रिपोर्ट की ओर ले जान चाहता हूं। विभिन्न राज्यों ने अपने अपने लोक सेवा आयोग गठित किए हैं। आंध्र प्रदेश में इस आयोग के सदस्यों की कुल संख्या

[श्री मुखराज]

अध्यक्ष सहित चार है जिस में एक अनुसूचित जाति का है। असम में चार में से एक अनुसूचित जन जाति का है। बांध में एक भी अनुसूचित जन जाति का नहीं है और असम में अनुसूचित जाति का कोई नहीं है। बिहार में इन की संख्या चार है लेकिन कोई भी इन जातियों का सदस्य उस में नहीं है। इसी तरह से गुजरात, हरियाणा, आदि प्रदेशों में एक भी इन जातियों का नहीं है। ये आयोग प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणियों की प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं और उम्मीदवारों की नियुक्ति का निर्णय देते हैं। उनका अपना चित्र कितना निराशाजनक हैं इसको आप देखें। ये जो उच्च पद हैं जो उनके आरक्षित हैं, उनका जो कोटा है इसको आप देखें। कोटा है वह कभी भी पूरा नहीं हो पाया है। इसको देख कर बड़ी निराशा होती है।

मैं समझता हूँ कि जब तक सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन नहीं होता है तब तक पढ़ने लिखने से, नाम के लिए स्टाइपेंड दे देने से हम उनको हम समान सतह पर नहीं ला खड़ा कर सकते हैं। हमें सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन करना होगा, दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होगा ताकि जो पद उनके लिए सुरक्षित किए गए हैं उन पर उनको नियुक्ति हो सके और जो उनका कोटा है वह पूरा हो सके।

मैं सरकार और समाज को इसके निम्ने जिम्मेदार मानता हूँ कि आरक्षण के निर्धारण के बावजूद भी आरक्षित पद पूरे नहीं हो पाते हैं, इसलिसे कि हम उन्हें भाने नहीं देते। कहा जाता है कि यह पद पूरे नहीं होते। यह भरे नहीं जाते, इसमें दोष सरकार का नहीं है। प्रथम और द्वितीय श्रेणी की नियुक्तियों

के बारे में यह बात कही जा सकती है, लेकिन तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में जो रिजर्वेशन का कोटा है, आरक्षण के लिये निर्धारित पद जब पूरे नहीं होते तो देखकर तकलीफ होती है और यह बात स्पष्ट हो जाती है कि नियुक्ति, बुलाने, सूचना देने, परीक्षा लेने की जो प्रक्रिया है वह दोषपूर्ण है और इसिलिये संबंध आरक्षण के पदों की पूर्ति नहीं हो पाती।

मैं अपनी ओर से यह सलाह देना चाहूंगा कि गैर-सरकारी, केन्द्रीय और प्रान्तीय स्तर पर एक गैर-सरकारी सैन गठित किया जाये जो सरकार के इन विभागों को बराबर अपनी राय दे कि जो आरक्षण इनके लिये निर्धारित है, वह पूरा किया जाये और जो जगह पूरी नहीं हो पाती है, वह तब तक खाली रहेंगी जब तक वह पूरी न हो जायें।

हरिजन और आदिवासियों के ऐसे उम्मीदवार, जो अपनी योग्यता के आधार पर चुने जाते हैं, वह अनारक्षित पदों में शामिल किये जायें, आरक्षित रिक्तियों में उन्हें नहीं लिया जाये। आरक्षित रिक्तियों में केवल छूट के जरिये चुने हुए उम्मीदवारों को ही लिया जाये। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि हरिजनों के लिये जो 15 प्रतिशत और आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों के लिये जो 7 1/2 प्रतिशत जगह आरक्षित हैं, उन्हें क्रमशः 22 प्रतिशत और 15 प्रतिशत कर दिया जाये। प्रत्येक विभाग में विशेष अभियान चलाकर रिक्त स्थानों को भरने का प्रयास किया जाये। इतना ही नहीं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में जहाँ प्रतियोगिता होती है वहाँ उन्हें प्राप्तांकों में विशेष छूट दी जाये। जगहें पूरी न होने पर उन्हें रिक्त रखा जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी राय व्यक्त करना चाहता हूँ और बार-बार इन्हीं बातों को दोहराना चाहता हूँ।

बिहार में यह बात मेरे कई मित्रों ने उठाने की कोशिश की है। बिहार, बंगाल और आंध्र में एक असंतोष का वातावरण है। आप देखेंगे कि ऐसे ही लोग विद्रोही निकलते हैं जो हरिजन, आदिवासी, दलित या पीड़ित हैं या जिनका आर्थिक शोषण हुआ है। ऐसे ही लोग विद्रोहियों की कतार में शामिल होते हैं। इसलिये हमें सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन करना होगा। आन्दोलन चलाकर राजनीतिक चेतना को जगाने की जरूरत है। जो भी अनाचार, दुराचार, शोषण और सामाजिक दबाव इन पर पड़ता है उसका वह खुलकर विरोध कर सकें, ऐसी चेतना लाने और उन्हें समाज में प्रतिष्ठित करने के लिये प्रयत्न किया जाना चाहिये। केन्द्रीय मंत्रिमण्डल से लेकर ग्राम पंचायत तक हरिजनों और आदिवासियों को कहीं जगह नहीं मिल पाती और जब उन्हें जगह नहीं मिलती तो बड़ी निराशा होती है। उद्योगों और जमीन के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है। मीन और लाइवलीहुड, उत्पादन और वितरण के साधनों पर उन का स्वामित्व नहीं हो पाता है।

अगर इन दुनियादी सवालों का निराकरण नहीं होगा, तो देश की शोषित, दलित और पिछड़ी हुई तीन-चौथाई आबादी इस समाज को बदलना चाहेगी और बदल कर ही दम लेगी।

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत कुछ भार श्री युवराज ने हल्का कर दिया है। हरिजनों की समस्या एक सामाजिक समस्या, नैतिक समस्या और मानवीय समस्या के रूप में देखी जा रही है। लेकिन मूलतः हरिजनों की समस्या एक आर्थिक समस्या है। यह स्पष्ट है कि जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, वही सामाजिक, राजनैतिक और नैतिक रूप से भी पिछड़े

हुए हैं। आर्थिक का इतिहास आर्थिक रूप से पद-दलित और पीड़ित मानवता का इतिहास रहा है। इस लिए हरिजनों का प्रश्न सामाजिक और नैतिक प्रश्न उठाना नहीं है जितना कि वह एक आर्थिक प्रश्न है। इस लिए आज जब नौकरियों में उनके संरक्षण की बात कही जाती है, तो उस के लिए यह तर्क होना चाहिए कि वे आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकें।

वस्तुतः हरिजनों की समस्या एक आर्थिक वर्ग संगठन—ट्रेड यूनियन—की समस्या है। आज पिछड़ी जातियों और हरिजनों में जो जागरण हो रहा है, वह न तो सामाजिक विद्वेष का परिणाम है, न राजनैतिक विकृति का परिणाम है, अपितु वह एक आर्थिक वर्ग संगठन का रूप है। अगर हम इस दृष्टि से देखेंगे, तो हमें आर्थिक समस्याओं को हल करने में प्राथमिकता देनी होगी।

आज जब हमारे हरिजन भाई कुछ रोष से बदलते हैं, तो हम लोगों को उस पर आश्चर्य और अप्रसन्नता होती है। लेकिन यह तथ्य है कि जब आर्थिक समस्या लोगों को परेशान करती है, तो ब्राह्मण भी अपना ब्राह्मणत्व भूल जाते हैं।

देवी भागवत महापुराण के सप्तम स्कंध में कहा गया है कि राजर्षि विश्वामित्र को भी चांडाल के यहां मांस और जूठा खा कर अपनी प्राणरक्षा करनी पड़ी थी। जब भरी सभा में रजस्वला द्रोपदी का चीर-हरण हो रहा था, तो सारे ब्राह्मण और धनुर्धारी क्षत्रिय मौन थे—कह रहे थे “अर्थस्य पुरुषो दासो”। अर्थ की मार बहुत बड़ी मार होती है।

यदि हरिजन भाइयों को आर्थिक सुविधाएं दी जायें, तो वे अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकते हैं और अपने घर को अच्छा बना सकते हैं। इस लिए आर्थिक समस्या ही हरिजनों की मौलिक समस्या है। लेकिन इस का मतलब यह नहीं है कि उन्हें राजनीति से वरकनार कर दिया जाये। हरिजन नहीं।

[ड० रामजी सिंह]

यह आवश्यक है कि राजनीति के मूर्खान्तावादी स्थानों पर, चाहे वह दल में हों और चाहे प्रशासन में, उन्हें कार्य करने का विशेष अवसर दिया जाये, अर्थ नीति भी राजनीति की चरणदात्री रहती है। महाभारत का दूसरा श्लोक है : "सर्वेधर्माः राजधर्माः निमग्नाः।" राजनीति भी अर्थ नीति को संचालित करती है।

इसी लिए हरिजन समस्या अगर एक तरफ अर्थ-नीति की समस्या है तो दूसरी तरफ राजनीति की समस्या है। इसलिए आर्थिक स्थितियों में, आर्थिक नीकरियों में उन्हें विशेष संरक्षण तो दिया ही जाना चाहिए, राजनीति में भी "विशेष अवसर" देना बहुत आवश्यक है।

मुझे याद है एक बार डा० अम्बेदेकर ने अंग्रेज वायसराय ने पूछा कि हिन्दुस्तान के पिछड़ेपन का और हरिजन लोगों के पिछड़ेपन का क्या कारण है तो उन्होंने बतलाया था कि इस का मूल कारण है हिन्दुस्तान का जातिवाद और उन्होंने यह कहा था कि इसके निवारण के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा था कि वही जाति समृद्ध है जो शिक्षित है और जो अशिक्षित है उस में जागरण का अभाव रहता है। अपने अधिकारों के लिए भी वह जाति नहीं लड़ सकती है। इसीलिए डा० अम्बेदेकर ने शिक्षा पर बहुत जोर दिया। वाइसराय ने दूसरा प्रश्न उन से किया कि हरिजनों को छोटी छोटी नौकरियाँ तो दी जाती हैं तो उन्होंने कहा कि उमसे मुझे संतोष नहीं है। उन्होंने कहा था कि सचमुच में अगर आप चाहते हैं हरिजनों और पिछड़ी जातियों को मंतीष देना तो राजनीति के शीर्षस्थ स्थानों पर उन्हें रखें जिस से उन से नीचे के स्थानों पर उन के साथ गैर-इसाफी न हो सके। अगर डा० अम्बेदेकर वाइसराय की लेजिस्लेटिव काँग्रेस में है तो वह देख सकते हैं कि नीचे जो गैर-इसाफी हो रही है वह दूर की जाये। आज अगर भारतवर्ष की राजनीति

में, सारे राजनैतिक दलों में और प्रशासन के उच्च पदों पर हरिजन भाई ऊँची-ऊँची जगहों पर रहते तो उन के साथ बेलची या इस तरह के दूसरे हायाकांड नहीं होते। कारण उसका यही है कि दुख वही समझता है जिस के ऊपर दुख बीतता है।

इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज हरिजन भाइयों को विशेष अवसर देना तो दूर रहा उन को उचित अवसर भी नहीं दिया जाता है। अभी जो मुझे लोक सभा के पुस्तकालय से सामग्री मिली उसमें बताया है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की जन संख्या भारत में 14.6 और 6.9 प्रतिशत है लेकिन उन को नौकरियों में किस तरह का स्थान दिया जाता है यह आप देखें तो मालूम होगा कि कितना बड़ा अन्याय उन के साथ किया जाता है—क्लास वन में 3 प्रतिशत, क्लास टू में 5 प्रतिशत, क्लास 3 में 11 प्रतिशत और क्लास 4 में 18 प्रतिशत। लगना है इस तरह से मानो "पदभ्यां शूद्रो अजायत" जो यजुर्वेद में कहा है वह उक्ति इन के लिए चरितार्थ होती है। लगता है केवल मोटे काम करने के लिए ये बने हुए हैं और हम दूसरे कामों के लिए बने हुए हैं। केवल भंगी का काम वे जिन्दगी भर करते रहेंगे और हम जिन्दगी भर राज-सेवा के निर्णायक पदों पर काम करते रहेंगे। जहाँ समाज में इस तरह का विभाजन होगा वहाँ वह समाज रह नहीं सकता है। "समम-जनंति जनाः" जहाँ समता रहती है वहाँ समाज रहता है। जैसा मैंने कहा यहाँ तो उन्हें उचित अवसर भी नहीं दिया जाता है, विशेष की तो बात ही क्या है?

इसलिए मैं अपने कर्मठ गृह मंत्री से मांग करता हूँ, क्योंकि वह पिछड़ी जाति के हैं तो पिछड़ी जाति का वह दृढ़ समझते हैं, इसलिए मैं उन से मांग करता हूँ कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड

लिए केवल अलग अलग कमिश्नर ही नहीं एक स्वतन्त्र मंत्रालय की स्थापना करें और उस का प्रधान एक हरिजन होना चाहिए। जो और भी बातें रिपोर्ट में आई हैं उसके ऊपर भी मैं केवल ध्यान दिलाना चाहता हूं।

नौकरी के बारे में जैसा अभी बताया गया है, उनका रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं होता है। तीन वर्ष का टाइम इसके लिए रखा जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग इस रिप्रेजेंटेशन को पूरा नहीं करते क्या उनको दण्डित नहीं किया जा सकता? यदि इस प्रकार के चार-पाच लोगों को दण्डित कर दिया जाये तो मैं बिश्वाम के साथ कह सकता हूँ कि इन लोगों का नौकरी में रिप्रेजेंटेशन पूरा होने लग जायेगा। मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहूँगा कि इन का प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया जाये। इसके लिए शेड्यूलड ट्राइब्स की जाँ रिपोर्ट है उसमें काफ़ी अनुशंसा की गई है कि कैसे कैसे काम होना चाहिए। इसके साथ ही पदोन्नति में भी उनका रिवीजन होना चाहिए और उसको बढ़ाना चाहिए और पिछला मूल्यांकन होना चाहिए कि क्यों नहीं बढ़ाया गया है और किसके पड़यत्न से नहीं बढ़ाया गया है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहूँगा कि इसके लिए भी एक कमिशन बिठाना चाहिए। यदि हिन्दुस्थान की सम्पूर्ण आबादी का पाँचवाँ भाग इस प्रकार से उपेक्षित रह गया तो यह देश वास्तव में कभी भी विकास नहीं कर सकेगा। केवल श्रीमती इन्दिरा गांधी और संजय गांधी के लिए ही कमिशन बनाने को बान नहीं हों, देश की कुल आबादी के पाँचवें भाग के साथ जो पड़यत्न किया गया है उसकी जाँच के लिए भी आयोग बिठाना चाहिए। इसमें माननीय गृह मंत्री का कोई दोष नहीं है, पिछली सरकार जो हरिजनपरस्ती का दावा करती थी लेकिन जो कार्य किए वह हरिजनों के खिलाफ थे उनके दिमाग में आज हरिजनों पर एंटा-सिटीज को लेकर बेल्टी की घटना उभर रही है

MR. SPEAKER: Please do not refer to the Belchi matter.

That is *Sub judice*.

डॉ० रामजी सिंह: मैं बेल्टी का जिक्र नहीं करूँगा। 1972 में 3302 अत्याचार हरिजनों पर हुए। 1973 में 6186 अत्याचार हरिजनों पर हुए। 1974 में, जो श्रीमती इन्दिरा गांधी का उत्कर्ष वर्ष था, 8807 अत्याचार हरिजनों पर हुए। 1975 में, जब अपात-काल स्थिति में हम बोल भी नहीं सकते थे, हरिजनों पर हजारों अत्याचार हुए, होंगे जोकि अखबारों में नहीं आये, फिर भी 1975 में 7781 अत्याचार हुए।

अध्यक्ष महोदय वास्तव में यह रिपोर्ट हमारी सरकार की रिपोर्ट तो है नहीं, यह तो पिछली अपराधी सरकार की रिपोर्ट है, इसके लिए तो महाअभियोग होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, पाँच हजार वर्षों से जिनको दुःखी रखा गया है, जिनको निर्बल किया गया है उन के लिए सीधी प्रथा कमिशन की रखी गई है। उनसे कह दिया जाता है कि तुम कपीट नहीं करते हो। उनको तो शक्ति प्रदान करनी होगी और प्रोत्साहन देना होगा।

अध्यक्ष महोदय मैं एक बात और कहना चाहूँगा। हरिजनों के प्रति किस प्रकार से उपेक्षा बरती गई है उसका एक उदाहरण यह है कि शेड्यूलड कास्टस् ऐंड शेड्यूलड ट्राइब्स के कमिश्नर का वारंट आफ प्रिसीडेंस में 28वाँ स्थान दिया गया है। इस देश के हरिजन जो इस देश के समुदाय का पाँचवाँ हिस्सा हैं उनके अभिवक्ता का स्थान वारंट आफ प्रिसीडेंस में 28वाँ हो — यही है इस देश के हरिजनों के दुख दर्द की कथा। मैं माननीय गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूँगा कि वे इस वारंट आफ प्रिसीडेंस को बदलें। इसके साथ ही शेड्यूलड कास्टस् के लिए एक स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना की जाये तभी इस समस्या का कुछ समाधान हो सकता है।

एक प्रार्थना के साथ मैं अपने भाषण का अंत कहूँगा। आज सारी चीजों के सम्बन्ध में सरकार श्वेत पत्र और ध्याम पत्र पत्र प्रकाशित

[ड० रामजो सिंह]

कर रही है, लेकिन हरिजनों और आदि-वासियों के सम्बन्ध में 1972-73 की रिपोर्ट हमारे सामने है, लेकिन इसमें यह नहीं है कि क्या काम हुआ, एक्शन टेकन रिपोर्ट हमारे सामने नहीं है। सरकार ने क्या आश्वासन किये थे, उनका कहां तक कार्यान्वयन हुआ — इस की रिपोर्ट नहीं है। एक तरह से यह जो रिपोर्ट हमारे सामने प्रस्तुत है, यह आधी रिपोर्ट है। इसलिये मेरा कहना है कि इस बहस को भगले सब तक ले जाना चाहिये और इस बीच में सरकार एक्शन टेकन की रिपोर्ट हमारे सामने रखे ताकि पिछली सरकार ने हरिजनों के साथ कितना घोर अन्याय किया है, वह राष्ट्र के सामने स्पष्ट हो सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे गृह मंत्री जो इन बातों की ओर ध्यान देंगे।

MR. SPEAKER : Before we proceed further—I did not want to disturb the proceedings—there is one urgent matter which has come in because the Railway Minister has got to go to Cyprus. He was to make a statement on Monday. I have permitted him not to make a long statement. I have permitted him to make a statement because he has to go to Cyprus today, and he has promised to make a statement on Sholapur line. (Interruptions). About the Sholapur line, he has promised to make a statement.

12-33 hrs.

STATEMENT RE: INCLUSION OF SHOLAPUR DIVISION IN CENTRAL RAILWAY

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): Sir, the House will recall that ever since the information of South Central Railway in October, 1966, there have been persistent demands for the transfer of Sholapur Division back to the Central Railway both from the public as well as the Railwaymen.

Representations have been received from time to time amongst others from M.P.s., M.L.As. local bodies and Unions highlighting the difficulties faced by the rail users including traders and industrialists as well as railway staff on Sholapur Division. Questions have also been asked in both the Houses from time to time regarding transfer of Sholapur Division back to the Central Railway.

A Committee comprising of 3 Members of Parliament under the Chairmanship of the then Dy. Minister of Railways was constituted to identify and examine the problems of Sholapur Division.

By widely following the recommendations of this Committee, a group of experts in the Railway Ministry is studying all aspects of this issue.

On the basis of its findings the final decision on the matter will be announced in the first week of September, 1977.

(Interruptions)

MR. SPEAKER : Not in this House.

SHRI O. V. ALAGESAN (Arkonam): No decision has been announced.

MR. SPEAKER : He has promised to make a statement and therefore he has made it. He says that it will take a little time.

SHRI N. SREEKANTAN NAIR (Quinn): What is the importance of his promise.

MR. SPEAKER : All right.

PROF. MADHU DANDAVATE : That is very important because there was some statement made while replying.

12-33 hrs.

DISCUSSION RE. EMPLOYMENT OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES IN SERVICES & MOTION RE TWENTIETH, TWENTYFIRST AND TWENTY-SECOND REPORTS OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES—Contd.

श्री इय्यामसुन्दर गुप्त (बाढ़): अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान जब आजाद नहीं हुआ था, उस के पहले नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने, जिन की प्रतिभूति आज न सेन्द्रल हाल में है और न ही टाइम कैप्सूल में उन का नाम लिया गया है, कहा था।

"You Cannot Leave Your Work as Soon as India is free because after fighting the foreigners You will have to guard the nation from evils which may be caused by Indian reactionaries."

अध्यक्ष महोदय, 1947 में जब हिन्दुस्तान को आजादी मिली, उस के बाद महात्मा गांधी जी ने कहा था — कोई भी नीति निर्धारित करते वक्त तुम्हें इस बात का हमेशा ब्याल

रखना होगा कि जो हमारे नजरों में सब से गरीब है, सब से लाचार है, सब से मजबूर है, उन को दृष्टि में रखते हुए ही कानून बनाये जायें, लेकिन ऐसी कोई भी राह न हमारे हरिजनों को मिली और हमारे शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को मिली। नतीजा हुआ कि गरीब और जो ज्यादा गरीब हो गया, लाचार और ज्यादा लाचार हो गया, मजबूर और ज्यादा मजबूर हो गया, लेकिन हमारे कैपिटलिस्ट आहिस्ता-आहिस्ता आगे की ओर बढ़ते गये। हमारे कांग्रेसियों को इस बात का पता था, कि इस का अन्जाम क्या होता है। कुछ लोगों को कुछ दिन तक बेवकूफ बना कर रखा जा सकता है, लेकिन सभी दिनों तक बेवकूफ बना कर नहीं रखा जा सकता है। उन्होंने अंग्रेजों की तरह से डिवाइड एण्ड रूल की नीति नहीं अपनाई, बल्कि एक नया नारा—दिया हिन्दुस्तान पर शासन करने के लिये यह बेहद जरूरी है—डिवाइड एण्ड रूल से काम नहीं चलेगा, तमाम फिरके लड़ते हैं न रहे बल्कि उन को भ्रष्ट भी बनाएं— इस लिये उन्होंने नारा दिया — “डिवाइड, करप्ट एण्ड रूल।” आप को मालूम होगा — गांधी जी ने जहां कहा था कि मुझे सात बातों में सावधान रहना चाहिये—

Politics without principle, power without conscience, wealth without work, worship without sacrifice, knowledge without character, Commerce without morality, science without humanity.

उन्होंने इन सात पापों में कांग्रेस पार्टी को सावधान किया था, लेकिन इन लोगों ने अपने शासन काल में उन्हीं सात पापों को अपनी नीति के रूप में परिवर्तित किया। नतीजे के तौर पर हिन्दुस्तान में चारों तरफ निराशा ही निराशा छाई है और इन लोगों की आर्थिक और सामाजिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। गांधी जी ने कहा था कि हम पूर्ण आजादी तभी समझेंगे जब हमारे यहां की जेलें खाली होंगी और लोगों का पेट भरा होगा, लेकिन हुआ क्या? इस कांग्रेस की 30 साल की हुकूमत में जेलों को तो बराबर भरा गया

है लेकिन लोगों का पेट नहीं भरा गया और वह आज भी खाली है। आप जानते हैं कि गांधी जी ने कहा था कि लोगों में त्याग और सेवा की भावना होनी चाहिए और ईमानदार बनना चाहिये उन्होंने कहा था कि तुम ईमानदार बनो और बेईमानी त्यागो और 30 साल की हुकूमत में इन कांग्रेस वालों ने त्याग और सेवा के नाम पर अपनी और अपने परिवार की ओर कुनबे की सेवा की। इन्होंने देश की सेवा नहीं की और गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं किया मुझे इस वक्त एक शायर का ओर याद आ रहा है और वह मैं आप को सुनाता हूं। नाउम्मीद होकर उसने कहा था :

लोग समझते थे इंकलाब आते ही जखम कोहन चमन का बदल जाएगा

यह खबर किसको थी आतिशे गुल से ही तिनका तिनका नशेमन का जल जाएगा।

लोग यह समझते थे कि हिन्दुस्तान जब आजाद होगा तो नया युग आएगा खुशहाली आएगी और इस देश में परिवर्तन आएगा और जो मजदूरियां या परेशानियां हैं वे तमाम खत्म होगी और जिन अवस्था में हरिजन हैं, उस अवस्था में हरिजन नहीं रहेंगे लेकिन इस 30 साल की कांग्रेसी हुकूमत के बाद आज भी हरिजनों की हालत बहुत खराब है। जिन हरिजनों की सुरक्षा के लिये ये दिवाबटो प्रॉसू हा रहे हैं, कोकोडाइल टियर्स बहा रहे हैं और बड़े-बड़े भाषण कर रहे हैं और घटनाओं का वर्णन कर के होम मिनिस्टर साहब को बदनाम करना चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि उन गरीब हरिजनों के लिए इन कांग्रेस वालों ने 30 सालों के दमयान क्या किया। इन के जमाने में कितना करगशन बढ़ा है और कितनी लोगों को परेशानी हुई है। श्रीमती इन्दिरा गांधी, भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने तीन शर्तें लगाई थी, जिन को वे मंजी बनाना चाहती थीं, जिन को वे मुख्य मंत्री बनाना चाहती थीं और उन शर्तों को मानने के बाद ही वे मुख्य मंत्री या मंत्री बन सकते थे। यह सब लिखित में

[श्री श्याम सुन्दर गुप्त]

नहीं है लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी थी। पहली शर्त थी कि तुम संजय गांधी को एगिया का मुक्ति सूरज समझोगे या नहीं? दूसरी शर्त थी कि ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार करोगे या नहीं और तीसरी शर्त थी कि मेरी हां में हां मिलाओगे या नहीं। जिन लोगों ने इन तमाम शर्तों को माना, उन्हीं लोगों को उस समय नौकरी दी गई और ऐसे ही लोग सिपहसालार हुए जिन को आज हम मुख्य मंत्री कहते हैं या जिन को केन्द्रीय मंत्री कहते हैं। बड़े शर्म की बात है कि इन 30 सालों में केवल इन्होंने भ्रष्टाचार ही किया और इसने इन को फुसंत कहाँ थी। कभी-कभी ये इन लोगों के लिए धांसू बहा देते थे और अपने भाषणों में बातें कहते थे। जिनकी सेवा के लिए गांधी जी ने इन को बराबर सचेत किया था, उनके लिए इन का धांसू बहाना केवल ढकांमला मात्र ही है। इन के मन में जब आता है और वोट केचिंग के लिए ये हरिजनों के लिए धांसू बहा देते हैं, वैसे इन के दिलों में उन के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। आज जिस अवस्था में हरिजन रह रहे हैं उस को आप देखिये। गांवों की क्या हालत है, जहां पर हरिजन रहते हैं, उस को देखिये। ऐसा लगता है कि हिन्दुस्तान की आजादी के समय ट्रान्सफर आफ पावर के बन्त ग्रामीण क्षेत्रों को ट्रान्सफर करना अग्रेज भूल गये और केवल शहरी इलाकों को ही उन्होंने ट्रान्सफर किया जहां पर बड़े बड़े पूंजीपति रहते हैं। आज भी गांवों की कोई तरक्की नहीं हुई है और हरिजनों की अवस्था बहुत खराब है। रहने के लिए घर नहीं है, इलाज तो दूर रहा, पढ़ाई तो दूर रही और खाने के लिए भी उस के पास एम्पलायमेंट नहीं है और जीविका के कोई साधन नहीं हैं। आज उसके लिए जिन्दा रहना भी मुश्किल है और उस की इस हालत को देख कर एक शायर ने यह कहा है :—

लोग जिस हाल में मरने की दुधा करते हैं
मैंने उस हाल में जीने की कमम खाई है।

जिस हालत में हम जैसे आदमी खा कर जिन्दा रहते हैं वे तो मरने की दुधा भांगते हैं, खुसहाली के बावजूद भी जिन्दा नहीं रहना चाहते हैं इस बास्ते कि उनको चिन्तायें हैं, परेशानियां हैं, उनके सामने और तरह के मसाइल हैं लेकिन हरिजनों के धैर्य को आप देखें, उनकी संकल्प शक्ति को देखें तो ताज्जुब होता है, हैरत होती है, मारा गम वे खाए हुए हैं, फिर भी जिस हाव में वे लोग हैं उस में धांसू बहाना नहीं चाहते हैं, कहते हैं हम जिन्दा रहेंगे, मरेंगे नहीं, फिर चाहे समाज हमें जिन्दा रहने दे या न दे।

उनकी अवस्था को आप सुधारें। आज तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। जिस तरह से कोई सख्त दरोगा आ जाता है तो तमाम अपराधी डरने लग जाते हैं, उनके अन्दर तरह तरह से आतंक छा जाता है उसी तरह से होम मिनिस्टर के आने से लोगों में आतंक छा गया है, भ्रष्ट लोग ममझने लग गए हैं कि उनको पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है, उनको प्रभावित नहीं किया जा सकता है। हमने तीस साल तक जो पाप किए हैं उनका भंजाम हम का भुगतना पड़ेगा। होम मिनिस्टर के रास्ते में बाधाएँ उपस्थित की जा रही हैं। उनको डराया धमकाया जा रहा है। पर चूँकि उनको झुकाया नहीं जा सकता, इस बास्ते किसी भी तरह से उनको मे लाइन करना चाहते हैं, किसी तरह से उनको डिमारेनाइज करना चाहते हैं। इसीलिये तरह तरह की कोशिशें हो रही हैं। कोई भी काम जो जनता के हित में होने जा रहे है वे आइडा न हो सकें, इसकी कोशिशें हो रही हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सब कोशिशें नाकामयाब होंगी।

SHRI B. RACHAIAH (Chamarajanagar) : I thank you for allowing me to speak on the motion which gives us an opportunity to express our views with regard to service safeguards in respect of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes...

MR. SPEAKER : You can cover both of these. The two have been combined.

श्री उममल्ल : (देवरिया) : मैं भी यही चाहता था। अब दोनों बिषयों पर बोलने के लिए आपके पास दोनों तरफ से सूचियाँ गई हुई हैं। अब आप माननीय सदस्यों को बुलाते हैं तो दोनों सूचियों को मिला कर बुलाते हैं या एक सूची जो पहली है उसके माननीय सदस्यों को बुला कर दूसरी सूची में जो नाम हैं उनको आप बुलाएंगे ?

MR. SPEAKER : Whoever is called, he will speak on both.

SHRI HITENDRA DESAI (G.d'ra) : When will the Home Minister reply ?

MR. SPEAKER : That will be after six O'Clock. This debate will go on till 7 O'Clock.

SHRI B. RACHAIAH : You have given me an opportunity to express my views on the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years from 1971 to 1974 and so.

Members on both sides have expressed their views about the Report. Four or five points have been stressed by all the Members. According to me, they fall under these broad categories:

1. With regard to atrocities committed on Harijans and Adivasis.
2. With regard to economic uplift and protection.
3. With regard to education safeguards.
4. With regard to political reservation in the elective bodies sectors.
5. With regard to reservation in services.

Sir, I would like to deal with the abolition of untouchability. We have to bear the brunt. I remember what the great leader had said about the untouchability which has crept into the Hindu society which is a blot on Hindu society. The sooner it is removed the better it is for the country.

Sir, untouchability has been abolished according to Art. 17 of the Constitution and any violation of it is declared as an offence. The Act has further been amended by 1976 act and under the provisions of that Act, the untouchability offences are non-cognisable and no vigorous imprisonment has been con-

templated for the violation of the provisions of the untouchability Act. From time immemorial there had been reformers to bring these people to the level of other sections of the society and to treat them as human beings. But, most of them have failed. Even Gandhiji had failed. If you look at the great reformers, you will find that they tried their best to put an end to this blot. But their lives had been brought to an end. Similarly, Shrimati Indira Gandhi after 1969 had tried her level best to remove this blot in the Hindu society and she sought so many amendments to the Untouchability Act and got it passed but the implementation of it not only depends upon the Government machinery but also upon the society as a whole. The caste Hindu priests and those who call themselves as superior should all realise that if any section of the society remains backward, to that extent the country is backward. Therefore, it is their bounden duty to see that this blot is removed as early as possible.

So far as that is concerned, I leave this to the rest of the population who do not come under the category of the untouchables. If the untouchability is observed more in the villages, that is because of their ignorance and age-old traditions and customs. I would say that they have no bad intentions. They really did not understand the implication of it. The fact remains that the educated section should not have at least observed it. The educated scheduled castes and tribes and officials feel the intensity of the caste system.

Therefore, I request the Government to see that in government offices if any officer treats these people as untouchables or condemn them, that should be investigated by officer and that the erring officials get punishment. While all this Government accommodation by the Housing Board and by the Trust or by Delhi Municipal Corporation for government servants, certain quarters are reserved for these scheduled castes and tribes people so that they may not find it difficult to get quarters. A certain quota of quarters must be reserved for them. I find that the class IV servants are not even allowed to take water from the pot kept in a section in the Central Secretariat. If this is the situation, what would be the situation in the villages. You can imagine that. I leave it at that stage.

Now I come to another point. That is about the atrocities committed on the Harijans and Adivasis. Atrocities are committed on untouchables because they resist the injustices perfected on them.

[Shri B. Rachubhai]

Bonded labour was abolished. Prior to that they were exploited. Lock at the prison (detention). When the landlords want to evict them, they resist and then the clash starts. Fourthly, when they want to rape the Harijan women and if our people resist then it starts. Then similarly in the case of students living in the hostels and the officials living along with them, if they resist any injustices, atrocities are committed on them. When Harijan people go to the open wells or ponds for drawing drinking water, they are treated with contempt and atrocities are committed on them. If they are really offenders, instead of taking action under law, the caste Hindus have taken law into their own hands and encouraged Bhandokharis to shoot them at sight and the Govt. have not taken care and the investigations are not properly made. They are going scot-free. That is the position. The hon. Home Minister of India will have to show a special interest and sympathy for these people and see that their life and property and their human dignity are protected. It is with this intention I am mentioning this and not with any other intention of defaming the image of the Home Minister. It is only with this idea in mind that I had to move that privilege motion on Belchi atrocities on Harijans.

Once again, I come to these atrocities. Wherever these atrocities are committed, there should be some special squad and some investigation authority. I mean there should be some people from the Central Bureau of Investigation from here so that they may get the information from all over the State wherever such incidents happen and then action should be taken. Then alone they will feel secured under the present Government.

With regard to economic upliftment, the Government for the last 30 years, have tried to give some economic aid, land grants, sites, etc. particularly with regard to the educational facilities for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Central Government has been giving post-matric scholarship for all the Scheduled Castes and Scheduled Tribes students whose parents' income does not exceed Rs. 750 00 per month.

There comes the trouble. Even an ordinary class III official, if you include all his emoluments, will be getting Rs. 750 00. Therefore, a girl or a boy student coming from the Scheduled Castes and Tribes should be given post-matric scholarship irrespective of the income of the parents. Earlier, education had been left to the state governments and due to paucity of funds the state

Governments have not been able to provide sufficient funds for giving scholarships to students and providing hostel facilities for pre-matric students who are studying all over the country. Since education is a concurrent subject, now, Centre should come forward to give them more financial assistance so that every boy and girl who is studying in any class gets one or the other concessions so that he or she may pursue her studies. There have been a lot of drop outs in the pre-matric classes. I want this to be taken seriously and the Minister should give his thought to this matter.

With regard to students in extra-mural technical courses and the training given. I want their quantum and quality to be improved so that we will not be able to say that candidates are not available for various jobs. In universities, Central universities, central schools and aided schools, reservations are not being made. Unless we enable these students to get into high standard schools, they will not be able to compete with the general candidates in the competitive examination. It should be the policy that in all the central schools which are meant for the elite, Scheduled Castes and Scheduled Tribes students should get admissions. Under article 340 there is a provision for reservation in the Lok Sabha and State assemblies but not in the Rajya Sabha or in the legislative councils. Similarly, in some local elective bodies, the reservations are going to end in 1980. Some members on the other side said that nothing had been done, I do not accept that, many things had been done still a long way is there to come to the level of others. Therefore, this political reservation in favour of Scheduled Castes has to continue and be extended till at least the 20th century, otherwise we will not be able to be elected to these bodies to express our views on behalf of the Scheduled Castes and Tribes so this has to continue not only in the Lok Sabha but also made applicable in the Rajya Sabha and legislative councils also. I want that it should be implemented in all the autonomous bodies like the Udon Public Service Commission, the Railway Service Commission, the Banking Commission, etc. which are recruiting bodies. From the Parliament down to the panchayat, I want the Political reservations to be continued in favour of Scheduled Castes and Tribes, so that we may feel that we are in the main stream of development.

With regard to service safeguards, reservation is made in favour of Scheduled Castes and Scheduled Tribes only in direct recruitment. Recently, they

have made reservations with regard to promotional vacancies upto class I. I want this to be extended to the other classes. In respect of this I have made a note and if you permit me I shall mention some points in regard to this recommendation. Reservations are made under articles 16(4) and 335. But in addition if the Government feel that this class of people are not adequately represented in any class of services, nothing prevents them, even without referring to the UPSC or the state public service commissions, to make adequate appointments under article 320(2)(b). A crash programme has to be prepared for filling up the backlog of scheduled Castes and tribes. Therefore, reservations have to be calculated on the total strength of the services in each category. Then alone we will be able to get some justice. I request the hon. Minister to see that orders governing reservations are issued according to the recommendations made. There is no impediment, according to the decision of the Supreme Court, to increase the quota of 15% and 7½% in the way of reservations in favour of these sections. In UPSC and in some service commissions in the states, we have got certain representation; in other states we do not have representation in such commissions for selecting candidates.

13.00 hrs.

I want some reservation in all these policy making and selecting bodies. In some of the States, class IV, class III and even class II have been taken away from the purview of the Public Service Commission. There are selection committees and recruitment committees. Unless we are represented in these committees, we will not be able to do justice.

In article 335, that phraseology 'consistently with the maintenance of efficiency of the administration' comes in the way. Many persons who are sitting in the selection committees and the screening committees have a preconceived idea that all the scheduled caste and scheduled tribe candidates who appear before them are incompetent and inferior. This kind of mental attitude has to be changed. For the reasons, I am giving, I want that phraseology to be removed, under article 335 in many services there are no representation at all. Is there 100% efficiency? My friend has mentioned that only 3% belong to SC in class I, 4.5% in class II and 11% in class III. I would like to ask whether they alone contribute to inefficiency?

Why should they attribute this to this class of people. This mental outlook has to be changed. Therefore, in article 335 that phraseology has to be removed, because it is coming in the way of the selection of scheduled caste and scheduled tribe candidates.

I have no objection to have a competitive examination, after giving them training and then selecting them for the vacancies which are to be filled up through promotion.

MR. SPEAKER : There are large number of speakers.

SHRI B. RACHAIAH : In the conference of the Chief Ministers of the States, presided over by Shri Om Mehta, they passed a resolution that in the general sector, they must reserve about 18% of the amount for the development of this class of people in the general sector, that is, some additional amount has to be made available for the benefit of this class of people. Unless this is done, whatever amount is provided for the upliftment of this class of people, it will only be a drop in the ocean. Therefore, this resolution which has been passed by the Chief Ministers of the States will have to be implemented. In the diversification of jobs, we are claiming certain safeguards. There are several other sectors, wherein we have not had any benefit out of them. But for taking advantage of those sectors, some training has to be given to all those people who are interested in business and who are interested in other avocations and they should be taken care of. Whether all the safeguards have been implemented properly or not, as the other friend has suggested, a watchdog machinery has to be set up. If these safeguards had not been implemented properly, then proper action has to be taken against those who err. With these few remarks, I conclude by saying that all the recommendations of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes will have to be implemented.

Lastly, Sir, the post of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is now sought to be combined with the post of Commissioner for religious minorities. That would be big job for a single individual to do justice to both the classes of people. The other day, Mr. Banatwala had mentioned it clearly. So, I end rise what he has said. There should be a separate Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes with more powers to see that the safeguards are implemented properly. With these few remarks I conclude. I once again thank you for having given me an opportunity.

13.05 hrs

[Mr Deputy Speaker in the Chair]

श्री चांदराम (सिरसा) उपाध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट जो हमारे सामने है—यह 1971-72, 1972-73 और 1973-74 की है और इन पर हम 1977 के मध्य में विचार कर रहे हैं। जब मैं कांग्रेस में चेज की तरफ से हरिजनों पर की गई एट्रैसिटीज के बारे में कुछ मगरमच्छ के घ्रासुओं की बात सुनता हू तो मुझे हैरानी हाती है कि इतनी पुरानी रिपोर्टों पर भी वे अपने दौर में इस पार्लियामेंट में बहस नहीं कर सकते। उन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे अपनी टुकमन का इन रिपोर्टों पर बहस के लिये मजबूर करते। आज इन रिपोर्टों पर चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वे इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि इन पर चर्चा करना निरर्थक है, बेमानी है। लेकिन हमारे चौधरी चरण सिंह जी उन तमाम रिपोर्टों का, जो गेडयूल्ड कास्ट्स और गेडयूल्ड ट्राइब्स कमिशनर ने अब तक दी हैं, बजट मेंशन के शुरू में ही इस सदन के सामने रख दिया। यह इस बात का सबत है कि हरिजन और आदिवासियों के प्रति उन के दिल में कितनी हमदर्दी, कितना प्यार, कितनी मुहब्बत है।

मुझे इस बात का बड़ा दुःख है—ऐसे व्यक्ति के साथ हमारे विराध पक्ष के लोग किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। हमारा आदरणीय गृह मंत्री जी प्रायः समाजी दयालान के हैं, वे दलिताधार में यकीन रखते हैं। जब बी० एल० डी० का पहला सम्मेलन हुआ, उस में जा प्राग्राम हमारे हरिजन भाइयों के लिये रखा गया, अगर मैं उन सारी बातों का बतलाऊ तो उस में जाहिर होगा कि हिन्दुस्तान के इस समाज के बारे में उन की क्या भावनाएँ हैं। उन्होंने पिछले दिनों बेलछी कांड के बारे में राज्य सभा में बोलते हुए साफ कहा था कि छुआछूत एक कलक है, यह एक ब्लाट है और इस कलक को हमें दूर करना होगा। भारतीय लोक दल के प्रोग्राम में जिन बातों का जिक्र किया गया था, यदि हमारे चौधरी चरण सिंह

जी को उन को पुरा करने का समय मिला, तो मुझे उम्मीद है, वे जरूर उन को पूरा कर दिखायेंगे। उन्होंने अपने प्रोग्राम में यही तक कहा था कि जो लोग इन्टरकास्ट मैरिज करेंगे, क्लास 3 और क्लास 4 (नान-गेटेड पोस्ट्स) में उन्हीं लोगों को लिया जायगा—इस में आप समझ सकते हैं कि जाति-प्रथा के वे किस हद तक खिलाफ हैं। उन्होंने कहा—हरिजनों के लिये सैप्रेट मिनिस्ट्री होगी। मेरे हाथ में यह बी० एल० डी० का प्रोग्राम है—मैं आप का पढ़ कर सुनाता हूँ—उन्होंने कहा था

"The Bharatiya Lok Dal will pay special attention to the upliftment of Harijans and Scheduled Castes and Tribes to whom justice has been denied for long. As atrocities recently committed on the Harijans and Adivasis all over the country have shown mere enactment of legal and constitutional provision is not adequate. Positive steps will have to be taken to ensure that the law is actually implemented."

"So far as their economic welfare is concerned while all cultivable land fund surplus as a result of ceiling or surplus to the needs of a village community or sector may be allotted to Harijans and Adivasis, it must not be forgotten that the ultimate solution of their economic and social problem will depend on the development of non agricultural resources and a change in our mental attitudes or a transformation of our national psychology. However as an interim measure the Bharatiya Lok Dal proposes that 20 per cent of job are reserved in all factories, both in public and private sector, as also of the permits or licences in the gift of Government which do not require any technical skill to exploit shall be reserved for members belonging to these suppressed sections of our society. The minimum qualifying marks for admissions to higher and technical education shall be lowered by 10 per cent for Harijans and Adivasis. The Harijans and Adivasis problem is a national problem. To tackle it, the Bharatiya Lok Dal will create separate ministry both at the centre and State levels. Educational institutions bearing caste names will not be given Government aid."

"The Bharatiya Lok Dal stands for the abolition of caste within a stipulated time. This step will restore to the Harijans their rightful status in society, the deprivation of which has

rankled to bitterly in their hearts for centuries."

Further, through legislation, propaganda and education, the Bhartiya Lok Dal will try to eradicate all customs and practices that go counter to the principles of social equality."

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस मामले का इसलिए जिक्र किया क्योंकि आज के जो होम मिनिस्टर हैं, जिन के जिम्मे शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ऐसे ही गरीब लोगों के उत्थान का कार्यभार है और जो जनता पार्टी के हमारे प्रमुख नेता हैं, उन को इमेज का खराब करने की कोशिश पिछले दिनों में की जा रही है और लगातार कोशिश की जा रही है। मैं इसलिए यह कह रहा हूँ कि प्रभो पिछले दिनों हिन्दुस्तान टा म्स और इण्डियन एक्सप्रेस में बेचका इमीडेंट के बारे में घिनोना प्रचार हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि उस समय हमारी जनता पार्टी की गवर्नमेंट वहाँ पर नहीं थी और वहाँ पर जो गवर्नर राष्ट्रपति शासन में थे, वे कांग्रेसी गवर्नर थे और उन्होंने जो उस इमीडेंट की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भेजी, उसी का होम मिनिस्टर साहब ने पढ़ दिया। इस पर हमारे कुछ साधियों का कुछ हुआ और उन्होंने इसके बारे में कहा और रिपोर्ट दी। मुझे हैरानी है कि इस में गैम लोग शामिल हैं जो कांग्रेस में वर्षों तक रहे और 10, 15 साल तक पार्लियामेंट में भी रहे हैं और जिन्होंने पहले कभी इस के बारे में कुछ नहीं कहा। आज वे कहते हैं कि होम मिनिस्टर साहब हरिजन विरोधी है।

हमारे पास यह रिपोर्ट है, जिस में एट्रोसिटीज की 30 वर्ष की कहानी है। मैं इसमें ज्यादा जाना नहीं चाहता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और बीकर सैक्शन्स की मदद के कारण ही कांग्रेस पावर में रही है और जब उन्होंने मुख मोड़ लिया तो कांग्रेस घराबायी हो गई। मैं पूछना चाहता हूँ कि 30 साल तक कांग्रेस सरकार ने इन लोगों

के लिए क्या किया। उस वक़्त धरम इन पर अत्याचार होते थे तो ये बोलते नहीं थे और चुप रहते थे लेकिन धरम बेलची में यह इसीडेन्ट हो गया, तो आज ये लोग उन के लिए हमदर्दी दिखा रहे हैं। बेलची में जब यह कांड हुआ, तो वहाँ पर हमारी सरकार द्वारा एक्शन लिया गया और अधिकारी को सस्पेंड किया गया। कांग्रेस सरकार के जमाने में जो ये सारी बातें होती थीं, तो उस वक़्त ये लोग चुप रहे। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे साथी का यह मेगजीन निकलता है और उस में यह दर्ज है कि 10 सालों में मन् 1966 से लेकर 1976 तक किननी एट्रोसिटीज हरिजनों पर हुई। 40 हजार घटनाएँ हुई हैं और कांग्रेस राज्य में हुई हैं यानी चार हजार घटनाएँ फी साल के हिसाब से एट्रोसिटीज होती रही है और ये उस समय चुप रहे। उस समय के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर हरिजनों के विरोधी नहीं थे? आज जब यह इसीडेन्ट हो गया है, तो यह कहते हैं कि चौधरी साहब हरिजनों के विरोधी हैं। जिन सूबों में, जिन राज्यों में हरिजनों के खिलाफ जो ये इसीडेन्ट्स हुए हैं, उन के आँकड़े में आप को पढ़ कर मुताना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, टोटल इमीडेंट्स जो हिमा के हरिजनों के बारे में हुए हैं वे 1973 में आंध्र प्रदेश में 27 थे और सन् 1977 में बे. 91 हो गये। बिहार के अन्ध 1973 में 18 थे और 1977 में, जब हमारी पार्टी का राज्य आया, तो 213 हो गये यानी हमारी गवर्नमेंट के बनते समय वहाँ पर इतने इसीडेन्ट्स हो चुके थे। हरियाना में 1973 में 7 थे जो कि 1977 में 10 हो गये और कर्नाटक में 1973 में 61 थे जो कि 1977 में 115 हो गये।

केरल में इसी तरह से 1973 में जहाँ कोई इसाडेन्ट नहीं हुआ था वहाँ 1977 में 24 हो गए। आप देखें कि वहाँ भी पी आई और कांग्रेस का मिला जुला राज्य है। अगर क्वाटरली इसीडेन्ट्स को देखें तो कांग्रेस का जहाँ राज्य है वहाँ आप पाएँगे कि इस तरह

[श्री वादराम]

के इंसीडेंट्स की तादाद ज्यादा बढ़ी है। आप आप्र को लें। वहां 1976 के फर्स्ट क्वार्टर में 25 इंसीडेंट हुए थे और दूसरे में 54 जबकि 1973 के फर्स्ट क्वार्टर में 47 और दूसरे में 44 हुए। अब आप बिहार को लें। 1976 के फर्स्ट क्वार्टर में वहां पर दस हुए थे और इसके मुकाबले में 1977 के फर्स्ट क्वार्टर में जबकि वहां पर राष्ट्रपति का यानी कांग्रेस का राज्य था 122 हुए और 1977 के दूसरे क्वार्टर में जब कि वहां पर जनता का राज्य आया उनको सख्या घट कर 91 रह गई। गुजरात को आप लें। वहां पहले क्वार्टर में 1977 के जब कांग्रेस का राज्य था तो 324 हुए थे लेकिन दूसरे क्वार्टर में उनकी सख्या घट कर 184 रह गई।

यह जो आयुक्त की रिपोर्ट 1973-74 की है, इसमें कहा गया है

"At this juncture, it may be reiterated that economic security is the only lasting and basic solution for the emancipation of the Scheduled Castes and Scheduled Tribe. The cause of many social evils and the incidents of harassment and atrocities has been mainly the economic dependence of these communities on the better off people in the society. It is this economic dependence, coupled with the present socio-economic system that breeds exploitation of man by man."

अब इसकी रोशनी में पिछले तीस साल में हमारा क्या खर्च होता रहा है इसको आप देखें। चौथे प्लान में यह कहा गया है कि पहले 18 सालों में पर-कैपिटा खर्च शीड्यूल्ड कास्ट्स पर 69 पैसे किया गया, शीड्यूल्ड ट्राइब्ज पर 219 पैसे किया गया और अंदर बैकवर्ड क्लासिस पर 115 करोड़ किया गया और इस 115 को अगर पर-कैपिटा में फैलाया जाए तो परसेंटेज बिल्कुल नैगलिजिबल आता है, कुछ भी नहीं बनता है। यह चालीस परसेंट पापुलेशन की कहानी है।

आज जल्द इस बात की है कि इनको इकोनॉमिक सिम्योरिटी प्रदान की

जाए। उसके लिए आपने क्या किया? लैंड प्राबलैम की बात की जाती है। फर्स्ट प्लान के भांके आप देख लें। पांच करोड़ एकड़ जमीन वेस्ट थी, बजर थी। यह गवर्नमेंट लैंड थी। इसको भी आप आज तक हरिजनो को नहीं दे सके हैं। सरप्लस लैंड जो लैंड-लाइस के पास है उसको ले कर देना तो दूर रहा यह जो गवर्नमेंट लैंड थी यह भी नहीं हम दे सके हैं। लैंड सोलिंग के जितने आपने कायदे कानून बनाए उन में आपने कितने ही लूप-होल्ज को छोड़ दिया इस वास्ते वह जमीन आपका नहीं मिली, उन लोगों ने उसको बाट लिया लेकिन यह जो गवर्नमेंट लैंड थी यह भी इन लोगों को नहीं दी गई है। अब उनके पास सीलिंग से ज्यादा जमीन ही नहीं रही है और आप सीलिंग की बात कर रहे हैं। फर्स्ट प्लान का जो पहला ड्राफ्ट था उसके अंदर यह कहा गया था

It will be difficult to maintain the system in which because of circumstances certain individuals are denied the right of existence

यह आपने 1957 के अंदर कहा था। 1958 में जमीन के बंटवारे के बारे में रेजोल्यूशन आया। पंडित नेहरू ने उसका समर्थन किया। उस रेजोल्यूशन में जमीन की तकसीम के लिए यह कहा गया था कि एक साल में इसको तकसीम कर दिया जाएगा। हमने कहा था कि एक साल में नहीं कर सकेंगे। यह भाल इंडिया कांग्रेस कमेटी का रेजोल्यूशन था 1958 का और आज 22 साल हो गए हैं अभी तक कुछ नहीं हुआ है और यहां आप आसू बहाते हैं। खुद कमीशन ने माना है and gives social status

हमने हरियाणा में 1956 में कानून बना दिया था कि जितनी गवर्नमेंट लैंड या नवल लैंड है एक एक इंच

शैड्यूल्ड कास्ट्स को दे दी जाए। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं दूसरे राज्यों में ऐसा किया गया। वहाँ उनको एक इंच जमीन भी नहीं दी गई है। उनकी आपने इज्जत को बचाना है, उनकी लड़कियों की आबरू को बचाना है तो उसका एक ही तरीका है और वह यह है कि चाहे आप एक एकड़ जमीन उनको दें, लेकिन जमीन आप उनको दें और अगर जमीन नहीं दी जाएगी तो कम से कम गांवों में उनका सोशल स्टेटस नहीं सुधर सकेगा।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक फैसला हुआ था और यह अपने फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं करा पाये। 26, 27 जुलाई, 1962 को एक फैसल हुआ, भाल इंडिया हरिजन वेलफेयर कान्फेंस हुई थी और उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री होम मिनिस्टर थे। यह फैसला दो दिन की डिस्कशन के बाद हुआ। एक स्पेशल सैक्टर है हरिजनों के लिए और एक जनरल सैक्टर।

MR. DEPUTY-SPEAKER : You have to wind up. I have given you enough of time. I think I have given you more than six minutes extra. There are 17 names from the Janata Party.

श्री बाबू राम : उपाध्यक्ष महोदय, स्पीकर साहब ने 20 मिनट एक एक स्पीकर को दिए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हरेक आदमी को यही कहना पड़ेगा। आपके बाद 70 नाम हैं, जनता पार्टी की तरफ से। हरेक को 10 मिनट दिया है। आप अब बैठिए।

श्री बाबू राम : मैं भी इस ही बांडू करता हूँ।

मैं यह कह रहा था कि 26, 27 जुलाई, 1962 का फैसला है, जब जनरल सैक्टर में कोटे में, परमिट में, इंडिविजुअल आइटम में रिजर्वेशन नहीं किया है तो यह स्पून-फीडींग, चम्मच में खिलाना, इस तरह से भला होने वाला नहीं है।

तीसरी बात यह है कि जब तक संपरेट मिनिस्ट्री नहीं होगी, नेशनल बैंकों में स्पेशल रिजर्वेशन नहीं होगी, लाजमी तौर पर इनको फायदा नहीं दिया जायेगा, तब तक यह नहीं होगा।

आर्मी की रिक्लूटमेंट के बारे में मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ। आर्मी में एक तरह से स्टेट्स होता है, फाइटींग स्प्रिट होती है। जब वह सीने पर फूल लगाते हैं तो हीसला उनका बढ़ जाता है। लेकिन अफसोस है कि पिछले 30 सालों में जब शैड्यूल्ड कास्ट्स का लड़का वहाँ जाता है तो उसकी कास्ट पूछी जाती है, उसकी फिजिकल हेल्थ और एबिलिटी को नहीं देखा जाता है। उसको कहा जाता है कि तुमको भर्ती नहीं किया जायेगा। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक रिजर्वेशन का सवाल है पंजाब में हमारे वक्त में जो आर्डर थे, 1963 में जो प्रोमोशन आर्डर हुए थे, उनको मेंटर में भी लागू कर दिया जाये।

मैं इसके साथ आपका श्रुति करता हूँ और साथ ही साथ उम्मीद करता हूँ कि जैसे हरियाणा और पंजाब में हरिजन फाइनेंस कापॉरेशन कायम किया गया है, इसी तरह से भाल इंडिया बैंक पर आप भी हरिजन फाइनेंस कापॉरेशन बनायेंगे जिससे हरिजनों और आदिवासियों को सुविधा मिले।

श्री रामजी लाल सुक्ल (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित

[श्री रामजी लाल सुमन]

जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है, यह खुशी की बात है। मैं मान्न इसे रस्मी अदायगी ही मानता हूँ।

सविधान के अनुच्छेद 340 के तहत इसका गठन और अनुच्छेद 338 के तहत आयुक्त की वार्षिक रिपोर्टें गृहमन्त्री के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती हैं। जब कभी इस पर चर्चा हुई है, संबंधित मंत्रियों ने लम्बे-चौटे बयान दिये हैं और यह वादा किया है कि आगे आने वाले समय में हरिजनो की दशा में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए सरकार कदम उठायेगी। लेकिन इसके बाद वायदा को भुलाने का काम बड़े पैमाने पर हुआ है।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब तक एस कमिशनर का और इस संगठन को कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक इस संगठन के माध्यम से कुछ होने वाला नहीं है। जहाँ तक हरिजनो की दशा का सवाल है, हिन्दुस्तान की आजादी में पहले एस देश में सम्मान्य नेना आ० अम्बेडकर कहन थे कि हिन्दुस्तान की आजादी के दो रूप होंगे। एक आजादी का आन्तरिक रूप और दूसरा बाह्य रूप। अंग्रेजों के चले जाने के बाद हम देश में सामाजिक परिवर्तन नहीं हुआ। इस देश से छुआछूत और गैर-बराबरी नहीं मिटी। हिन्दुस्तान में किंचित मात्र भी आजादी का मतलब नहीं है। उनका कहना था कि जातिहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना के बिना स्वराज्य प्राप्ति का कोई मतलब नहीं है आ० अम्बेडकर क्या करते देश की आजादी के बाद जो कुछ हुआ है, आप जानते हैं। हमारे अन्य मित्रों ने भी आपके सामने धाकड़े पेश किए। मैं भी कुछ

धाकड़े पेश करता हूँ— 1970 में शङ्क्यूल्ड कास्ट के 2 34 परसेंट रिज-वेंशन और शङ्क्यूल्ड ट्राइब्ज में 0 4 परसेंट। सैकिड क्लास में शङ्क्यूल्ड कास्ट में 3 84 परसेंट और शङ्क्यूल्ड ट्राइब्ज में 0 39 परसेंट।

इसी तरह 1971 में फर्स्ट क्लास में शङ्क्यूल्ड कास्ट्स 2 58 परसेंट और शङ्क्यूल्ड ट्राइब्ज के 0 41 परसेंट। सैकिड क्लास में शङ्क्यूल्ड कास्ट्स के 4 06 परसेंट और शङ्क्यूल्ड ट्राइब्ज में 0 43 परसेंट इत्यादि इत्यादि। अगस्त में 1974 में जब हम लोग पहुँचते हैं तो यह क्लास-1 में शङ्क्यूल्ड कास्ट्स के 3 59 परसेंट और शङ्क्यूल्ड ट्राइब्ज के 0 65 परसेंट है। यह उस समय का डायनमिक लीडरशिप का कृतज्ञ राष्ट्र बना रहा है इन्दिरा जी के स्वर्णिम दस वर्ष में। इन स्वर्णिम दस वर्षों में जो कुछ हुआ है, उस के धाकड़े मैं आप के सामने पेश कर रहा हूँ।

मैं एक प्रैस काफ़ेंस में कहा था कि विगत शासन ने जो कुछ किया या नहीं किया, उस को दोहराने की आवश्यकता नहीं है, अब तो महत्व इस बात का है कि हम क्या करना चाहते हैं।

पहले कांग्रेस के लोग राष्ट्रीय नेतृत्व को लाइन में महात्मा गांधी, श्री लाल बहादुर शास्त्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाम भी जोड़ते थे। कल तक वे लागू कहते थे कि भारत ही इन्दिरा है और इन्दिरा ही भारत है। लेकिन अब वे श्रीमती इन्दिरा गांधी का उल्लेख तक नहीं करते हैं। मैं उन के बारे में

कोई शिकायत नहीं करता हूँ, मैं केवल एक शेर कहना चाहता हूँ :

नहीं शिकवा मुझे कुछ बेवफाई का
तेरी हरगिज़,

मिला जब हो अगर तूने किमी मे
भी निभाई हों ।

तथ्य तो यह है कि उन लोगों ने दस देश में हरिजनों की दशा में ग्राम-बूल परिवर्तन लाने की दिशा में कोई कार्य नहीं किया ।

हमारे देश में हरिजनों और आदिवासियों के लिए जो होस्टल है, उनमें काम करने वालों को अभी भी 45 रुपए प्रति-मास वेतन दिया जाता है । मैं पूछना चाहता हूँ कि आज की स्थिति में इतने वेतन पर कौन मजदूर काम करेगा ।

हरिजन और समाज-कल्याण विभाग के हरिजन अधिकाधिकारों के लिए न टेलीफोन की व्यवस्था है और न वाहन की, जब कि अन्य सब विभागा के गेजेटिड अफसरों को ये सुविधायें दी जाती हैं ।

जहाँ तक एजुकेशन का सम्बन्ध है, 1971 की जन गणना के अनुसार देश में सामान्य साक्षरता 29.35 प्रतिशत थी, मगर उस की तुलना में हरिजनों और आदिवासियों की साक्षरता क्रमशः 14.71 प्रतिशत और 11.29 प्रतिशत थी । आज देखा जाता है कि आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० आदि बड़े बड़े पदों में हरिजनों और आदिवासियों के प्रतिनिधित्व के बारे में तो बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन इन वर्गों के लिए नीचे की शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । इसलिए

यह आवश्यक है कि उनके लिए नीचे की शिक्षा के सम्बन्ध में समुचित सुविधायें उपलब्ध की जायें ।

विभिन्न राज्यों में हरिजनों के विभिन्न नाम हैं । कोई जानि कही तो बैकवर्ड क्लासिज में गिनी जानी है और कहीं शड्यूल्ड कास्ट्स में । मैं समझता हूँ कि जब तक हरिजनों के स्वरूप में राष्ट्रीय एकरूपता नहीं लाई जायेगी, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा । 1951 के बाद दिल्ली में जो हरिजन आये हैं, उन्हें शड्यूल्ड कास्ट्स का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है ।

जहाँ तक आवास का सम्बन्ध है, अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए पहली पंचवर्षीय योजना में 20,370 मकान, द्वितीय पंचवर्षीय यात्रना में 150,640 मकान और तीसरी पंचवर्षीय योजना में 47,539 मकान बनाये गये । इसके लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में 277.60 लाख रुपए तथा 69.28 लाख रुपए दिए गये । प्रति-मकान सहायता 200 रुपए में ले कर 500 रुपए तक दी गई । लेकिन आज हिन्दुस्तान में 200 रुपए में कोई झोपड़ी भी नहीं बन सकती है । हम ने देखा है कि घोषणायें तो हरिजनों के उद्धार और कल्याण का होता रहती हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें गुमराह किया जाता रहा है ।

आज देश में विभिन्न वर्गों में एकरूपता और समन्वय स्थापित करने की जरूरत है, लेकिन हरिजनों की कालोनीज दूसरी बस्तियों से अलग बनाई जाती है, जिससे अलगाव की भावना को बढ़ावा मिलता है । इस तरह

[श्री रामजी लाल सुमन]

विगत दिनों में हरिजनों को बाकी समाज से अलग करने का काम किया जाता रहा है।

जहाँ तक दिल्ली विकास प्राधिकरण का सम्बन्ध है, एन० डी० एम० सी० ने कनाट प्लेस के पास कुछ दुकानें बनाई, लेकिन हरिजनों के लिए 22 परसेंट रिजर्वेशन होते हुए भी उन्हें एक परसेंट दुकान भी नहीं दी गई। माननीय सदस्य, श्री चांद राम तथा अन्य सदस्यों के प्रयास से इस बारे में कुछ हो सका है।

मेरा तात्पर्य यह है कि जब तक सरकारी घोषणाओं को भ्रमली जामा नहीं पहनाया जायेगा, तब तक हरिजनों की समस्याएँ हल नहीं हो पायेंगी।

शराब के बारे में हमारे यहाँ अजीब हालत है। हमारे देश में दो सरकारी विभाग काम करते हैं, एक शराबकारी विभाग और दूसरा शराब उन्मूलन विभाग। एक विभाग कहता है कि लोगों को अधिक से अधिक शराब पिलाओ और दूसरा विभाग कहता है कि शराब पीना राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लिए अहितकर है। शराब का जहाँ तक मवाल है अनुसूचित जाति और अनुसूचित क्षेत्रों में शराब की बिक्री से राज्य सरकारों का राजस्व कई गुना अधिक हो गया है। 1950 में 1960 के बीच यह राजस्व बहुत अधिक नहीं बढ़ा है लेकिन 1960 से 1970 के बीच यह बढ़ कर पहले की अपेक्षा तिगुना हो गया है। तो शराब से लोग मरें चाहें ज़िन्दा रहें जब सरकार को आमदनी होती रही है तो सरकार तो शराब पिलाने का काम करेगी। हमारी सरकार जो गांधीवादी उसूलों की प्रतीक है, जिसका नेतृत्व मोरारजी भाई जैसे गांधीवादी करते हैं, उनको यह देखना चाहिए, यह बड़ा गंभीर विषय है और प्रागे प्रागे वाले समय में पूरी शराबबन्दी के लिए हमारी सरकार को जरूर कदम उठाना चाहिए। बरना तब तक हिन्दुस्तान में हरिजनों की दशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

जहाँ तक शिक्षा और लोक स्वास्थ्य का सवाल है बिहार में दो मील से पांच मील तक लोग पानी के लिए जाते हैं। 40 करोड़ रुपया जल के लिए रखा गया है। विचार था कि चौथी पंचवर्षीय योजना में 5223 सामुदायिक विकास खण्डों में से प्रत्येक में एक स्वास्थ्य केन्द्र तथा एक उपकेन्द्र खोले जाएंगे और डाक्टरों की नियुक्ति की जायगी। लेकिन इस स्वास्थ्य योजना के लिए 500 रुपये से लेकर 1 हजार तक एक वर्ष में खर्च होगा। पांच सौ रुपया एक बड़ा आमदमी दवा पर एक दिन में खर्च करता है और इस योजना के लिए जो स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएंगे उनमें पांच सौ रुपये से 1 हजार तक पूरे वर्ष में खर्च किया जायगा।

इस देश में जो घोषणा की गई और जो कुछ होता रहा उस में बराबर अन्तर रहा। कबनी और करनी में एकरूपता कभी नहीं रही। बराबर हम लोग यहाँ जो कहते रहे उसको भ्रमली जामा पहनाने की कोशिश सरकार ने नहीं की।

एक बात मुझे कहनी है भूमि कृषि तथा वन के संबंध में। भूमि सुधार की बात कही जाती है। जब तक भूमि सुधार नहीं होगा और जमीन के बारे में गंभीरता से हम नहीं सोचेंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं पूरी तरह यह मानता हूँ कि न उस तरफ के सब लोग खराब थे और न हमारी पार्टी के सब लोग हर्षिचन्द्र हैं। वोट की राजनीति का जब सवाल आता है तो हम लोग बड़े लोगों के साथ एडजस्टमेंट करते हैं और बड़े लोग जो दोनों तरफ के हैं वे जमीनों पर कब्जा किए हुए हैं। आज भूमि सुधार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मंगलदेव विशारद के संयोजकत्व में उत्तर प्रदेश में एक कमेटी इसके लिए बनी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। उसने कहा कि श्रमिक श्रमिक लोगों ने जमीन पर गलत रूप से कब्जा किया हुआ है। उस पर मंगलदेव जी को कांग्रेस से निकाला गया और जेल में बन्द किया गया। आज सीमाध्य से वे हमारी पार्टी की तरफ से पॉसिबलमेंट के

मेम्बर हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सब से बड़ी जरूरत आज इस बात की है कि जिन लोगों ने जमीन पर जबर्दस्ती कब्जा किया हुआ है, गलत तरीके से जिन लोगों ने भूमि की जो अधिकतम सीमा है उससे अधिक भूमि पर कब्जा कर रखा है उन लोगों से भूमि ले कर हरिजनों में बांटी जाय। जब तक यह नहीं होगा तब तक इस देश की व्यवस्था में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा।

जहाँ तक अन्टवेबिलिटी की बात है इस देश में कुछ भी हो, मैसूर में आज भी कुछ विद्यालय ऐसे चलते हैं जिनमें यह लिखा हुआ है कि इनमें सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ सकता है। उस की आचार संहिता में यह है। यह देश के लिए एक बड़े कर्णक की बात है। मेरा कहना है कि जब तक इस देश में अन्तरजातीय शादियाँ नहीं होगी तब तक यहाँ से छुआछूत नहीं मिटेगी। हमारे एक मित्र थे जो बड़ी लम्बी चोटी बातें करते थे लेकिन लड़की के संस्कार जब तक नहीं मिले तब तक शादी नहीं की। अब चौधरी चरण सिंह जी के बारे में लोग कुछ भी कहते हैं लेकिन मैं उनकी बड़ी इज्जत करना हूँ। उन की दोनों लड़कियों ने अन्तरजातीय शादी की। अगर पार्लियामेंट के मेम्बर यह प्रतिज्ञा करें कि हम आगे आने वाले समय में अपने लड़के लड़कियों की अन्तरजातीय शादी करेंगे तो हिन्दुस्तान की जनता के लिए वह एक आदर्श हो सकता है। लेकिन यह हम लोग नहीं सोचते। भाषण लम्बे लम्बे करेंगे लेकिन अपना काम जो हम कर सकते हैं उसे करने का हमारे सामने कोई मवाल ही नहीं है।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि हरिजनों को ज्यादा से ज्यादा मुविधाएं मुहैया की जानी चाहिए। जहाँ तक रिजर्वेशन का सवाल है आगे आने वाले समय में उन के सामाजिक उत्थान के लिए रिजर्वेशन को और बढ़ाना चाहिए। डा० राम मनोहर लोहिया एक बात कहते थे कि हिन्दुस्तान के लोगों, लोक सभा और विधान

सभा के माध्यम से कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, अब हिन्दुस्तान के चौराहों को गरमाने की आवश्यकता है। तो जहाँ आज हिन्दुस्तान में हरिजनों के लिए जरूरी है कि वे सामूहिक और संगठित रूप से देश में इस बात के लिए मांग करें वहाँ सरकार का भी यह प्रयत्न होना चाहिए कि सरकार उन्हें अधिकतम संरक्षण दे। जब तक सरकार संरक्षण नहीं देगी तब तक उनका सामाजिक स्तर ऊंचा नहीं उठेगा। सरकार उनको संरक्षण दे और इतना दे कि आगे आने वाले समय में वे खुद यह कहें कि हमें अब इसकी जरूरत नहीं है।

माकी गई बहार रही दिल में हवन।

१ मित्रों से जाम दे और मैं कहूँ कि बस।

आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से हरिजनों का कल्याण होगा इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

PROF. DILIP CHAKRAVARTY (Calcutta South): Since the last 28th of July, we were expecting to participate in this discussion and it is an irritating experience for a new Member to go on waiting to speak on this subject. It was not known as to when the turn will come.

I offer my sincerest thanks to the hon. Home Minister for bringing these Reports.

I learn that during the last decade or so these reports were never considered by Lok Sabha. That bore testimony to the sincerity of the previous Government and that was how they were concerned with the welfare of scheduled castes and tribes.

Sir, the scheduled caste constitute about 15% of the country's total population their number is 80 million. What is their occupational pattern? 41% of them are engaged in cultivation as cultivators while 37% are engaged as agricultural labourers. Only 6% are engaged in industries and 2.39 lakhs are engaged in dairying. 3.87 lakhs are working as sweepers. What was the position even thirty years back? I know I was staying in a town in Assam where the scheduled castes and tribes people used to be captured by Govern-

[Prof. Dilip Chakravarty]

ment and the agents brought them to new places and placed them in colonies as scavengers. Has the situation altered basically?

My understanding of the situation is this. Outside this House, in our society the outlook has not changed basically. It is not a question of this Government or that Government. It must be brought from the higher plane. I was listening to the very excellent speech made by Shri Hitendra Desai from the Opposition Benches. He really sees the tone of this debate and I thank him for that.

Incidentally, I am expressing my own views. I feel that it was not Indira Gandhi who initiated a discussion or started a new process in the country to remove the disparity. As is commonly known, it was the Indian National Congress which has been urging this refrain at least since the adoption of the resolution on Fundamental Rights in the Karachi Session held in the year 1931. Then came the Avadi session in 1955 and in Bhubaneswar in 1964 the Indian National Congress started talking about the socialistic pattern of society. That was in 1961.

Mr. Deputy-Speaker, Sir the former Prime Minister tried to create a wave—she was successful in that—Indira Wave of *Garibi Hatao*. This is a book published in the year 1973—Economics and Politics of *Garibi Hatao*, the author of that is Shri Ajit Ray, a Marxist but not belonging to any of the Marxist Party in India. He is a Marxist intellectual and he has made certain observations on the basis of his objective study. It was published, as I said, in 1973, two years after Smt. Indira Gandhi came to power with a great majority. I quote:

"But changes in the nuisances of the proclamations and declarations notwithstanding, during the entire quarter century since Independence, including the seven years of Mrs. Gandhi's stewardship and the two years of her crusade against poverty, hunger and nakedness have continued to stalk the land and take toll of human lives. The chorus of hymn to a new dawn of promise has not in the slightest degree dispelled the gloom of total helplessness in the lower depths. By resorting to individual or collective suicides, or suicides after murdering other, dependent, members of the family utterly despondent, defeated fighters against steadily encroaching and enveloping hunger continue to register their silent and docile protests against the existing order of things even to-day."

This was during 1973. Even to-day, we all know of the Belchi incident. It is not a question of a clash against a particular person. It is rather unfortunate that such things happen to-day. And they are all wed to happen.

I would be mentioning some specific incidents as mentioned in this book. They all belong to the backward classes—scheduled castes and scheduled tribes.

It was published in June 1972. I quote here the relevant portion:

"Six members of a family in the village of Majhua under Kadwa police station in Purnea district, Bihar, recently committed suicide by hanging themselves, because they were unable to get foodgrains."

"A carpenter of village Katnikol in Sheikpura thana of Monghyr district allegedly administered poison to his three children and wife on Monday last to end their misery caused by prolonged starvation. All the family died."

This was published in the *Indian Nation*, on 1st September 1972.

"An agricultural labourer (aged 30) his wife (aged 27) and three children (aged 10, 8 and 5 respectively) were found dead in the hut of a relative in Selliampalayan village near Parambalar on November 19. It is alleged that on account of poverty the worker mixed insecticide in milk and gave it to his wife three children and later drank it himself."

A large number of people has been thrown into abysmal poverty, hunger and starvation and we pass on our days merrily. That is the situation of Indian society today.

Sir, I would like to quote one more paragraph here.

"If hunger is a perennial, though stealthy, killer in India, lack of clothing and shelter may sometimes act like a mass murderer. During the cold wave that struck Northern India during the winter of 1972-73, more than 300 persons froze to death in Uttar Pradesh and Bihar alone, according to incomplete newspaper accounts. For all their preoccupation with *garibi hatao*, the powers that

that he could not even arrange public log fires for a few days to save the unfortunate half-naked destitutes."

AN HON. MEMBER : Who is responsible for this ?

PROF. DILIP CHAKRAVARTY : The authorities in the previous Government were responsible. They were trying to raise a furore in this House on the issue of the Belchi incident. It is regrettable, it is unfortunate and I join the other Members of this House for having a judicial enquiry on that incident, because what has happened is a standing testimony to the uncivilised state of things. In India our heads hang in shame. I have gone through the report of Ram Dhan Committee. It was a non-official Committee. For example, about Belchi itself, it was admitted that out of 50 or 60 criminals, only 23 could be arrested till today. Why is it that we are moving so slow ? Why is it that we cannot take expeditious steps, steps which will strike terror in the minds of those who commit such crimes, not terror in the minds of those who are helpless citizens who would like to lead a normal life ? That is actually what has happened. The Belchi incident took place on 27th of May. The villagers were so terror-stricken that they came and reported the incident only after about 7 days of the incident. So, it is not a question of accusing this person or that person. It is a question which we should consider with the seriousness that it deserves and we should all join together to see that such things never occur again. What happened to Mr. Mohan Dhar, who is now a Cabinet Minister of the Janata Government ? He raised the issue of implementing the Congress pledge in 1971, when he was the Minister in the previous Government, that is, Indira Government, and he drew the attention of the former Prime Minister to the fact that they were to pursue the programme on the basis of which they went to the election in 1971. We know the result. Mr. Mohan Dhar had to resign and he had to go to prison. Now, in spite of all that, I would like to point out one more fact. We know the result. Mohan Dhar had to resign, he was sent to prison. I should like to point out another strange thing which happened in spite of the professions of the former Prime Minister. Mr. Karunanidhi, former Chief Minister of Tamil Nadu wrote on 7-8-1975—Indira Gandhi was still in power and there was the emergency, Karunanidhi was expecting that taking advantage of the emergency provisions she could do something radical, some-

thing which would pull up the weaker sections of the community—that the Parliament session which was going on then could be taken advantage of to introduce an amendment to the constitution making it possible for the Tamil Nadu government to pass an order appointing Harijans as priests in the states' temples. I think it was a laudable proposition; you have had to do something very radical in order to hit back at conservatism of this land which dies rather hard. I am also reminded of many speeches and writings of Dr. Ram Manohar Lohia, our revered leader. Why did she fail to take such drastic steps though it was demanded by an elected state government ?

For lack of time I do not want to go into details but I may mention that in 1974, Loknayak Jaiprakash was starting his movement for total revolution. He never said that it would be the assemblies and Parliament which could bring the social change ; he wanted to rely on every individual in the land and gave a call to have a change within and start changing the society. During this period, so many incidents of oppression took place in Bihar. Congress was in power were these incidents allowed to take place because the backward classes were behind the Loknayak ? On July 3, 70 Harijan families were looted in Bihar in 1974. On March 5, 1974, 012 Adivasi was killed as a result of firing by the landlord ; on November 15, 1974, a dozen Harijan houses were attacked in Darbhanga, Bihar. On December, 2, 1974 two young Adivasis were killed. Many such cases are there.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Your time is up ; please try to conclude now, in one minute. You were to be given 10 minutes ; you have already taken 12 minutes.

PROF. DILIP CHAKRAVARTY : Being a teacher, I should like to point out the wastage in education in the case of Harijan and tribal students. Figures about utilisation of seats are given on pages 60-61 ; utilisation was 72 per cent in 1969-70 while it was 60 per cent in 1970-71. With regard to Tamil Nadu it was revealed that there was no reservation of seats for Scheduled Castes and Tribes in any of the general hostels. It is not enough to segregate them and do something for them ; it is also necessary to bring them at par with the general body of students so that they can really come up. Otherwise it will be a useless and futile exercise which many of us are indulging in, making

[Prof Dilip Chakravarty]

questions about reservations. We must have a fresh look at the situation. With these words, I thank you and hope that the government would take steps so that in future they present reports along with performance on the basis of recommendations made in the report.

SHRI GIRIDHAR GOMANGO
(K raput) Mr. Deputy Speaker, Sir, I would like to confine myself only to some recommendations. But from the discussion I have been following since one week, I can say that very few members have raised the problems of tribals. So, I will confine myself to tribal problems.

The tribal problem is different from the caste problem because the tribals live in the jungles, in the forests, whereas they live in nearby towns and the rural areas but the economic conditions are same. But the worst economic condition is still prevail in the tribals because the barter economy still prevails with them. The protection for the tribals has been given in the Constitution and there are a number of provisions which seek to protect the tribals. Still, the provisions which are laid down in the Constitution are yet to be implemented fully. Responsibility has been given to the Governors and the President of India for the protection and tribal development. They deserve more attention by the State Governments and the Central Government.

It is clear that today the development is neglected in those areas and the tribals are yet to be developed along with other population. The Action Taken reports were submitted only for 1971-72 and 1972-73. I would like to know the action taken on Dhebar Commission Report and the reports of other Committees which dealt with in detail regarding their problems. We are not discussing more about them in Parliament and the reports in the press also are not adequate. So, the attention of the Government is not given to their problems.

Sir, the most important point which I would like to state is the exploitation of tribals because they are exploited since the beginning. They were exploited in the British regime and they are exploited in the different regimes even now. The constitutional provision has been given to end the exploitation. But merely by giving the provision in the Constitution, the exploitation cannot end. The forest policy, the excise policy and other things mostly exploited the tribals in the past and it should not be repeated in the future. There are number of recommendations and discussions regarding this policy. I would like to

know from the hon. Minister categorically what steps they would like to propose to end this exploitation because the implementation part depends on the State Governments and we had experience that in different Ministries and in different States the problem still remains the same. I am not blaming the past, nor am I going to blame the present because this is the problem which has to be gone through by different Ministries.

So, I take it as a national problem and not a party problem. We had given attention to it upto the end of the Fourth Plan but the amount allocated was very meagre. But in the Fifth Plan, a new approach has been adopted by which lot of money would be flowing in these areas. A sub-plan was to be prepared and the money was required to be given by the Centre. A policy decision was taken in the National Development Council meeting that more money should flow to these areas, particularly from the Centre. All the Ministries were asked to earmark some money for these areas. Apart from that, there was special allocation made in the State plans. They were required to earmark some money from State plans. But they have not yet identified separate allocations, department wise for these areas and for the sub-plans which were prepared by different states. Only the Government of India is keenly clearing all the projects. The Centre should earmark money according to Article 275(1) of the Constitution for the development of the area and the administration and the States should be responsible for that. In the past, we had bitter experience. I would request the Minister not to repeat that in future. When the money is given, it will definitely be spent but there must be some definite programme or yardstick for that. If the money is spent without identifying the programmes, it will be a sheer waste. My friend just now said that in education, a lot of money is being spent but ultimately the result is nil. When we are thinking of developing particular area, we must bear in mind what are the main points. So the Government of India should advise the states accordingly because they are the implementing authority as they know the people and the area. But if they show the step-motherly attitude, then there will not be any progress at all.

The development of the tribal areas is the responsibility of the Home Ministry. An assurance was given by the previous Government that tribals will be protected but what has happened. Other Ministries like the Agriculture and Energy Ministries were also required to give money. I would like to know

from the Home Minister whether they have set apart some money from their budget for these areas.

We the tribals, represent different corners of the country. We are not able to place our problems because we have no voice in the Parliament. Language problem is there. They cannot speak but they can submit their points before the Minister. I would, therefore, request the Minister to call a meeting of the MPs from different tribal regions to discuss the matter in detail so that they can express their viewpoint and can give details about the development of the area which can be implemented in future.

14.00 hrs.

I do not want to take much more time. My submission is that the Government is keen for the development of rural areas and the development of backward areas—all Governments have said like, this; this Government also will say like this—but when their attitude towards the development of these areas is not changed and if they want to depart from the socialist path of development in the planning process, not only the problems for the development of these tribal areas cannot be solved but also the problems for the development of the country cannot be solved.

The tribals cannot intimate what sort of atrocities in these areas are happening. The atrocities which are happening in a nearby village or a near-by town can be known and reported. But nobody knows what atrocities are going on in the forest areas because nobody goes there. To get any information from there is time-consuming. In the end, I would request the hon. Minister to call all tribal MPs for a discussion so that we can express our view-points and, if possible we can find more time in the next session to discuss all these matters in detail.

श्री राम बिलास पासवान (हाजीपुर):
बोध्यक्ष महोदय, इस समय हम शिड्यूलड कास्ट्स एण्ड शिड्यूलड ट्राइबज कमिशनर की रिपोर्ट पर बहस कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिन रिपोर्टों पर हम बहस कर रहे हैं, वे 1970-71 से 1973-74 तक से सम्बन्ध रखती हैं, जब कि अब हम 1977 में गुजर रहे हैं। 1974 की रिपोर्ट पर बहस चल रही है 1977 में। कुछ दिन पहले मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि गवर्नमेंट की एक्शन टेकन रिपोर्ट अभी तक हमें नहीं

दी गई है। मैं जानना चाहता हूँ कि आबिहार सरकार कमीशन पर बिना मतलब पैसा क्यों बर्बाद कर रही है। इन मोटी मोटी दो किताबों की न जाने कितनी प्रतियां छपी होंगी, और इन्हें तैयार करने में न जाने कितने लोग लगे होंगे और इन पर कितना खर्च हुआ होगा। इस के बावजूद इस बात की कोई गारन्टी नहीं है कि इस बहस का कोई नतीजा निकलेगा।

कई सदस्यों ने हरिजनों और आदिवासियों की रिजर्वेशन का मामला उठाया है। मैं कुछ झांके देना चाहता हूँ, जिन से पता लग सकता है कि पिछले तीस बरस के दौरान सरकारी नौकरियों में हरिजनों और आदिवासियों की स्थिति क्या रही है। संचार विभाग में प्रथम श्रेणी में 45, द्वितीय श्रेणी में 327, तृतीय श्रेणी में 46,487 और चतुर्थ श्रेणी में 18,264 हरिजन हैं। जहां तक आदिवासियों का सम्बन्ध है, प्रथम श्रेणी में 12, द्वितीय श्रेणी में 18, तृतीय श्रेणी में 11,835 और चतुर्थ श्रेणी में 4182 आदिवासी हैं।

इस सम्बन्ध में संसद् कार्य और श्रम विभाग के झांके उपलब्ध नहीं हैं।

परमाणु ऊर्जा विभाग में हरिजनों की संख्या प्रथम श्रेणी में 28, द्वितीय श्रेणी में 17, तृतीय श्रेणी में 1061 और चतुर्थ श्रेणी में 929 है, जब कि आदिवासियों की संख्या प्रथम श्रेणी में 3, द्वितीय श्रेणी में 5, तृतीय श्रेणी में 130 और चतुर्थ श्रेणी में 160 है।

घन्तरिक्ष विभाग में हरिजनों की संख्या प्रथम श्रेणी में 4, द्वितीय श्रेणी में 7, तृतीय श्रेणी में 129 और चतुर्थ श्रेणी में 252 है, जब कि आदिवासियों की संख्या प्रथम श्रेणी में मिल, द्वितीय श्रेणी में 1, तृतीय श्रेणी में 25 और चतुर्थ श्रेणी में 25 है। गृह विभाग को देखिए इस में सुबेदार, जमादार, सिपाही वगैरह सब का पद है। निदेशक 1, उप-सचिव 1, सचिव 2, अनु-भाग अधिकारी 11, सहायक

[श्री राज बिलास पासवान]

43, उच्च श्रेणी लिपिक 23, निम्न श्रेणी लिपिक 50, आशु लिपिक श्रेणी सो 5, आशु-लिपिक श्रेणी डी 4, अनुसंधान अधिकारी 1, हिन्दो अनुवादक ग्रेड 1—1, हिन्दो अनुवादक ग्रेड 2—2, स्टाफ कार ड्राइवर 2, डिस्पैच राइडर 3, ड्राफ्ट्समैन तथा आर्टिस्ट 1, वरिष्ठ स्वागत अधिकारी 3, कनिष्ठ स्वागत अधिकारी 3, चपरासी 47, जमादार एक भी नहीं, दपतरी/सलेक्शन ग्रेड दपतरी 5, रिकार्ड साटंर 1, जूनियर गेस्टेटरन अपरेटर 1, फर्निश 7, भंगी 31, सूबेदार 1, जमादार 2, हवलदार 11, सिपाही 101, फोलोवर 1 और इन्वेस्टीगेटर एक भी नहीं। यह गृह विभाग में अनुसूचित जातियों की संख्या है।

इसी तरह एलेक्ट्रानिक विभाग है, जहाजदानी और परिवहन विभाग है, वकंस एंड हाउसिंग मिनिस्ट्री है जिस के मिनिस्टर साहब अभी यहां बैठे हुए थे, उन के विभाग में आदिवासी टोटल 1 है और हरिजन 49 हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में हरिजन 41 और आदिवासी 1 है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (गोड्डा) : 1 नहीं गिनिए, स्वीपर उस में नहीं आ सकते हैं इसलिए 1 है।

श्री राज बिलास पासवान : स्वीपर का मैं बतलाता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आप हरिजनों और आदिवासियों के दुःखद्वंद को समझ सकते हैं। 20-7-77 को पचास स्वीपर की पोस्ट्स के लिए बरीनो फॉटलाइजर डिबीजन में इन्टरव्यू हुआ और आप को सुन कर आश्चर्य होगा कि जिस स्वीपर के बारे में जगदम्बी बाबू कह रहे हैं उस स्वीपर की जगह में भी रिजर्वेशन कर दिया गया कि हरिजनों में से 7 लिए जायेंगे, आदिवासियों में से 7 लिए जायेंगे और 36 पोस्ट्स दूसरों से भर दी गई।

उसके बाद में आप को बतलाऊं आज एक नया टेक्नीक निकाला जा रहा है कि काम

होगा स्वीपर का लेकिन उस को कह दिया जायगा कि मजदूर की, लेबर की पोस्ट है और उसमें इसी तरह बहाली सिद्धी में भी कर दी गई। तो एक तरफ जहां संघी जी कहते हैं कि हम सेंट परसेंट चतुर्थ श्रेणी में और लिपिक के पदों में हरिजन आदिवासियों के लिए सुरक्षित करने जा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ यह एक नयी परिपाटी चल पड़ी है कि उस में से भी रिजर्व किया जा रहा है। तो जहां तक रिजर्वेशन की बात है रिजर्वेशन में तो वह नहीं के बराबर है।

लेकिन मैं यह कहता हूं कि आप सिकं पोस्ट को रिजर्व कर देंगे मगर उस में एक बुनियादी फर्क है। डा० अम्बेडकर को बात यहां काफी लोग बोलते हैं। डा० अम्बेडकर एक हो बात कहा करने थे कि हरिजनोंद्वारा से काम नहीं चलेगा, अत्युत्पन्न निवारण से काम चलेगा। जो हरिजन हैं, जो अछूत हैं उन को जो समस्याएँ हैं उन समस्याओं का निदान कैसे आप कर सकेंगे? आज एक तरफ आई जी हैं दूसरी तरफ सब से नीचे चौकीदार है। एक तरफ राष्ट्रपति हैं और दूसरी तरफ यहा दरबान है। दोनों में कोई तुलना है? काम अधिक कौन करता है? अधिक काम करेगा चौकीदार एक छोटा जमादार या सिपाही। चौकीदार के इलाके में चाहे इन्स्पेक्टर हो, डीएसपी हों, एसपी हो या डी आईजी, आई जी कोई भी आ जाय तो वह अपने बेटे को और अपने मां-बाप को मरता हुआ छोड़ कर उन के पीछे पीछे धूमता रहेगा। उस चौकीदार का वेतन इस महंगाई के जमाने में भी बिहार में 32 रुपये है। पहले 12 रुपये था, संविद की सरकार पहली बार आई तो 5 रुपये बढ़ाया, और फिर जब दुबारा संविद की सरकार आई 1971 में तो 11 रुपये और बढ़ाया। इस तरह कुल टोटल 32 रुपये उस को मिलते हैं और उस से कम काम करेगा दारोगा तो उस का वेतन उससे अधिक, उससे कम काम करेगा डी एसपी तो उस का उससे अधिक और उसमें कम काम करेगा एसपी तो उस का उससे

अधिक, उस से कम करेगा। बी भाई जी तो उस का उस से अधिक और भाई जी तक भाते-भाते काम नदारद और वैसे की भरमार। वह इसलिए कि चौकीदार गरीब का बेटा है, हरिजन का बेटा है इसलिए उस का वेतन कम है और जहाँ कोई काम नहीं है सिर्फ कलम घिसने का काम है वहाँ वैसे की भरमार हो जाती है।

हम लोग शिक्षा नीति के मामले में कहते हैं कि यह शिक्षा का दोष है कि एक स्कूल से कलेक्टर पैदा होता है और एक स्कूल से चपरासी पैदा होता है। जो यहाँ दरबान बैठा हुआ है हम लोग भी बटन दबाते हैं, आप भी बटन दबाते हैं तो वह फाइल ले कर दौड़ा चला जाता है। लेकिन उसका वेतन क्या है? दूसरी तरफ राष्ट्रपति और एक चपरासी के वेतन में हम कितनी असमानता रखना चाहते हैं? इस पर आपको विचार करना होगा। यह जातपात की बात आज की नहीं है, 5 हजार वर्ष पुराने संस्कार हैं जो चले आ रहे हैं। शंबूक का वध क्यों किया गया था? राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम ने गुरु वशिष्ठ के कहने से शंबूक का वध कर दिया क्योंकि उसके तपस्या करने से कोई ब्राह्मण मरा था। एकलव्य का भंगूठा क्यों काटा गया? एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है कि आप हमको शिक्षा दीजिए। उन्होंने कहा तुम भ्रष्ट हो, तुम पिछड़ी जाति के हो मैं तुम को शिक्षा नहीं दूंगा। एकलव्य जाकर उनकी मूर्ति स्थापित करता है और बाण विद्या सीखता है। द्रोणाचार्य अर्जुन के साथ जाते हैं और एकलव्य के यहाँ पहुँचते हैं। एकलव्य के यहाँ कुत्ता भौकने लगा तो एकलव्य ने ऐसा बाण मारा कि कुत्ते का मुँह बन्द हो गया। कुत्ता बायल नहीं हुआ लेकिन उसका मुँह बन्द हो गया। द्रोणाचार्य ने देखा कि यह कौन है जिसके बाण से कुत्ता पायल भी नहीं हुआ लेकिन मुँह से धवाज नहीं निकल रही है। उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुम कौन हो तो उसने कहा मैं आपका बही पुराना सिध्द

एकलव्य हूँ जोकि आपके यहाँ गया था और आपने शिक्षा नहीं दी थी। उनके दिमन्न में फिर बही ब्राह्मणवाद चक्कर काटने लगा। उन्होंने कहा एकलव्य, तुमने हमारे नाम पर बाण विद्या सीख ली लेकिन तुम ने हमको गुरु दक्षिणा नहीं दी। उसने कहा कहिए महाराज, क्या दू। उन्होंने कहा तुम अपना भंगूठा दे दो। उसने कहा एक धनुर्धर का आप सिर ले लीजिए, उसकी गर्दन काट लीजिए लेकिन भंगूठा मत लीजिए। तो इस प्रकार से होता आया है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज डा० अम्बेडकर की बहुत दुहाई दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में 1974 में चुनाव हुआ था तो एक बगल में इन्दिरा गांधी का फोटो था और एक बगल में डा० अम्बेडकर का फोटो था। लेकिन मैं पूछता हूँ डा० अम्बेडकर के जीवन में आपने उनकी बात को कितना रखा? डा० अम्बेडकर को क्यों रेजाइन करना पड़ा? आज यहाँ पर जो हमारे साथी बैठे हैं उनकी क्या हैसियत है? जो माननीय सदस्य रिजर्वेड कांस्टीट्यूएन्सी से जीतकर आए हैं उनकी कांस्टीट्यूएन्सी में हरिजनों का कितना प्रतिगत है? 15 परसेंट या 30 परसेंट होंगे। क्या आज इनकी हिम्मत है कि अपनी बात को यहाँ पर रख सकें। जिस समय वे अपनी बात यहाँ पर कहेंगे उनके मन में डर रहेगा कि पांच साल के बाद जीत कर नहीं आ सकेंगे। ऐसी स्थिति में क्या वे अपनी बात यहाँ पर कह सकते हैं।

इसलिए मैं आज यहाँ पर सुझाव के रूप में कहना चाहता हूँ कि जो हरिजनों की समस्याएँ हैं, जो आदिवासियों की समस्याएँ हैं वह आज की नहीं पांच हजार वर्षों का कोढ़ हैं। उसके लिए आप एक एक समस्या को लेकर बलिए। आज हमारे यहाँ रेजिजस इन्स्टीट्यूशंस हैं, किसी मंदिर में कोई पुजारी हो जायेगा तो लोग कहते हैं यह ब्राह्मण होगा। आप क्यों नहीं रेजिजस इन्स्टीट्यूशंस की पड़ोई करवाते हैं। वहाँ से पढ़कर जो भी निकले

[श्री राक बिलास पासवान]

चाहे वह ग्रामी का लड़का हो, हरिजन का लड़का हो या ब्राह्मण का लड़का हो, जो भी सर्टिफिकेट लेया वही मंदिर का पुजारी बनेगा। फिर किसी के विभाग में यह बात नहीं आयीगी कि वह ब्राह्मण है या हरिजन है।

जहां तक भ्रारक्षण देने की बात है, क्या आप केवल सरकारी नौकरी में ही भ्रारक्षण देना चाहते हैं? बाकी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप क्या चाहते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में चाहें वह व्यापार में हो, लाइसेंस में हो, पॉमट में हो किसी प्रकार का राजनैतिक या सामाजिक क्षेत्र हो हरिजनों के लिए आदिवासियों के लिए, दबे कुचे लोगों के लिए आपको कहना पड़ेगा कि पांच साल के अन्दर उनका एक भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसका एक आदमी सरकारी नौकरी में न हो। आपको कहना पड़ेगा कि जितने हरिजन परिवार हैं, जितने आदिवासी परिवार हैं उनमें से एक आदमी कम से कम पांच साल के अन्दर सरकारी नौकरी में पहुंच जायेगा

न्यायपालिका की बात को लीजिए मैंने उस दिन एक प्रश्न किया था, जिस से मालूम हुआ कि वहां कोई हरिजन नहीं है। मनु स्मृति में कहा गया है—अछुतों और पिछड़े वर्गों को न्याय करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, वे कोई जजमेंट नहीं दे सकते हैं; वही स्थिति आज भी हमारे देश में चली आ रही है। उस काल में तो वेद सुनने वाले के कान में शीशा भर दिया जाता था, जुबान से उच्चारण करने वाले की जुबान काट ली जाती थी। जो बीजें पुराने जमाने में थी वे आज भी चली आ रही हैं। आप वेहालों में जाकर देखिए वही हालत आज भी कायम है।

ज्यादा दूर नहीं, मैं दिल्ली की हालत को आप को बतलाना चाहता हूं। दिल्ली में दस लाख से ज्यादा हरिजन हैं। पिछले दिनों मुझे दिल्ली के आस पास जो बस्तियां बसाई

गई हैं, तिलकपुरी, कल्याणपुरी, हिम्मतपुरी, सोमापुरी, दक्षिणपुरी, जवालापुरी जितनी भी कालोनीज बसाई गई हैं, उन को देखने का मौका मिला। आप किसी भी कालोनी में जा कर देख लीजिए कि वहां क्या स्थिति है। जिन परिवारों को उठा कर वहां बसाया गया, एक परिवार को 7 गज से 3 गज जगह दी गई है। इस में कौन रहता है। वह खुद रहता है, उस की बीवी रहती है, उस का लड़का रहता है, उस की पत्नी रहती है, जवान बेटा और बेटे रहते हैं, उसी में उस के जानवर भोरू रहते हैं। वहां की सड़क पर बिजली है लेकिन कालोनी में बिजली नहीं है। पछाने की कोई व्यवस्था नहीं है—न सैपटिक टाइट लैट्रीन हैं और न दूसरी तरह की लैट्रीन है। जहां तक शिक्षा का प्रश्न है—वहां कोई स्कूल की व्यवस्था नहीं है। जो बसें दूर से आती हैं वे कम पैसा लेती हैं, लेकिन जो बसें कालोनी से चलती हैं उन का भाड़ा ज्यादा लगता है। इस लिये मैं आप के माध्यम से कहना चाहता हूं—यदि आप हरिजनों, आदिवासियों के लिये कोई योजना बनाना चाहते हैं तो उस का इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से होना चाहिये। साथ ही जैसा मैंने उस दिन कहा था—यदि इस में कोई कमी रहती है तो इसके लिये आफिसर को दण्डित मत कीजिए, इसको जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लीजिए, हर विभाग का मिनिस्टर अपने-अपने विभाग की जिम्मेदारी खुद ले—यदि उसके विभाग में हरिजनों और आदिवासियों की अपेक्षा की जायेगी, हरिजन और आदिवासियों को समुचित स्थान नहीं दिया जायेगा, उस के लिये मिनिस्टर जिम्मेदार होगा, आफिसर जिम्मेदार नहीं होंगे। आप के आफिसरों ने जितना ध्यान देना था, वह दे दिया, हम लोग तो आप को ही पकड़ेंगे।

SHRI HOPINGSTONE LYN-
DOH (Shillong) : I thank you
that you have given me a chance to speak
in this august House.

I thank the mover of this motion
which has given an opportunity to many

of us to speak on the problems of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. The matter in the reports is an old matter since it pertains to the years from 1971 to 1974. The report deals with the backwardness, atrocities and the sufferings of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. We have nothing much fresh to say about this even to-day.

Sir, I would like to say that the department or the ministry itself is very backward because the reports of 1971, 1972, 1973 and 1974 are now being placed and discussed in this House. Of course these are the 21st and 22nd Reports. Why not the 24th report? This House did not get the chance to discuss them earlier. It is in the fitness of things that the reports should have been discussed in 1971-72 and in 1973-74. Anyhow I do not want to dwell on that.

I would like to tell something about the tribal areas in Meghalaya. We had discussed at length about the conditions prevailing in the villages among the lives of the scheduled castes and tribes people in the country. It is my duty to say something about the tribal area in the State of Meghalaya and also tribal areas in north-eastern part of the country.

Mr. Deputy-Speaker, Sir, Government in fact in the last 20 or 30 years under Congress Rule did something. As we have seen from time to time, they have tried to do something for the tribal areas. If you will look at the previous reports, you will find that lots of recommendations were made and lots of money had been spent for the development of tribal areas. But the fact remains that nothing comparatively much had been done and achieved though the Government has tried to do. There is a lot of corruption and money which has been allotted for development of tribal areas has been misused from top to bottom. I will cite an example.

In 1971, there was great tension in Meghalaya and in the State of Assam on account of war in Bangladesh. As a result, lakhs of refugees had come and stayed in our State. Govt of India had spent Rs 15.49 crores in Meghalaya alone for their relief. But for the local people whose properties had been destroyed, Government had not given any compensation. Only last year or so, some money had been paid to the tribal people. The poor local tribal people cannot raise their voice. May be the money might have gone to certain pockets of the political parties or political leaders. It was reported by the State PAC that Rs. 6 crores had disappeared or unaccounted for. There is a hue and

cry by the people. Government did not pay attention to them. I would like to make a submission in the matter to the present Government. I hope they will look into it. I would like to remind the Govt., that our tribals of this area are being affected very much because of partition that took place some time in 1947. The people under the British rule did not experience any hardship. Then the people had their own lands, their own cultivation, and their own marketing arrangement. They were prosperous and they were flourishing. Pandit Nehru came to Shillong and he said that partition was going to take place between India and Pakistan—Bangladesh (now). Our people protested against it, they were afraid of the trade being stopped. But Nehru said, "As long as rivers and streams are flowing down the mountains to the valleys (Surma Valley in Bangladesh) no one can stop the trade between the hills and the plains, so also India and Pakistan." But after partition, the whole border was sealed and the trade was stopped.

Now, there is a strength of 300 miles of border between Meghalaya and Bangladesh. Prior to independence, the people in our State were living happily and they were very prosperous, because there were free marketing facilities with the Bangladesh people. But after partition in 1947, our people have become poorer and now they have become worse. Prior to partition, we never knew what was hunger and starvation. Now people have to cross the border now and exchange fish, eggs, chicken with pan leaves, potatoes and betelnuts. But they are always harassed by the B S F. The Government of India from time to time had drawn up schemes to develop these areas. But so far no scheme has been implemented in order to develop these tribal areas. Of course, the Government of India have spent about hundreds of lakhs of rupees for the development of the border areas. But we do not know how that money has been spent. We do not know in what way the money has been spent. No roads, no industry, no improvement of the economic condition of the people.

Another point which I would like to point out, as one of the hon. Members from one of these States had already mentioned, is that the present problems and condition of the tribal people therein is quite different from that obtaining the rest of the country. We, the tribal people in the North-Eastern States—people of Meghalaya, Nagaland, Mizoram, Manipur and of Arunachal Pradesh—are living on our own soil.

[Shri Hopingstone Lyngdob]

The condition of our tribal people is not like those living in the States like Orissa, Bihar and Uttar Pradesh where lands of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been usurped away by other community people and they have become destitutes in their own States. But in our State we are still having our and there is a vast influx of the progressive people who entered into the towns and cities and into all the centres, taking away trade and business in our State. In regard to employment in our State, the tribal people and the minority community are not at all given chance but the elitist group always take away the posts. There has been a cry that we should go along the main-stream of national life of the country in regard to integration and other political activities. We want to go along with the rest of India that is why I am here in this House today but the elitist and the progressive group of people do not allow us to grow socially and economically. Therefore, my contention is that we cannot grow socially and economically along with the progressive people. We need protection and reservation. We are comparatively down-trodden people. So, the Government should look into this fact.

Now, according to a Demographic expert's report, it was stated that the tribal population in our State is stagnant. It is rather decreasing. People from Bangladesh and other States come and settle down in urban areas. In the towns and cities, the population has doubled or trebled. As far as rural areas are concerned, people from Nepal have come and settled down. According to the Constitution of India, the District Council Court cannot try the non-tribal people. So, they used to come and go after exploiting our forest wealth and also exploit the tribal people. They cannot be accused or tried in our courts. The people from other States and Nepal clocked to the cities and towns of our State and this is how the population has increased in the towns and cities but the birth rate of our State is not increasing. Another point is that people from Nepal come to our State freely because no visa or passport is necessary for them because of the so-called n-i-visa relation with India. They come and settle down in the rural areas and after four or five years they go back to their country after exploiting our State and our tribal people. In other areas the population is increasing but the tribal population is decreasing. As I told you the foreigners come into the country; the Nepalese freely come and go and exploit the forests and take home the profits. The Bangladesh people come and stay in Meghalaya. Whole forests, in most

of the rural areas, have been occupied by the foreigners who have come from Nepal. It is the same in Manipur; it is the same position in Meghalaya the exception of Nagaland and Mizoram, because there is an armed revolution in that part of the country. I want to remind the House that the previous Govt. have done something good to the people in the north eastern region by creating the separate hill states; the states are doing well but the territories are facing great difficulties because of the dictation of bureaucrats like the Raja of Arunachal territory, and the territory of Mizoram. Instead of protecting people, they behave like king and rajas. We have seen the memorandum of the people of Arunachal regarding what Mr. Raja there is doing; he is acting like a dictator, chasing people who are trying to do social work which the Government could not do. Because of that territories are in a bad position now. The Government had been saying that they will do intensive development work for the tribal people and the rural people. The Home Minister also says the rural areas would not be neglected. I say that it should not be mere words. I want to invite the Home Minister to come and see for himself the conditions there, not only to express his ideas here. Sometimes, last week, he declared that the north-east is the worst neglected, but when our Chief Minister introduced himself to him, he asked Where is Meghalaya? Is it on the border with China or on the border with Burma? The Government Officials and the ministers concerned should know where their territory is and what the condition of the people in those territories is so that they could do something at least within the coming five years. With these words, I thank you.

श्री राम अबधेश सिंह (विक्रमगंज) :
उपाध्यक्ष महोदय , यह सदन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति की 21वीं और 22वीं रपट पर बहस कर रहा है । इसके पहले श्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त की रपट पर बहस हो चुकी है । लेकिन बहस का नतीजा आज तक कुछ निकला नहीं । हर बार रपट आती है, बहस होती है और रपट की अनुशंसाएं रखी जाती हैं और हाउस में जो बहस की काफी तैयार होती है वह भी रखी जाती है । आखिर क्या बात है, एक कमिशनर बहाल है, वह रपट तैयार करता है, उस पर बहस होती है और जितनी बहस चलती है , उतनी ही

आये प्रत्येक साल हरिजनों और आदिवासियों पर भत्याचार की घटनाओं में वृद्धि होती जाती है। उन में कमी नहीं होती है। रिपोर्ट के आंकड़े अपने आप बोलते हैं कि हर साल पिछले सालों की तुलना में भत्याचार और जुल्म की कहानियाँ बढ़ती जाती हैं। इस के कारण करीब पाँच हैं।

एक कारण यह है कि 1947 से पहले अंग्रेजी हुकूमत में अगर कहीं कोई कल या रेप की घटना हो जाये, भले ही कल हरिजन का हो या अन्य नागरिक का, तो पूरे इलाके में सन्नाटा छा जाता था। लेकिन आज खून करना बहुत आसान हो गया है। इसका कारण यह है कि जब हुकूमत हिन्दुस्तानियों के हाथ में आई—गोरी चमड़ी वालों के हाथ से गेहुँआ चमड़ी वालों के हाथों में आई, तो सत्ता उसी वर्ग के हाथ में आई, जिस के हाथ में दो नम्बर की सत्ता थी। डा० राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि इस देश में दो नम्बर के राजा, जो पुस्तैनी गुलाम है, बराबर रहते हैं, कभी नहीं बदलते हैं। चाहे मुगल आये, अंग्रेज आये, जो भी आये, वे दो नम्बर के राजा, ताबेदारी करेंगे, सलाम करेंगे और दो नम्बर की कुर्सी पर बैठे रहेंगे, जिसे आज की भाषा में एक्स-क्यूटिव, कलेक्टर, डायरेक्टर या मैजिस्ट्रेट कहते हैं और मुगलों के जमाने की भाषा में सूबेदार, जमादार या गर्वनर कहते थे।

इस देश में एक नम्बर की कुर्सी बदलती रही है, लेकिन दो नम्बर की कुर्सी, जो सवर्ण या ऊँची जातियों के लोगों के हाथ में रही है, कभी नहीं बदली है। भत्याचार क्यों बढ़े, उसका कारण यह है कि एक नम्बर की कुर्सी, जो मिनिस्टर वाली कुर्सी है, और दो नम्बर की कुर्सी, दोनों, एक ही वर्ग और वर्ण के हाथ में आ गई।

उच्च जाति के लोगों के हाथ में आज सत्ता कब्जा है। वे इस तरह से नोटकी

रचाते हैं कि एक नम्बर की कुर्सी उन के हाथ से नहीं निकलती है—केन्द्र की भी और करीब करीब सबों की भी। दो नम्बर की कुर्सी भी उन के हाथ में पहले से कब्जा है। जब एक नम्बर और दो नम्बर की कुर्सी मिल गई हैं, तो फिर भत्याचार बढ़ने ही वाले हैं, उन में कमी नहीं होने वाली है।

दूसरा कारण है अंग्रेजी और अंग्रेजी कानून। इंडियन पीनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड आदि जो कानून 1883, 1884 और 1885 में बनाये गये थे, वे इस देश पर शासन करने के लिये, और 1857 में प्रारम्भ हुए आजादी के संघर्ष को कुचलने के लिये बने थे। लेकिन दुर्भाग्य से सत्ता-हस्तान्तरण के बाद भी उन कानूनों में तब्दीली नहीं की गई, क्योंकि गेहुँआ चमड़ी वालों के हाथ में जब सत्ता आई, तो उन्होंने सोचा कि काली चमड़ी वालों को दबा कर रखना है, जिस तरह से उजली चमड़ी वालों ने गेहुँआ चमड़ी वालों को दबा कर रखा था।

जब तक अंग्रेजी चलेगी, तब तक चरवाहे, हरवाहे, चमार, महार, नाई या कुर्मी का बेटा दो नम्बर की कुर्सी, कलेक्टर, एस० पी० और मैजिस्ट्रेट की कुर्सी, प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसलिए जब तक अंग्रेजी चलेगी और अंग्रेजी कानून चलेंगे तब तक उन को कोई लाभ होने वाला नहीं है। उन को हर हासत में दबाया जाता रहेगा क्योंकि दोनों कुर्सीयाँ मिली हुई हैं।

अब तीसरा कारण है सांस्कृतिक भ्रांति। यह एक बहुत गहम सबाल है कि इतनी ब्रह्म के बाद भी कुछ नहीं हो पाता है। उसका कारण है सांस्कृतिक भ्रांति। कितनी तरह की पौराणिक कहानियाँ हमारे यहाँ लिखी गई हैं। सिर से पंडित पैदा हुआ और पैर से गूँघ पैदा हुआ। इस तरह

[श्री राम प्रबोध सिंह]

की तमाम कहानियाँ भरी हुई हैं, पुराणों में। आज इस देश में संसद के बनाए हुए कानून का असर कम है लेकिन पुराणों में लिखी हुई कहानियों के आधार पर जो सामाजिक कानून बन गए हैं अलिखित तौर पर उनका असर ज्यादा है। कुछ लिखित हैं कुछ अलिखित हैं। तो एक तो इन पौराणिक कहानियों के आधार पर जो कानून बन गए हैं उन को तोड़ना होगा। शिव पुराण पढ़िए, गरुड़ पुराण पढ़िए, जो भी पुराण पढ़ेंगे सब में इंसान के मन को दबाने की बात धीरे-छाटे बड़े की सीढ़ी बनाने की बात मिलेगी। इसलिए इन के खिलाफ भी जेहाद बोलना पड़ेगा।

बोया कारण है कि सीट आफ पावर जहाँ है वहाँ बेईमानी चलती है। अभी इस सदन में करीब 42 आदिवासी सदस्य हैं और 70 हरिजन सदस्य हैं। जब यह तय करते हैं कि दस परसेंट पर मिनिस्टर बनाएंगे तो 40 अगर आदिवासी सदस्य हैं तो चार मंत्री उन में से बनने चाहिए यह उनका हक है। कम से कम दो कैबिनेट मिनिस्टर, एक स्टेट मिनिस्टर और एक डिप्टी मिनिस्टर उन में से बनने चाहिए। लेकिन यह नहीं देंगे। मैं ने प्रधान मंत्री से एक दिन कहा था और मैं ने उन को चिट्ठी भी लिखी थी कि अगर ये चालीस बचालीस हैं तो मंत्रिपरिषद् में कम से कम चार इन में से लिये जाने चाहियें। यह दुर्भाग्य इस देश का रहा है कि पिछले तीस वर्षों में यहाँ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर बहस तो हुई, लेकिन जहाँ सीट आफ पावर है, वहाँ उन को बैठाने की बात नहीं की गई। जहाँ नीति निर्धारण होता है, वहाँ उन को बैठाने की बात नहीं की गई। प्रधान मंत्री ने कहा कि स्टेट मिनिस्टर में दे देंगे। तो यह क्या दया करेंगे? आप

40 आते हैं तो घाठ कैबिनेट में मिनिस्टर बन जाते हैं और ये 40 आते हैं, ये अपना हक मांगते हैं, ये अपना हिस्सा मांगते हैं और वह हिस्सा उन को मिलना चाहिए। कम से कम दो कैबिनेट में एक स्टेट मिनिस्टर में और एक डिप्टी मिनिस्टर में उन को लिया जाना चाहिये। इसी तरह हरिजनों में से 7 को मंत्रिपरिषद् में हिस्सा मिलना चाहिए, तीन तो कैबिनेट में और चार स्टेट में और डिप्टी में ले सकते हैं। लेकिन जगजीवन बाबू का एक चेहरा दिखाया जाता है और उसी चेहरे से भरमाया जाता है कि हरिजनों का पूरा हिस्सा मिल गया। मैं चाहता हूँ कि जो हरिजन सदस्य यहाँ हैं चाहे विरोध पक्ष के हों चाहे इस पक्ष के हों चाहे किसी पक्ष के हों वे सब मिलें, आदिवासी सदस्य मिलें और इस सरकार को बाध्य करें कि उन का हिस्सा उन को मिले। अगर नहीं मिले तो उस के लिए उन्हें संघर्ष करना चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए। मंत्री लोग जो अभी बने हैं उन से ज्यादा योग्य हरिजन आदिवासियों में हैं।

एक माननीय सदस्य : कांग्रेसियों को इस में क्यों मिला रहे हो?

श्री राम प्रबोध सिंह : वे भी अपना वैतक समर्थन देंगे। आखिर जो आदमी यहाँ बैठेगा अगर उस के जेब में कोई जुर्म होगा आदिवासियों पर हरिजनों पर तो जरूर उस आदमी का उस से कुछ मानवात्मक और रागात्मक संबंध रहेगा। यह तो साधारण बात है। ... (जबजबान) ...

अभी तो भूमिका है, असली बात पर मैं अब आ रहा हूँ। रिपोर्ट के अध्याय (4) में कहा गया है कि छुआछूत की कोई भी बटना प्रकृति नहीं है। बिहार के लिए मैंने देखा, उस में एक भी नहीं

लिखी है। उत्तर प्रदेश में भी कोई नहीं लिखी है। मैं पूछता हूँ क्या इससे बढ़कर कोई दूसरी झूठी रिपोर्ट तैयार की जा सकती है? कल की घटनाये कितनी हुई, मैं आपको बता सकता हूँ। कोई एक दूसरे पन्ने पर बिहार में भ्रष्टाचार-यता अधिनियम के अन्तर्गत "2" लिख दिया है और वहाँ पर लिख दिया है कि एक भी उपलब्ध नहीं है। फिर उत्तर प्रदेश में लिखते हैं—153 और यहाँ कहते हैं एकदम नहीं। हत्या की घटना के बारे में बिहार में लिखा है "7" और गम्भीर चोट के लिए "33"। उत्तर प्रदेश में हत्याये 60 और गम्भीर चोटें 442।

श्रीमन्, मैं कल बिलपिण्ड को पढ़ रहा था। आप देखेंगे कि जब कोई घटना शुरू होती है तो लगातार एक महीने में 5, 7 और 10 घटनाये हो जाती हैं जैसे आंध्र प्रदेश में हुआ। इसी तरह से बिहार में एक घटना शुरू होती है तो सीक्वेस में कई घटनाये होती हैं। एक जगह पर अगर किसी को ज़िन्दा जला दिया गया तो उसकी आह और चिता की लपट तेज़ ही रहती है कि कहीं रेप की कराह सुनाई पड़ने लगती है। इस तरह की घटनाये धाम होती हैं। लेकिन यह जो रिपोर्ट लिखते हैं वे कहते हैं कि छुआछूत का कोई केस ही नहीं हुआ। सबर्ब लोग और ऊँची जाति के लोग जो रिपोर्ट तैयार करते हैं, जो नम्बर दो की कुर्सी पर बैठे हुए हैं वे कभी भी नहीं चाहते हैं कि सच्ची बात सामने आए। तमिलनाडू के बारे में आया है कि बहा पर करीब करीब 1633 केसेज हुए और 1121 केसेज में सजा हुई। तमिलनाडू में जो हकूमत बनी है वह पिछड़े वर्ग के लोगों की हकूमत है, बहा पर गैर-ब्राह्मणों की हकूमत बनी है। उसने उनको पकड़ कर सजा दी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि

यह जो फीगर्स हैं वह बिल्कुल बलत हैं। मैं तो समझता हूँ कि कमिशनर वगैरह की कोई जरूरत ही नहीं है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ। यह जो आकड़े दिए हैं कि 1971 से लेकर 1974 तक कुटोरे उद्योगों और छोटे उद्योगों पर हरिजनो के लिए कितना खर्चा किया गया तो इसमें किसी साल में 50 हजार, किसी साल में 52 हजार और किसी साल में 57 हजार और किसी साल में दो लाख। मैंने हिसाब लगाया है कि एक वर्ष में एक व्यक्ति पर बिहार में औसतन आधा पैसा कुटीरे उद्योगों के लिए हरिजनो पर खर्चा किया गया और करीब करीब एक पैसा आदिवासियों पर एवरेज पर एक साल में खर्चा किया गया। तो इसके लिए इतनी बड़ी रिपोर्ट लिखने की क्या जरूरत थी? कमिशनर के दफ्तर के बेलन, घसें, दोरे पर जाने पर टी0 ए0 वगैरह देने पर जो खर्चा हुआ होगा और इतनी बड़ी रिपोर्ट को छापने पर जो खर्चा हुआ होगा वह मैं समझता हूँ 50 लाख से ऊपर ही होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप 15 मिनट ले चुके हैं।

श्री राम अम्बेसेल सिंह . मैं एक बात कह कर समाप्त कर देता हूँ।

18वीं रिपोर्ट पर जो बहस हुई थी उसकी एक कापी मेरे पास है। कबो नहीं काम हुआ इस बारे में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने डिबेट में इंटरवीन करते हुए जो कहा था, उसको मैं सुनाना चाहता हूँ। बहस में हिस्सा लेने वाले लोगों ने यह कहा था कि यह जो रेकमेन्डेशन्स प्राती हैं उन पर बहस होती है। लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। इस पर उन्होंने कहा :

"यह सच है कि इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से नहीं होता है, लेकिन

[श्री राम अश्वमेध सिंह]

अगर इम्प्लीमेंटेशन हो, तो भी कानून से यह समस्या दूर होने की नहीं है। इस के लिये तो वातावरण, विचार धारा, सब के रहन-सहन के तरीके, सब चीजों में परिवर्तन होना चाहिये।”

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूँ—सामाजिक परिवर्तन के तीन रास्ते हैं। एक है—कठना, दूसरा—कानून और तीसरा—करल। महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी ने लोगों में कठना जगा कर उन के रास्ते में परिवर्तन करने की कोशिश की, उन में सामाजिक परिवर्तन लाना चाहता, कुछ हद तक सफल भी हुए। लेकिन यदि कठना सफल नहीं होती है तो दूसरा रास्ता कानून का है। सरकार कानून बनाये और उन कानूनों पर सक्ती से अमल करे, लेकिन पिछली सरकार सक्ती से अमल नहीं कर सकी। वह कानून के जरिय हम को बन्द कर सकती थी, जल में डाल सकती थी, लेकिन इस तरफ कानूनों को सक्ती से अमल करने में वह फेल रही। इस लिये मैं इस सरकार से कहना चाहता हूँ—अगर कानून पर सक्ती से अमल नहीं होगा, कठना फल कर जायगी, कानून फेल कर जायगा, तो फिर तीसरा रास्ता गरीबों के पास कल कर रह जाता है। जब वे अपने हाथ में तलवार ले कर उठेंगे, तो फिर वे आप से सत्ता मांगेंगे नहीं, छीन लेंगे और फिर खुद अपना सामाजिक परिवर्तन करेंगे।

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR (Trivandrum) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, we are discussing reports of the Commissioner for SC & ST for the year 1970-71, 1971-72 and 1972-73 and 1973-74. While we are discussing these Reports, there is a disturbing development in the country which may even negate the achievements they have had in the past. Therefore, we have to think anew about our approach towards Harijans. Attack on

Harijans have become a daily occurrence. I have no time to read out all the Reports. I will only read out the headlines. Here is a cutting dated 5th August—Landlords boycott Harijans. Another cutting from Ludhiana how in a number of villages the landlords are boycotting or not engaging any of the Harijans for their agricultural operations. Another from Ambala (August 3rd)—landlords beat up Harijans. Cutting dated 4th August—Belchi Harijans are living under terror. Cutting dated 3rd August—another judicial probe into Harijan youth murder. Then 15 Harijans were hurt in an assault and arson. Report from Jaipur says that 15 landlords attacked Harijans one dead, 20 hurt. Another report—Hyderabad Harijans complained on police inaction. Another report Harijans were attacked in Bihar; then Harijans faced terror in East U.P. There is one report of atrocities on Harijans in Andhra. There was a boycott of Harijans in Ap village. Then there was an attack on Harijans in which 24 members of a Harijan community of boatmen were injured.

Another Report Attack on Harijan marriage party—Simla; Reign of Terror on Himachal Pradesh Harijans; Threat to Harijans in U.P. Village etc. There are a few more cuttings with me; I have read only some of them.

What do these reports show? Here is an undeclared war waged on Harijans by the socially dominant section with the connivance and in some cases even with the involvement of the police. They are murdering them, burning them alive, seizing their property and denying them their jobs. These are the reports that have appeared in the newspapers after we have started discussion on the problems of the Harijan Community. The problem of Harijans has now been raised to a qualitatively different plane. A number of hon. Members here have spoken about the atrocities on Harijans, discrimination against them and also as to what their problems are. I do not want to go into all these issues now. But, I would remind this House that Harijans and Tribals form almost one-fourth of our population. From the North-East, the tribal belt extends through the heart of India to the coast of Maharashtra and up to Lakshadweep. What is our attitude to one-fourth of the population of this country?

We have been hearing the speeches of hon. Members who have come from the North-East, Nagaland, Meghalaya and Mizoram. From what they have talked, it is clear relationship with the people in those areas has deteriorated. We have to be self-critical about this. Christian missionaries, thousands of miles away from our land, whether they are Methodists, Catholics or some others, they come, live in these villages, fraternise with them, educate them and try to bring them

into the modern way of life. Can we boast of any such activities on our part except calling them to join the national mains? Should we not feel a little bit ashamed of this state of affairs? Should I put a question to the hon. Members of this House if they will not get angry? The Belchi incident is known to everybody. All of us including myself, have a pass to travel to any part of our country. Even if we are absent for a few days, we get the daily allowance. Still did any one of us think when such a gruesome crimes were committed there that we should go and visit that area and find out exactly what had happened there? It was only the parliamentary forum of Scheduled Castes & Scheduled Tribes that sent a delegation to find out the truth. How did we react to that report? We persuaded one M.P. who did not even visit that area and who permanently resided in some other place, to issue a statement that everything was calm and quiet and nothings was abnormal in that area. Is that the way that we should deal with such a problem?

15.00hrs.

I do not say that all the atrocities that are taking place are only because of the Ruling Party. It is not only Mr. Charan Singh but his counterparts in all the State are answerable for all these atrocities that are taking place in the whole country. By that I do not mean to say that it is only an administrative problem. No.

What is happening now? It is the socially dominant section the caste Hindus, the landlords with the connivance of the police, who are trying to subjugate 1/4 th of the population of this country. It is, therefore a serious social problem. Whatever rights have been given to these Harijans and Scheduled Tribes through our Constitution, in practice, are being denied by the feudally dominant section. Therefore, it is a serious political question.

It is also an economic question because jobs they were doing through generations to make a living have been denied to them. The land has been grabbed from them. In short one-fourth of our population. They are being terrorised by the socially dominant sections. So, this has to be treated as a national question.

I am reminded of a situation that arose in our country in the 1920s—very similar to this. The freedom movement which was gaining momentum at that time encouraged the backward people to fight for their rights. The backward sections in our community started fighting for their rights and the Caste Hindus and the socially dominant sections tried to suppress them.

So this question came up in the Canada Congress. After discussion, the question of untouchability was taken as a national question. People from all parts of India helped. In our state at Vaikom, a struggle was launched for the right to walk along a road near the temple known as Vaikom Satyagraha. I was young at that time and even now I remember how with their long beard and kirpan, these Akalis in large numbers and helped the struggle.

After some time the question of Harijan was treated as a domestic question of the Hindus.

You know Gandhiji had his historic fast in order to raise the level of the Harijans and the new name of Harijan was given to them only by Gandhiji. I do not want to remind you of his contribution to the cause of the Harijans. But, after India's independence, what is happening? You have now left them to their own fate. Even here when you speak about the Harijan problems, we treat it as a problem of Harijans but not as a problem of national importance. You are not even allowing them to enjoy what has been provided for under the constitution. The war which is waged against them must stop. I would want to make a humble suggestion to the House. Firstly, we should form a Parliamentary Committee of all political parties whose job it should be to go to these places where the attacks on Harijans are taking place and they should remove the apprehensions in the minds of the Harijans and restore normalcy in those regions with the help of all concerned. If we fail to do that and if remedial steps are not taken now, I warn that a movement similar to the civil rights movement in U.S.A. will come about here too. Do you want it? Or do you want to prevent it from happening? Then you must act expeditiously and then only will we be able to bring about a change in the situation.

Now when we go to the international Conferences and when we speak about the affairs in south Africa Rhodesia or in U.S.A. we are rightly indignant about the racial discrimination. Should we not feel ashamed of what is happening in our own villages? Therefore, Sir, this Parliament should take up the question very seriously and Committee should be constituted which will immediately go to these areas and find out the facts and suggest remedial measures to this House.

श्री शिवनारायण सरस्विका (करोल बाग) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जिन रिपोर्ट पर इस तरह विचार हो रहा है मैं सोचता हूँ कि यह परम्परा न बन जाय कि जाने की इसी तरह से भ्रवहेलना हो। मैं अपनी हकूमत

[श्री शिव नारायण सरसूनिया]

पर तो कोई शक नहीं करता, लेकिन कुछ परम्परायें इस तरह से बन जाती हैं कि अबहेलनायें हो जाती हैं। दूसरे यह जो कमिशनर का दफ्तर है उसमें केवल 68 आदमी काम कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सारे भारतवर्ष के काम को देखने के लिये, क्या अभीवमेंट्स हुए हैं, उन सब को देखने के लिये इतना छोटा सा स्टाफ किस प्रकार से काम कर सकता है और किस प्रकार से इन जातियों के साथ न्याय दे सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो अष्ट काम हुआ वह 1967 में उस समय हुआ जब कि हमारे जितने भी कमिशनरों के बाकी दफ्तर थे सारे बन्द कर दिये गये और जो उसका बजट था जो कि मिनिस्टीरियल बजट से अलग था उस सारे बजट को काट कर के मिनिस्टीरियल बजट के अन्दर शामिल कर दिया गया, और एक डायरेक्टोरेट उस समय बनाया गया। मुझे इस पर एतराज नहीं है कि वह डायरेक्टोरेट क्यों बनाया गया। लेकिन हमारा जो खर्चा था उस सारे को काटकर हमारी कोस्ट पर मिनिस्टीरियल द्वारा खड़ा किया गया। उसके कारण से जितनी भी रिपोर्टें लेने का काम होना था वह एक मिनिस्टीरियल डिपार्टमेंट के अन्दर हो गया। जो अबारा यह देखता था कि विभिन्न सरकारी विभाग काम करते हैं या नहीं, और पूरी रिपोर्टें देते हैं या नहीं, उसे खत्म कर दिया गया।

15 09 hrs.

[SHRI YONU SINGH PATIL in the Chair]

मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 30 वर्षों में 22 रिपोर्टें आई हैं और कई कमिशनर बदले हैं, लेकिन आज तक हम ऐसी स्थिति पैदा नहीं कर सके कि सिड्क्यूल्ड कास्ट्स या ट्राइब्स का कोई व्यक्ति कमिशनर बन सके।

बारबार कहा जाता है कि जात-बिरादरी इस समस्या का एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन हमारा जो सिड्क्यूल्ड बना हुआ है, वह भी तो बिरादरियों पर आधारित है। लगता है कि हम बीमारी को उपचार मानकर चल रहे हैं। इस विषय पर पुन विचार करने की आवश्यकता है।

हम यह भी देखते हैं कि इन वर्गों को अनुसूचित जातियों, जनजातियों, डी-नोटिफाइड ट्राइब्स आदि कई छिस्तों में बांट दिया गया है। मैं समझता हूँ कि स्वयं उन लोगों के अन्दर अपने उद्धार के लिये जो एकता और संगठन आ सकता है, जो प्रेरणा पैदा हो सकती है, यह उस पर बड़ा भारी कुठाराघात है। इसलिये यह आवश्यक है कि हम ऐसा प्रावधान करें, जिससे इन समाजों का एकीकरण करने का अवसर मिले और वे स्वयं आगे बढ़ सकें।

हमारे लिये चतुर्थ श्रेणी में 15 परसेंट और साठे 7 परसेंट का संरक्षण दिया गया है। अगर अनुसूचित जातियों, जनजातियों बैकवर्ड क्लासेज और माइनोरिटीज, जो पिछड़े हुए हैं, उन सब को मिलाया जाये, तो वे देश भर की पूरी आबादी के 84 प्रतिशत बन जाते हैं। लेकिन आज स्थिति यह है कि केवल 16 प्रतिशत के हाथ में सारे देश की शक्ति और सम्पदा दे दी गई है। इसी कारण आज देश में भुखमरी और गिरावट है और विकास का काम पीछे पड़ गया है। यह आवश्यक है कि हम इस विषय पर फिर से विचार करें कि हम इन समाजों के स्तर को किस तरह से ऊपर उठा सकते हैं। हम पंचवर्षीय योजनाओं की तरह टारगेट निर्धारित करें कि हमें इनका आर्थिक स्तर इतने समय में इतना ऊँचा उठाना है और उसके लिये पूरे प्रयत्न किये जायें, तभी इनकी प्रोग्रेस में कुछ गति आ सकती है।

पिछले एक कमिशनर, श्री एन० के० बोस, ने एक पब्लिक एड्रेस में कहा कि इन लोगों के लिये किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं रखना चाहिये। इसके अलावा उन्होंने यह लिखित रिक्मैण्डेशन दी कि इन जातियों को 10वें स्टेडर्ड से ज्यादा नहीं बढ़ने देना चाहिये। यदि इस प्रकार के व्यक्ति को कमिशनर के पद पर नियुक्त कर दिया जाये, जिसके हाथ में हमारे उद्धार की बागडोर दी जाती है, तो किस प्रकार प्रगति हो सकती है?

इन रिपोर्टों पर हमेशा विचार होता है, लेकिन क्या सरकार ने अभी तक यह जांचने का प्रयत्न किया है कि हमने इन लोगों की कहाँ तक उन्नति की है? ये जो कुछ प्रावधान हैं उन का क्या लाभ प्राप्त हुआ है? मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अब सरकार बदल गई। पिछली सरकार तीस सालों तक इन लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करती रही, इनके द्वारा किस तरह से अपना राजनैतिक हित-साधन करती रही इसको भी देखा जाना चाहिए। जिस प्रकार से पब्लिक मास मीडिया का दुरुपयोग पिछली सरकार ने अपने राजनैतिक हित में किया है विलकुल उसी तरीके से इन वर्गों का दुरुपयोग उन्होंने जो उन की सत्ता थी उसके लिए किया। इसके ऊपर भी एक श्वेत पत्र भ्राना चाहिए, इस प्रकार की एक रिपोर्ट भ्रानी चाहिए कि 30 साल तक इन्होंने अपने इन्टरेस्ट के लिए किस किस तरह से धोखा दिया, किस किस तरह से प्रवचना की।

रिपोर्ट के साथ जो कार्यक्रम दिए हुए हैं उस के साथ जो अब तक की पंचवर्षीय योजना के एलोकेशंस हैं उन को देखा जाय। पहले प्लान में 1.2 प्रतिशत हमारे लिए रखा गया। लेकिन उसके बाद चौथे प्लान में 1.1 प्रतिशत हो गया। अब जो प्लान है उस में 0.5 प्रतिशत हमारे लिए एलोकेशंस हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जैसे जैसे

प्लान के अंदर निधि बढ़ती गई उस के साथ साथ हमारे लिए जो एलोकेशन रखा गया वह घटता गया। जैसे जैसे हमारे लोगों में अवेकेनिंग पैदा हुई, आवश्यकता हुई उन के लिए ज्यादा संरक्षण की जरूरत है, वैसे वैसे यह घटता गया। प्रारंभ में तो हमारे लोग भी इस बात को ठीक तरह से नहीं समझते थे कि उन के लिए क्या चीज की जा रही है या उस का क्या लाभ उठाना चाहिए। यह वे लोग नहीं जानते थे। लेकिन जैसे जैसे लाभ उठाने के लिए बड़े वैसे वैसे एलोकेशन कम किया गया। यह एक बहुत ही विचारणीय घटना है।

उसके साथ जो दूसरे कार्यक्रम चलते हैं वे तीन चार इस तरह के कार्यक्रम हैं। उनमें एक हाउस साइट्स देने का कार्यक्रम है। मुझे याद है अष्टमी तरह से सन् 1967 के बाद 1968-69 में भारत सरकार की ओर से केरल के रेडियो और टेलीविजन पर बड़ा हंगामा किया गया था। कांग्रेस सरकार थी उस समय केन्द्र में और केरल में कांग्रेस-कम्युनिस्ट सत्ता सरकार थी। यह प्रचार किया कि लाखों लोगों को जमीन के पट्टे दिए गए। उस समय मैं दिल्ली प्रशासन में था। मैंने देखा कि यह किस तरह से दिए गए। सन् 1800 में जो संरक्षण उन को कानून के जरिए दिया हुआ था कि जिस खेती की जगह पर वह अपनी ओपड़ी बना कर बैठ जाय वहाँ से उन को कोई उठाएगा नहीं, जिस जमीन के लिए उन को 2 सौ साल पहले संरक्षण दिया गया था उसी जमीन के पट्टे उन को दे दिए गए और यह प्रचार कर दिया गया। इस प्रकार का मजाक उन के साथ किया गया। भूमि बांटने के लिए लैंड रिकॉर्म के समय बड़ा प्रचार किया गया कि हरिजनों को और इन लोगों को भूमि दी जायगी। लेकिन हुआ क्या कि जहाँ पर उनका बंटवाई में काम मिल जाता था, खेती में किसी तरह से सामे-वारी में काम मिल जाता था वह बन्द हो गया

[श्री विजय नारायण सरस्वती]

और उन को जो जमीन दी गई उस जमीन पर उन को भाज खेती नहीं करने दी जाती है। चालीस गांवों में हम ने हरिजनों को जमीन बांट कर दी है। लेकिन दुब के साथ कहना पड़ता है कि उनको पूरा कब्जा दे देने के बाद भी उन लोगों द्वारा अपने घर की पूरी रकम लगा देने के बाद, अब भी उन गांवों के लोग बार बार आकर शिकायत करते हैं कि जब उनकी काशत तैयार होती है तो उसको बर्बाद कर दिया जाता है। मुझे घटना याद आती है, वहां उनके खेतों के अन्दर जानवरों को भेज दिया गया और वहां पर जो उनकी झोपड़ियां बनी हुई थीं उनको आग लगा दी गई। इस प्रकार से उनको भूमि देने के नाम पर उनका शोषण और बढ़ गया है। उनको आर्थिक स्रोत देने की बात हुई लेकिन मैं कहता हूं कि दूसरी ओर उनके अपने आर्थिक स्रोत सूखते जा रहे हैं।

आज जो नयी टेक्नालाजी आई है उसके कारण हमारे लोग बेकार होते जा रहे हैं। जो खेतिहर मजदूर थे वे बेकार हो रहे हैं क्योंकि खेती करने के लिए ट्रैक्टर आ गए हैं और सिंचाई के लिए पम्प आ गए हैं। इसी प्रकार से जैसे जैसे मशीनीकरण होता जा रहा है, हमारे लोग बेकार होते जा रहे हैं। मुझे याद है इसी सदन में सिक मिल्स को लेकर बड़ा हंगामा मचाया गया और कहा गया कि मिलें बीमार हो रही हैं। जहां हम गांधीवाद को मानकर खादी को बढ़ाने की बात करते थे उसको छोड़कर हम मिलों को बढ़ाने की ओर चले गए। आज के वैज्ञानिक युग की मिलें मजदूरों का शोषण करती हैं। जहां एक मजदूर दो लूम चलाता था वहां नयी टेक्नालाजी में एक मजदूर 16 लूम चला सकता है लेकिन उस मजदूर को पैसा उतना ही मिलता है और कपड़े का भाव भी वही रहता है। मैं समझता हूं आज की हमारी योजनाओं में बड़ी भारी कमी है। जैसे जैसे वैज्ञानिक प्रगति हो रही है और

पैसे का प्रभाव बढ़ रहा है उसका फायदा पूंजीपतियों को हो रहा है और गरीब मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। इस बात पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। आज हरिजनों के जितने उद्योग हैं, जिनको अम उद्योग कहते हैं उन पर जो कुठाराघात हो रहा है उसके कारण आहिस्ता-आहिस्ता लोग उनकी छोड़ते जा रहे हैं। इस तरह से उनमें बेकारी आती जा रही है। आज चमड़े की जगह पर प्लास्टिक और रैक्सीन का काम बढ़ता जा रहा है और उस काम को करने वाले कोई दूसरे लोग हैं। इसके कारण हमारे लोगों की आर्थिक हालत खराब होती जा रही है। (व्यवधान)

स्कालरशिप का जहां तक सम्बन्ध है, स्टेट सेक्टर में प्रान्तीय सरकारों को स्कालरशिप देती है उसमें वहां पर हमारे बच्चों को सौ में से दस बच्चों को मिलती है, सेन्ट परसेन्ट नहीं दी जाती है। इस तरह स्कालरशिप में भी किसी न किसी तरह से बहुत से बच्चों को डेप्राइव कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई नौकरी कर के पढ़ना चाहता है तो उसको स्कालरशिप नहीं दी जाती है। इसके साथ ही एक और नयी बात है। पहले कोई फेल होता था तो उसको स्कालरशिप मिलती रहती थी ताकि वह शिक्षा प्राप्त कर सके लेकिन अब नयी व्यवस्था के अन्तर्गत केवल स्कालरशिप ही बन्द नहीं की जाती बल्कि उस पर फीस भी लगा दी जाती है। यह हमारे शिक्षा प्रसार पर कुठाराघात है।

जहां तक सर्विसेज का ताल्लुक है, मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं। (व्यवधान) मैं समाप्त कर रहा हूं। ऐयर-इंडिया में 1972 में वहां के कर्मचारियों के बहुत कहने पर यह फैसला हुआ था कि तुम्हारा जितना भी बैकलाग है वह पूरा कर दिया जाएगा लेकिन वे लोग अब अपने किए हुए बादे से मुकर रहे हैं। अब कहते हैं कि आगे जो सर्विसेज

निकलेंगी उसमें देखा जायेगा। हमारा एलोकेशन जो होता है वह बैकवर्ड क्लासेज के नाम से होता है और रिपोर्ट शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम से आती है। यह कितनी भ्रजीब बात है—एलोकेशन बैकवर्ड क्लासेज के नाम से है, रपट जिस पर चर्चा हो रही है—वह शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट्स की है—लेकिन लाभ दूसरों को पहुंच रहा है।

हमारे यहाँ सर्विमिज में पहले यह कायदा था कि यदि शेड्यूल्ड कास्ट का कोटा हाता था और शेड्यूल्ड कान्ट नहीं मिलता था तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दे देते थे, उभी तरह यदि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कोटे के अग्रेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब का आदमी नहीं मिलता था तो शेड्यूल्ड कास्ट को दे दिया करते थे। एमर-जेमी में क्या हुआ—अब उस पोस्ट को डी-रिजर्व कर दिया जाता है। आज जितनी भी पब्लिक अण्डरटैकिंग है उन में रिजर्वेशन को तर्फ पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है, अगर आदमी नहीं मिलता है तो डीरिजर्व कर दिया जाता है।

हमारे यहाँ जो नई पोस्ट्स निकाली जाती है, उसमें रिजर्वेशन होता है, लेकिन हम देखते हैं कि जब प्रतिशत निकाली जाती है तो वह टोटल पर निकाली जाती है—इस का क्या कारण है? जब टोटल का रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो पहले टोटल का रिजर्वेशन निकाल कर, जो कमी है उस का पूरा क्यों नहीं किया जाता? इस का सीधा मतलब है कि जो पहले की सरकार थी, वह ईमानदार नहीं थी। यदि आप हमारी सर्विमिज का कोटा पूरा करना चाहते हैं, तो टोटल का जो प्रतिशत निकलता है, उस के हिसाब में पहले हमारी सीटों को भरें, उस के बाद दूसरों को दें। अगर इस तरह से किया जायगा, तो 10 वर्ष में यह पूरा हो सकता है।

इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए— मैं मांग करता हूँ कि हमारे लिये एक अलग

मंत्रालय की स्थापना हो और उस मंत्रालय के द्वारा हमारे कोटे को पूरा किया जायें। इन शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देता हूँ।

श्री लालजी भाई (सलूम्बर) : सभा-पति महोदय, मैं इस रिपोर्ट का समर्थन करते हुए कुछ सुझाव आप के सामने रखना चाहता हूँ। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों की 1973-74 की रिपोर्टों को देखने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि पिछले 30 सालों में पिछली कांग्रेस सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए कुछ नहीं किया। सरकार को पिछली तमाम योजनायें इन जातियों के विकास की दृष्टि से फेल हो गईं। इस का कारण यह नहीं था कि देश में अकाल था या बाढ़ पर लड़ाई चल रही थी, ऐसा कोई बहाना नहीं था, बल्कि इस का मूल कारण यही था कि देश के अन्दर अष्टाचार व्यापक रूप से फैल गया था, जिस के कारण इन की सभी योजनायें फेल हो गईं।

मैं सब से पहली मांग सरकार से यह करना चाहता हूँ कि भारत की तमाम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को निदिष्ट किया जाय। भारत के विधान की धारा 341 और 342 के अन्तर्गत पिछली सभी लोक सभाओं में जनप्रतिनिधियों ने सरकार से यह मांग की थी कि सरकार ऐसा विधेयक लाये, जिन में इन तमाम जातियों का निदिष्ट किया जाय। एक विधेयक सरकार लार्ड सी थी, वह प्रवर समिति के पास गया और प्रवर समिति ने उस पर विचार भी किया—लेकिन वह इस मदन के सामने नहीं आ सका। इस लिये मैंने सब से पहली मांग आप के सामने यही रखी है कि आप तुरन्त ऐसा विधेयक लायें जिस में ऐसा प्रावधान हो। मैं आप का ध्यान 1973-74 की रिपोर्ट के अध्याय 16, पृष्ठ 245 (अनुच्छेद 341 और 342) की ओर खीचना चाहता हूँ—जहाँ इस बात का उल्लेख किया गया है।

[श्री बालजी भाई]

इस के पहले की तीन रिपोर्टों में इस बात का उल्लेख हुआ है कि तमाम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को निर्दिष्ट किया जाये, लेकिन अभी तक यह काम नहीं हुआ है।

तो मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि यह इस विधेयक को कब लाएगी। प्रवर समिति के सामने वह विधेयक है और उस पर बहस हो कर इस कानून को पास करना चाहिए कि पूरे भारतवर्ष में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को निर्दिष्ट किया जाए। अगर इस तरह से न किया गया तो होता क्या है कि इस रिपोर्ट में अत्याचार के जो मामले हैं, अगर मैं उन को सदन में बताऊं तो बहुत समय लगेगा लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि वे घटने के बजाए बढ़ते जा रहे हैं। इस का मूल कारण यह है कि इन जातियों को निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

इस के बाद मैं यह कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के जो विद्यार्थी हैं जो कि पढ़ने जाते हैं, मुझे इस प्रकार की जानकारी मिली है कि आई० आई० टी० में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की जो फीस की माफ़ी है, और जो 150 रुपये उन को मासिक छावृत्ति मिलती है, उस के लिए यह प्रावधान है कि उन के माता-पिता की वार्षिक आमदनी 20,000 रुपये से ज्यादा न हो लेकिन दिल्ली कालेज आफ इंजीनियरिंग में, जहां पर वही पाठ्य-पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, वहां पर माता-पिता की आमदनी 9,000 रुपये वार्षिक रखी गई है। इस का असर यह हो रहा है कि कई विद्यार्थियों को उस कालेज में प्रवेश नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरा कहना यह है कि जब दोनों जगहों पर एक सा ही पाठ्यक्रम है तो दिल्ली कालेज आफ इंजीनियरिंग में भी माता-पिता की वार्षिक आय 20,000 रुपये होनी चाहिए।

अगर आप ऐसा कर देंगे तो बहुत सारे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लड़कों को उस में प्रवेश मिल सकेगा।

इस के अलावा मैं यह कहना चाहूंगा कि पूरे भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लड़कों में बहुत बेरोजगारी है और प्रति वर्ष उस के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर मैं उन आंकड़ों को दूँ जो कि रिपोर्ट में हैं, तो समय लगेगा, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस तरह भी ध्यान देना चाहिए। राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है और वहां पर अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां निर्दिष्ट हैं लेकिन बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर ये जातियां निर्दिष्ट नहीं हैं और मेरा कहना यह है कि सब राज्यों में ये जातियां निर्दिष्ट होनी चाहिए।

एक बात मैं और कहना चाहता हूँ और वह यह है कि पश्चिमी रेलवे में 343 नई गाड़ियां चलाने की बात कही गई थी लेकिन 1977 में 274 गाड़ियां ही चलाई गई हैं और बाकी गाड़ियों को नहीं चलाया गया है और उस के लिए मंत्री महोदय का यह कहना है कि यहां पर इन को चलाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि यातायात कम है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन बैकवर्ड एरियाज में बेरोजगार बहुत ज्यादा है और अगर ये गाड़ियां चला दी जाएं तो यह रोजगार को बढ़ाने वाली बात होगी। इसलिए उन के विकास के लिए इन रेल गाड़ियों को तुरन्त चालू किया जाए। उदयपुर में हिन्दुस्तान जिक कारखाना सरकार ने लगाया है और इस के लिए हम उन के कृतज्ञ हैं कि उन्होंने इस पिछड़े हुए इलाके में इस कारखाने को खोला लेकिन मैं यह मांग करूंगा कि उदयपुर से मारवाड़ जंक्शन तक बाया कामलीघाट ब्रोड गेज किया जाए। दिल्ली से बम्बई जाने वाली लाइन को तो आप ने ब्रोड गेज बना दिया है लेकिन अगर इस लाइन को भी आप ब्रोडगेज बना देंगे तो इससे

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी हुई जातियों को काफी लाभ होगा।

सरकार विदेशों में जाने के लिए पासपोर्ट आदि देती है। ये मुख्यतः दो तीन स्थानों पर ही दिए जाते हैं। मेरा सुझाव है कि प्रत्येक राज्य में इसके आफिस खोले जाएं और वहां इनको देने का प्रबन्ध किया जाए ताकि पिछड़े वर्ग के लोगों को भी थोड़ी बहुत सुविधा मिल सके।

भूमि हीनों को सरकार को भूमि देने के बारे में फैसला करना चाहिये और उनको भूमि देने की व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री केशवराव धोंगड़े (नांदेड़) : सदर साहब, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। पाइंट आफ आर्डर सर।

MR. CHAIRMAN : Please sit down. He has got a point of order.

श्री केशवराव धोंगड़े : सदर साहब इस सदन में कोई भी सदस्य किसी के गले में हाथ डाल कर बैठ सकता है?

MR. CHAIRMAN : No point of order. Mr. Sathe, it would not appear that you are in a romantic pose.

SHRI VASANT SATHE (Akola) : It would be a great compliment to have a romantic pose with a romantic man like him.

श्री लाल जी भाई : मैं एक बात और कहना चाहता हूं। गांवों में लोग जिन जमीनों पर मुगल काल से कब्जा किए बैठे हैं उनको आज तक उन जमीनों के पट्टे नहीं दिए गए हैं। दिल्ली की बात को आप लें। यहां पर लोग मुगल काल से जिन जमीनों पर बैठे हुए हैं, रह रहे हैं उनके उनको आज तक पट्टे नहीं दिए गए हैं। मुगल चले गए, अंग्रेज सरकार चली गई, कांग्रेस सरकार भी चली गई लेकिन उनको आज तक उन जमीनों के पट्टे नहीं दिए गए हैं। वे उन जमीनों का प्रापर्टी टैक्स आठ आने या कुछ इस हिसाब

से दे भी रहे हैं लेकिन आज तक उनको इन जमीनों का पट्टा नहीं दिया गया है। मुझे विश्वास है कि जिस काम को अंग्रेज सरकार नहीं कर सकी, कांग्रेस सरकार नहीं कर सकी उस काम को हमारी जनता सरकार कर देगी और उनको इन जमीनों के पट्टे दे दिए जाएंगे। उन पर जो आप प्रापर्टी टैक्स लगा रहे हैं उनको भी आप कम करें। साथ ही भूमि हीनों को आप जमीन दें।

हरिजनों पर अत्याचार होते हैं इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं। उदयपुर में मेरे मकान में चोरी हो गई। चौदह हजार रुपए जो नकद था और सौ सौ के नोट थे चोर ले गए। उसकी मैंने रिपोर्ट लिखाई। पुलिस वालों ने रुपया बरामद भी कर लिया अब आप देखें कि मैं अनुसूचित जन-जाति का हूं मेरे साथ क्या व्यवहार किया गया सरे आम पुलिस ने नौ हजार रुपये बरामद कर लिए लेकिन अपनी जेब में रख लिए। आज तक पैसा मुझे नहीं मिला। वहां के मुख्य मंत्री को मैंने लिखा, गृह मंत्री को लिखा और उसका जवाब मुझे यह मिला कि उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया है और इतनी ही सजा उसके लिए काफी है। पक्षपात जो हुआ सो हुआ लेकिन चूंकि मैं विरोधी पार्टी का था और साथ ही जन जाति का था इस वास्ते इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ली गई। इस तरह से ये जो अत्याचार हैं वे जो बढ़ रहे हैं इनकी ओर भी जनता सरकार को ध्यान देना चाहिए और इनको रोकने की कोशिश करनी चाहिये।

SHRI P. M. SAYEED (Lakshdweep) : Mr. Chairman, I am happy to participate in the discussion on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes reports for the simple reason that these reports are vitally important as far as my constituency is concerned. Perhaps you are aware that the entire population of Lakshadweep comes under Scheduled Tribes.

Now, many people have spoken about the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Reports. First of all, I must pay my respects and also my tributes and compliments to the Home Minister for giving us this opportunity to participate in the discussion on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Bill for the simple reason that, for the last so many years, it was lying idle and it could not be brought before the House. I therefore sincerely pay my compliments to the Hon. Home Minister.

Now, the founding fathers of our Constitution have made a lot of provisions in the Constitution safeguarding the interests of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It was said by many speakers here that the safeguards provided in the Constitution have not been fulfilled. I should say that this is correct to a great extent. I have heard so many people talking about the special welfare and developmental schemes and other benefits provided in the provisions of the Constitution for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, with some contempt while others ask with vergerance why such privileges should be enjoyed by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The framers of the Constitution were very clear in their mind and the national leaders of the time when the Constitution was framed thought that it was not fit of just that a large section of the population should lag behind, and they felt that if the weak, backward and poor people are divided from the others, to that extent the nation becomes weak and backward, and that was the simple reason why a number of Articles have been provided in the Constitution to safeguard the interests of these unfortunate communities which ought to be brought on par with the rest of the population.

Now, what is happening? These people were subjected to arson, assault, rape and all forms of brutalities in the years past and they were exploited economically and socially also. But now I have found a new phenomenon developing in the country, especially after Independence, and that is that these unfortunate communities are also exploited politically. It seems to me that there is a sort of competition between the various political parties in their seeming eagerness to help and work for the well being of these people in order to win the favour of these communities for themselves for political reasons. Even now, if you look at the House, where are those important persons who are expected to be here when the Scheduled Castes and Scheduled

Tribes reports are discussed? They are missing. That also speaks a lot.

Now, I have gone through the Scheduled Castes and Scheduled Tribes reports extensively though they are voluminous reports. An innumerable number of recommendations have been made in them and forwarded to us. Under Art. 338 the Commissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes presents a report and that report comes before parliament, but we do not get an opportunity to speak on these reports, thanks to the Home Minister and others who are concerned with the amelioration of the difficult life and the development of these communities who are less fortunate and underprivileged.

In these reports, they have mentioned about the atrocities committed on the scheduled castes as also on the scheduled tribes. There is a saying in English 'Lies, damn lies and statistics.' The statistics which have been given in these reports do not speak the whole truth. We know, that innumerable things are going on in the country which have not found a place in these reports.

As far as atrocities on the scheduled castes and scheduled tribes are concerned, the situation is rather very alarming. In that connection, Shri Govindan Nair has quoted extensively certain reports about the atrocities, arson, loot, assault and rape that are being committed on the scheduled castes and scheduled tribes.

Sir, reformers have come and gone, but the stigma of untouchability attached to the scheduled castes still remains. Article 17 is there in the Constitution and a number of statutes have also been enacted, but untouchability still remains. The scheduled castes in certain areas are still not allowed to draw water from the common wells. They are put to a lot of inconvenience specially in dry months. So many other instances have been quoted in these reports.

Then, Sir, in the matter of land also, a number of atrocities are being committed on these people. During the last three decades, though some efforts have been made, sincerely or otherwise—some national leaders have shown their concern in this regard—the results have not percolated down to the scheduled castes and scheduled tribes. I, therefore, feel that a large number of

people from the scheduled caste and scheduled tribes should be recruited in the police. Secondly, social security measures must be taken up extensively for these people who are being subjected to these atrocities.

Now, I would come to my own area, Lakshadweep and would like to bring certain things to the notice of the Home Minister who is here. The entire population of this area is scheduled tribes. I am at a loss to understand why this area cannot be declared as a scheduled area, or a tribal block. We have had five Five-Year Plans till now. I would like to tell the House that in the first Year Five Plan, this Union Territory was not there; in the Second Plan, a number of areas were not covered; in the Third, Fourth and Fifth Plans, bigger amounts were, of course, provided. This area has got its own importance. This is very near to Diego Garcia; it is near the coast of Kerala. It has its own importance strategically as far as the defence point of view. It is an important island as far as our country is concerned. However, it is unfortunate that no effort has been made so far to provide this area with the required infrastructure. The only means of communication which were set up seventeen years back is wireless sets. A breakdown can take place any time. I would just quote an instance. On a 26-acre island, an unidentified ship was sighted. We do not know from which country it came.

It immediately taken up with the ministry concerned. The people there live without wireless set.

I brought it immediately to the notice of the concerned Ministry and they said, it is difficult for us to get persons trained to be sent to a place like Mitra, a far-flung area. I then offered my service to find a person for training. Even then nothing was done. I do not blame. I have got a limited time. I want only to impress that there is not even a single popular set up available there. Only one person is elected from the Lakshadweep to this august body. Last time when our advisory Council was nominated, I wrote a letter to the Prime Minister that I would not like to be associated with this kind of a body because it was not with the sanction and the will of the people that this body was functioning. But I was given an assurance that gram panchayats will be set up and a panchayat Regulation will be operated and I was requested to co-operate. So I co-operated. Now I was told that the regulation is finalised and sent for comments to the administration.

This time, I am sorry to tell you, that in the advisory council and the advisory committees that have been formed there are members who have settled only in the mainland. Perhaps, without the knowledge of the Home Minister it might have taken place. There are two persons who are settled in the mainland. One person who was taken into custody under sec. 107 of Cr. P.C. and who executed a bond—that person also is found in that body. What I say is, that just because it is numerically small, it cannot be treated as a colony of the Central Government or the Home Ministry. I only request the Home Minister to see the tension in the North-eastern sector and what a heavy price we paid. This kind of situation should not develop in Lakshadweep. In the interests of the nation and in the interests of the country I plead with the Home Minister on this occasion that the entire population of Lakshadweep being scheduled Tribes, we should have an autonomous territorial council or an Assembly on the lines of Arunachal Pradesh or whatever name you may call people's involvement and participation in the developmental activities must be there with the sanction and the will of the people. Andaman is also like that.....

MR CHAIRMAN : You have put your case in a persuasive manner.

SHRI P. M. SAYEED : In the Home Ministry's Demands I could not participate because I had to attend to my election petition. So I must be given special time.

I only request the hon. Minister, Churan Singhji who is here, who is a veteran leader, a freedom fighter. When I was born, he was fighting for the freedom of the country and I was only trying to contribute my mite to the freedom of the country. I am only presenting my case. I am not biased. Of these two persons who are settled in the mainland, one is the President of the ruling party there and another is the Secretary of the Party. What I am interested is that these two persons who are not associated with the development of the islands, who are not going to the islands and who are not concerned with the islands—why should they find themselves in these committees or the council?

Finally, I just want to say one thing. That is with regard to the employment situation. It is very explosive. Of course, in other parts of the country also it is there. Whereas in this Union Territory one special feature is that there is no public sector or private sector

[Shri P M Sayed]

and the only employment opportunity for the people of Lakshadweep is the government department employment potential. Here there is a lot of raw material in the islands which remain unexploited. I demand there must be a national fishing centre where not only the people of Lakshadweep but also people from Kerala and other adjacent places can go and fish there. Thereby employment opportunities will be generated for them and also it will help us earning more foreign exchange.

Lakshadweep is very famous. Therefore in that case I want the hon. Minister to

श्री खनाब सिंह यादव (प्रतापगढ़)

लक्षद्वीप की आबादी क्या है

SHRI P M SAYED: It is roughly 40,000 distributed among ten inhabited islands out of 30 islands. It is in a far flung area which is equal to the length and breadth of Kerala.

Whatever employment opportunity is there, people with 11 years, 15 years or 17 years service are still casual labourers. Anybody who want to throw them out is throwing them out. I am taking up the matter in the House under 377. The labourers in my home town Androth Island in the Lure Factory had been retrenched. I request the hon. Minister that these things should be set right—

1. The autonomous Tribal Council or Territorial Assembly or Mini State should be given to Lakshadweep. Just because it is small in area you cannot deny them the democratic institution that is being enjoyed by every citizen of this country.

2. The Advisory Council or Committee should be on elected footing.

Let him give this assurance that these things will be attended to in the interest of the country.

16 00 hrs

श्री सहानू सिंहवा कोम (इहानू)

समापित महादय, मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियाँ के आयुक्त की सन 1970-71 से 1973-74 तक की 20 वी, 21 वी और 22 वी रिपोर्ट सपरबोल रहा हूँ।

भारत की कुछ आबादी का ; से अधिक हिस्सा आदिवासी और अनुसूचित जातियों का

है। आजादी के तीस साल के बाद भी आदिवासियों की शिक्षा, अर्थ-व्यवस्था आदि क्षेत्रों में सामाजिक उत्पीड़न चालू है। उनके ऊपर आज भी कई प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। उन की जमीना पर जब रदस्ती करवा दिया जा रहा है। हम के लिये महाराष्ट्र सरकार ने एक कानून बनाया लेकिन उस कानून में भी कई छूटियाँ रह गई हैं जिस का लाभ उठा कर आदिवासियों की जमीन पर गैर-आदिवासी कानून द्वारा उन कानून में उन का अपनी जमीन वापस मिलन मुश्किल हो गया है। इन जमीनों के आदिवासियों के हक में रहेन के लिये महाराष्ट्र सरकार ने 1974 में रदम उठाया, लेकिन बड़े बड़े म्मगल सरकार द्वारा मिनी कारखाना के मालिकान टस्ट के नाम पर ये जमीन आपन नाम करवाई और उन जमीनों में काना धन बड़ा कर मफेद उन करने की माचन है—आदिवासी उन की उन चाला की बर्दाश्त नहीं करेगा। मार्ग या गेट जैसे शिखर उद्योगपतियां न टस्ट के नाम पर आदिवासियों की जमीन हटपली है सरकार का उन जमीनों का आदिवासियों का वापस दिवान की दृष्टि से कदम उठाना चाहिये। मैं आप के माध्यम से सरकार में विनती करता हूँ—अगर सरकार ने उन बारे में वकत पर कदम नहीं उठाया तो इन टस्टों की जमीनों पर आदिवासियों का जबरन कानून होना पड़ेगा—यह इनाम मैं जनता सरकार का दे रहा हूँ।

कई सालों में आदिवासी जगलो में रहते आये हैं, वे पहाड़िया में घूमते हैं, भटकते हैं और इस दुर्दशा में अपनी जिन्दगी के लिये इन्होंने कई जगहों पर जगलों को साफ किया है और कायत कर रहे हैं। अब महाराष्ट्र सरकार इन को उन जमीनों से निकाल रही है। महाराष्ट्र के धुलिया जिले में एस० आर० पी० को भेज कर सरकार आदिवासियों की जमीनों से निकाल रही है। इन एस० आर० पी० के सिपाहियों ने उन आदिवासियों पर, उन की महिलाओं पर अत्याचार किये हैं और अभी

भी कर रहे हैं, ये लोग आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। जनता सरकार में मेरा नम्र निवेदन है कि वहाँ से २५० आर० पी० फौरन हटाई जाय और जिन आदिवासियों ने जमीनी पर काश्त की है, वह जमीनें उन के नाम करवा दी जाय।

श्रीमन् अपात काल के जमाने में इन्दिरा सरकार ने २० नुकानी प्रोग्राम निकाला था। उस में आदिवासियों की भलाई का दिटोरग पीटा गया था। महाराष्ट्र सरकार ने उग प्रोग्राम के मृतकिक घोषणा की कि आदिवासियों का १५० रुपये में झोपड़ी तैयार करके दी जायगी। वाम आरम्भ हुआ, जंगल से छोटे छोटे दखत काटे गये और इन झोपड़ियों को तैयार किया गया, लेकिन इन झोपड़ियों में आदिवासा रहता नहीं है, क्योंकि आधे से ज्यादा झोपड़ियाँ हवा और पानी में उड़ गई हैं। कुछ झोपड़ियाँ ता पानी बरसते ही खत्म हो गई—यह है महाराष्ट्र सरकार की झोपड़ियों की कहानी। एक तरफ़ ता बड़े बड़े महल उठाये जाते हैं, बगले बनाने पर हजारों रुपये खर्च किये जाते हैं, बगला पर जा कड़ियाँ जगाई जाती हैं उन की कीमत २००-२००० होती है, मगर आदिवासियों की सम्पूर्ण आय १५० रुपए में तैयार होती है। यह आदिवासियों के साथ घोर अन्याय है, उन के प्रति कर चेष्टा है।

आपातकाल में आदिवासियों को मकानों के लिये बहुत जमीनें दी गई—मेरा इस को बतलाया गया। तमाशा क्या होता है—आदिवासियों को इक्कट्टा किया जाता है, सबी महोदय आते हैं, आदिवासियों के हाथ में जमीन का मालिक बनने का दम्तावेज दिया जाता है, सबी जी चले जाते हैं, मगर मकान बनाने के लिए जमीन का पता नहीं लगता, वास्तव में बहुत ही कम लोगों को मकान के लिये जमीन मिल पाई है।

आदिवासी दूर दूर जगहों में रहते हैं। वहाँ पाने के लिए शुद्ध पानी का कोई इतजाम

नहीं रहता। छोटे छोटे नालों का पानी पीना पड़ता है जिस के कारण कई किस्म की बिमारियाँ फैलती हैं। कोई अस्पताल न होने की वजह से बीमारियों का कोई इतजाम नहीं होता है। आदिवासियों को विभाग में जाने आने के लिये कोई सुविधा नहीं रहती है। जहाँ कहीं दवाखाने हैं, वहाँ पर भी डाक्टर नहीं रहता और जहाँ डाक्टर हैं वहाँ दवा नहीं रहती। यह हालत आज आदिवासी विभाग की है। इस विभाग में साप काटने की घटनाएँ हमेशा होती रहती हैं और दवाखाने दूर दूर शहरों में होने की वजह से वक्त पर इलाज के लिए पहुँच नहीं पाते इस कारण बहुत से लोगों का मरना पड़ता है।

आज भी आदिवासी विभाग में पीने के लिए पानी की दुर्गवस्था है। आज्ञादी के २९ साल बीतने के बाद भी पानी का मबाल हल नहीं हुआ। उन का गदा पानी पीना पड़ता है। जिन गावों में हरिजनो की बस्ती है, वहाँ जानवस वर अलग कुँ बनाए जाते हैं जिस में तेज निर्माण होती है। आज भी कटे कटे जगहों पर हरिजनों को एक हाँस पर पानी भरने के लिए मना किया जाता है। एक मील स मर के ऊपर पानी लाना पड़ता है। अगर कहीं लटकी देनी है, ता पहले यह पछा जाना है कि पानी की वहाँ क्या सुविधा है, कितनी दूरी से पानी लाना पड़ता है। मुझे विश्वास है कि जनता सरकार जल्द स जल्द आदिवासी विभाग में पानी की सुविधा के लिए कदम उठाएगी और साथ ही हरिजना का भी पाना का सवाल हल करेगी।

आज भी हरिजन और आदिवासियों पर अत्याचार हा रहे हैं। पानी के सवाल पर जमीन के सवाल पर ये अत्याचार सन होते रहते हैं, खास कर महिलाओं की माग्पीट करना, आदिवासी महिलाओं की छेड़ निकासना, बलात्कार करना, इस तरह के अनेक प्रकार के जुल्म और अत्याचारों का शिकार महिलाओं को होना पड़ता है।

[श्री लहानू मिड़वा कोम]

आदिवासियों को जंगल से लकड़ी तोड़ना, कोयला बनाना आदि मेहनत का काम करना पड़ता है। फिर भी उन को काम की मजदूरी एक तो वक्त पर नहीं दी जाती है और अगर दी जाती है तो उस में भी उन को फंसाया जाता है, बराबर मजदूरी नहीं दी जाती।

आदिवासी अपना पेट भरने के लिए जंगलों में बीड़ी के लिए पत्ते तोड़ कर और अलग अलग प्रकार के पत्ते तोड़ कर, गोंद आदि चीजे जमा करता है और उसे बेचता है। वहा भी बाजार में उस को फंसाया जाता है, उस की लूट होती है। व्यापारी लोग उन को लूटते हैं। इस तरह से आदिवासी लूटा होता है। उन को इस दयनीय परिस्थिति को बदलना पड़ेगा। जो चीजें वह बेचता है, उस का पूरा दाम उसको मिलना चाहिए। इस थोड़ी सी मजदूरी से वह अपना जीवन बिता नहीं सकते। यह उद्योग कुछ समय के लिए ही रहता है। फिर जो शोषण उस में उन का होता है, वह शोषण बन्द करना चाहिए।

साथ ही उन की बेकारी की समस्या अगर हल करना है, तो आदिवासी विभाग में लघु उद्योगों का होना निहायत जरूरी है। यही एकसाधन है, जिस से जंगलों में बिखरे हुए आदिवासियों को काम मिलेगा। कमीशन को रिपोर्ट में इन बातों पर और इस के अलावा अन्य बातों पर भी प्रकाश डाला गया है और मैं आशा करता हूँ कि जनता सरकार कमीशन की रिपोर्ट पर ध्यान देगी व इन सुझावों को अमल में लाएगी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : सभापति महोदय, वास्तव में आज का विषय बड़ा गूढ़ है और इस विषय को एक पक्षी दृष्टि से देखें तो समस्या का समाधान असंभव है। यह प्रश्न है जाति प्रथा से उत्पन्न और हमारे सदन के सम्मानित सदस्य केवल आर्थिक विषय में ही उलझ गये। इसलिये

मुझे थोड़ा समय लगेगा। आप क्षमा करेंगे। मैं पहले ही उदाहरण ले नेता हूँ वशिष्ठ का और विश्वामित्र को। वशिष्ठ और विश्वामित्र में आर्थिक समस्या में कहीं धनी और गरीब का फर्क नहीं था, और न कोई करोड़पति था और न कोई कंगाल था। मगर वशिष्ठ और विश्वामित्र में लड़ाई थी जाति की। वशिष्ठ पैदा हुए थे ब्रह्मणी के पेट में और विश्वामित्र पैदा हुए थे क्षत्राणी के पेट में। विश्वामित्र हजार हजार वर्ष की तपस्या किये। वह कहते थे कि मुझे ब्रह्मपि कहा जाय। और वशिष्ठ कहते थे कि यह क्षत्राणी के पेट में पैदा होने वाला व्यक्ति ब्रह्मपि कैसे कहा जा सकता है? यह ब्रह्मपि हां ही नहीं सकता। एक बार, दो बार, तीन बार तपस्या किये, जब चौथी बार हजार वर्ष की तपस्या समाप्त हुई तब ब्रह्मा आये और उन्होंने कहा अब तुम जो कहो वही मान लो। अब मैं तुमको ब्रह्मपि की उपाधि दे रहा हूँ। फिर भी विश्वामित्र ने कहा कि आपके उपाधि देने में मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। वशिष्ठ मुझे माने कि मैं ब्रह्मपि हूँ कि नहीं। तब वशिष्ठ ने कहा कि अब मैं ब्रह्मपि मान रहा हूँ। तब विश्वामित्र ब्रह्मपि हुए। अब इस चीज को पकड़ें सम्मानित सदस्य।

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : उन्होंने कोई तपस्या की ही नहीं।

श्री राज नारायण : सगड़ा है, क्योंकि जितने लोग यहां पर बोले आर्थिक समस्या और सरकारी नौकरी का ले कर ही बोले। मैं सरकारी नौकरी के आंकड़े भी दे दूंगा। जो चीज आपके मस्तिष्क में मुझे बैठानी है मैं उस पर ज्यादा समय लेना चाहता हूँ। तो इसलिये क्या इस सदन में इस पर चर्चा हुई कि अनुगमन मनुष्य बराबर है? अगर इस पर चर्चा नहीं होगी तो आप समझ लीजिये फिर आपका देश या समाज बनेगा नहीं। कोई भी राष्ट्र और कोई भी समाज केवल तिकड़म और साजिश की बुनियाद पर नहीं उठाया जा सकता है, यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का वाक्य हृदयगम कर लीजिये। एक सेंसर

[श्री राज नारायण]

श्रीमान रज्जु दे कि वर्तमान घर मंत्री के समय हरिजनो पर श्रव्याचार बड़ा और इससे समझ ले कि बहुत बड़ा नीर मात्र लिया तो इससे समस्या का समाधान नहीं होता। वस्तुस्थिति पर आपका आना ही पड़ेगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि पहले उसी वस्तुस्थिति का पट्टा देखा जाय यह आकर 30 जन, 1977 तक के मैं दे रहा हूँ, यू० पी० और महाराष्ट्र के 1973, 1974, 1975, 1976 और 1977 को ले लीजिये। यू० पी० में 1973 में टोटल इमीडेट्स इन्वॉल्विंग हरिजन 1716 हुए। 1974 में 2893, 1975 में 3409, 1976 में 3848 और 30 जून, 1977 तक 807। यू० पी० में 1973 से 1976 तक कांग्रेस का राज्य था और 1977 में आधी कांग्रेस जो आकर 6 महीने के हैं उसमें मार्च से पहले तक कांग्रेस और उसके बाद जनता पार्टी।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : मैं कांग्रेस की तरफ में कहता हूँ कि जब आप बिगोधी दल में थे तो बहुत में आप लोग आन्दोलन करने थे वह उसका नतीजा है।

श्री राज नारायण : मान लीजिये वहाँ हों। मगर तो इमीडेट्स हैं जिनमें हरिजन इनवाल्ड हुए वह बता रहा है। हरिजनों के साथ इनवाल्ड में भी थी। हमारे माननीय सदस्य इस बात को जानते कि 1956 में काशी विश्वनाथ मन्दिर में हरिजनों का विश्वनाथ मन्दिर में प्रवेश कराने के लिये मैं गया और उस समय मेरी दाढ़ी काली थी और लम्बी थी। तीन फुट तक पी० ए० सी० के जवानों ने मेरी दाढ़ी पकड़ कर मुझे धसीटा था—दाढ़ी लम्बी थी। उस के बाद मुझे सजा हुई। उस समय कांग्रेस के मुख्य मंत्री और कांग्रेस के प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर, श्री सम्पूर्णानन्द, का यह वाक्य मुझे तब है। राज नारायण जी, मैं आप के लिए हरिजन मन्दिर-प्रवेश के नाम पर, सनातन धर्मावलम्बी होने के नाते, बनारस

का नागरिक होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते, वर्णव्यवस्था में आमूल परिवर्तन नहीं कर सकता हूँ। श्री सम्पूर्णानन्द का वह खत अभी भी मेरे पास रखा हुआ है।

माननीय सदस्य मुझ में ताराज हो सकते हैं, लेकिन गुमराह नहीं हो सकते। मैं गुमराह करने की कला नहीं जानता—सीखना भी नहीं। गुमराह बनना मैं विराधी ही मानिष्ठ हूँ।

महाराष्ट्र में टाटल इन्सिडेंट्स इन-बाल्विंग हरिजन 1973 में 203, 1974 में 225, 1975 में 300 1976 में 354 और जून, 1977 तक 211। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है।

जहाँ तक आन्ध्र प्रदेश का सम्बन्ध है 1973 में 27 1974 में 55, 1975 में 56, 1976 में 202 और जन, 1977 तक 91 (यानी 100 के करीब) इन्सिडेंट्स हुए। आन्ध्र प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है।

यहाँ पर एक अग्रन्थ का मासिक फंमाला गया। मैं बनाना चाहता हूँ। बटे-बटे बिग हाउसिंग ने काफी रकम निकाल कर रखी है और वह रकम मेरठ, मुख्यकर नगर बुलन्दशहर, मुख्य और आगरा में बाँटा गया है। मैं चार पाँच दिन पहले आगरा में था। वहाँ के कुछ पुलिस अफसरों ने मुझे बताया कि किसी बाहर के मार्ल से पैसा आ रहा है और हरिजनों में इस लिए बाँटा जा रहा है कि ट्रक में बैठ कर दिल्ली चला और प्रधान मंत्री के सामने जा कर कहो कि घर बिभाग चौधरी चरण सिंह में छोना जाये। मैं यह बात इस लिए बता रहा हूँ कि सदन के माननीय सदस्य जरा इस खतरे से आगाह हों। भारत के पूँजीपति वर्ग की हैसियत अंग्रेजी शासन में 25 से 40 करोड़ रुपये की थी, लेकिन आज उस की हैसियत 1100, 1200 करोड़ रुपये की है। वे अब

चाहेंगे कि यह किसान का बेटा भारत ऐसे महान और विशाल राष्ट्र का घर मंत्री हो ? वे कब पसंद करेंगे ? इसलिए उन की अनेक प्रकार की माजिशें चलेयी । वे नहीं चाहेंगे किसान के घर के लड़के के हाथ में मक्स्टेंशियल पावर रहे । इसलिए मित्रगण जो आज कांग्रेस पार्टी के भी हरिजनोत्थान करना चाहते हैं, अनुसूचिन जातियों को विशेष स्थान दिलाना चाहते हैं उन में मैं निवेदन करूंगा कि अगर वे यह चाहते हों तो मोरार जी भाई को और इस जनता पार्टी को सरकार का बचा कर रखें । इसी जनता पार्टी की सरकार से फायदा होगा ।

चांधरी चरण सिंह जी के बारे में मैं बता दूँ, यहा बहुत से लोगो ने जो हवा बांधी थी और तूफान खड़ा किया था उस के बारे में वहा के हरिजनों ने मुझे चिट्ठी लिख कर भेजी है, उस पर उन के दस्तखत है, वह मैं पढ़ कर मुना देता हूँ ।

“माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
भारत सरकार, नई दिल्ली ।

दिनांक 2-8-77

महोदय,

दिनांक 11-7-77 को लखनऊ से प्रकाशित अंग्रेजी तेशनल हैरान्ड, हिन्दी नवजीवन तथा उर्दू के कोमी आवाज-ये सब इंदिरा जी के अखबार है अखबारों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि जाटों द्वारा हरिजनों पर अत्याचार मेरठ जिले में किए जा रहे हैं जिस में हमारे क्षेत्र तहसील ममोना के चार गांव-लतीफपुर, खादीपुर, कावडी सिर्जेपुर तथा मनोहरपुर का विशेष वर्णन था । मनोहरपुर गांव में केवल हरिजन रहते हैं तथा लतीफपुर में ज्यादातर सिन्धी सरदार, खादीपुर कावडी में और सिर्जेपुर में ज्यादातर हरिजन और कुछ गूजर

जाति के लोग रहते हैं । इन गांवों में कोई भी झगड़ा नहीं हो रहा है और न हुआ है । झूठी रिपोर्टें लिखायी जा रही है । कांग्रेसी ऐसा करा रहे हैं जिसका मैं मेरठ से प्रकाशित प्रभात अखबार में दिनांक 24-7-77 को खंडन कर चुका हूँ और एक लेख भी मैं ने दिया था । कल दिनांक 1-8-77 को हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री राम-नरेश जी यादव उपरोक्त गांवों का दौरा किए थे । मैं भी था । हरिजन बस्तियों में जा जा कर पूछ नाछ की । उन्होंने बताया कि जाट जानें तो यहां दस दस किलो मीटर दूर तक नहीं रहनी तो फिर जन्म कैसे हो गया और न ही कोई झगड़ा जमीन का ऐसा है जो आर्बिट्रल की गई थी, फिर छीन कैसे ली गई ? अन-आप में निवेदन है कि झूठी रिपोर्टें करने वालों के विरुद्ध मजल कार्यवाही की जाय । हम जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात का आश्वासन देने हैं कि कोई भी झगड़ा इस तरह का नहीं होने देगे और आप को सच्चाई से अवगत कराते रहेंगे ।”

कांग्रेसी राज में 58 बार मैं ने जेल काटी और 30 साल की आजादी में 15 साल मेरे जेल में बीते । अंग्रेजी राज में मैं ने केवल चार बार जेल काटी । हमारा तो बार हा बार बीता, हमारे बड़े भाई का ज्यादा बीता वह बात दूसरी है । क्यों, हरिजनों को जमीन दिलवाने के लिए, हरिजनों को भूकान दिलाने के लिए हरिजनों के दरवाजे पर कुत्ता खोदवाने के लिए जहां-जहां संघर्ष हुआ हरिजनों को ले कर तहां-तहां हम लोगों ने हरिजनों का साथ दिया है और इसीलिए लोग कहते हैं कि राजनारायण और इन के साथी तो चमार हैं चमार । यह बात सुन लीजिए, और हरिजनों का कोई बड़े के बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी का खड़ा हो जाय जिस भ्रमेम्बली

निर्वाचन क्षेत्र में से सड़ता था वहा से, वह अग्र हरिजनो का एक बोट ले ले तो मैं अपनी मूछ मुड़वा दू। अरे, मैं तो हरिजन खुद ही हूँ और बात क्या है ? मैं इस को यो ही गले से नहीं बोल रहा हूँ। मैं कलेजे से बोल रहा हूँ ? कुछ लोग गलाबाजी करते हैं जो ऊपर से बोलते हैं और मैं हृदय में, कलेजे से बोल रहा हूँ मैं यह चाहता हूँ कि हमारे सम्मानित सदस्य इस को समझ लें कि मैं ने विवेक से गांधी जी के चरणों में बैठ कर, डा० लोहिया के चरणा में बैठ कर, उन के मदशो और आदेशो का मान कर चौधरी चरण सिंह के मदशो और व्याख्यानों को और उन की पुस्तकों को पढ़ कर उस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि जब तक भारतवर्ष से जाति प्रथा का खात्मा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष का उत्थान नहीं होगा। जो लोग चौधरी चरण सिंह घर मंत्री के ऊपर यह आरोप लगाते हैं मैं उन में बिनम्रता के साथ निवेदन करूँगा कि बी एन डी—भारतीय नाक दल जब था ता भारतीय लोक दल के नीति वक्तव्य को पढ़ ले। जिसमें चौधरी साहब ने स्पष्ट किया है कि मैं तब तक चैन नहीं लूँगा जब तक भारत से जाति प्रथा को समूल नष्ट नहीं कर लूँगा। उनपर आज यह आरोप लगाया जाये कि वे हरिजनो पर अत्याचार बढ़ा रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री हुकम राय (जालौर) : सभापति महोदय, मैं निवेदन करूँ कि महात्मा गांधी ने हिन्दू मुसलमान एकता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी तथा हरिजनो के लिए एक नया नाम निकाला। मैं चौधरी साहब से कहना चाहता हूँ कि उनका नाम जो “चरण सिंह” है उसका मतलब क्या होता है ? चरण सिंह—जो गाय बछड़े को मार देता है। वह तो सिंह का भोजन है—गाय और बछड़ा। चरण सिंह—जो सिंह के चरण

हैं—उसको बदल कर अग्र चरण दास हो जाये तो बहुत अच्छी बात होगी। (व्यवधान)

श्री राज नारायण : इसका उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं निवेदन करूँगा कि यह जो इन्होंने प्रश्न किया है कि “चरण सिंह” का अर्थ क्या है वह प्रामोडिज्म में नहीं जाना चाहिए। मैं उनका क्या जवाब दूँ ? पता नहीं कहा से आ गये हैं।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि सम्मानित सदस्य समझ लें कि माननीय चरण सिंह जी गौतम सूत्र के सिद्धांत को मानते हैं।

श्री आर० एन० राकेश (चायल) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय सदस्य ने कुछ कहा ता माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह प्रामोडिज्म में न आ जाये लेकिन मंत्री महादय ने भी एक शब्द कहा है ‘पता नहीं कहा में आ गये’ यह भी प्रामोडिज्म में न आ जाये—यह मेरी रिकवेस्ट है।

श्री राज नारायण : मेरा मतलब था कि हमारे बोलने समय यह कहा से टपक पड़े। आप लोग जरा मुन लीजिए; मैं इसपर एक शेर भी नहीं दूँगा :

उतरने वाले अभी तक बाम से न उतरने तड़पने वाले तड़प कर फलक का छूँ आवें।

अभी उतरने वाले तो पीछे हैं लेकिन तड़पने वाले इस समय सामने दिखाई दे रहे हैं। पीछे कौन है ? जो आजकल दावते (रात्रिभोज) दे करके मसलदस्तों की राजनीति में अपने की पृष्ठभूमि का बना रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ ममान प्रसबा ... यह गौतम सूत्र का 22वाँ श्लोक है, मैं चाहूँगा हमारे सत्ताधारी दल के लोग और विरोध

पक्ष के लोग भी इस श्लोक को बराबर अपने यहां लिख ले। जिनकी जीवन क्रिया समान है उनकी जाति एक है। जिनके आचार समान हैं उनका जाति एक है मनुष्य का आकार समान है, सबके हाथ, पैर, होठ, पीठ, पेट, आख, नाक, कान सब बराबर हैं इसलिए मनुष्य मनुष्य में कोई भेद नहीं होना चाहिए।

जनता पार्टी, जिसके घर मंत्री चौ० चरण सिंह जी हैं उस जनता पार्टी में जाति की रेखा पड़ी है और कांग्रेस पार्टी में जाति की रेखा खड़ी है। अगर रेखा खड़ी रहेगी तो उच्च-नीच रहेगा और पड़ी रहेगी तो सब बराबर रहेगा। इसलिए चौ० चरण सिंह जी उस पड़ी रेखा को मानते हैं जिसमें हरिजनो के साथ अत्याचार करना वे पाप मानते हैं, गुनाह मानते हैं। अगर हरिजनो पर अत्याचार होता है तो सचमुच में उनका गत में नींद नहीं आती है। आपको मालूम नहीं होगा, मैं जानता हूँ, जिस दिन इसपर चर्चा उठी थी उसके सबेरे बंधारी साहब ने कहा कि मुझे राई बजे तक नींद नहीं आई। इसलिए जितनी ट्रेडामिटीज हुई वह कांग्रेस राज्य में हुई तो हुई लेकिन जनता पार्टी के राज्य में जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जनता पार्टी के विधायक और जनता पार्टी के मंसलमदम्य जो हैं उनको चाहिए वे अपने अपने क्षेत्रों में जाय और जहाँ कहीं भी हरिजनो पर अत्याचार हो, अपना खून दे कर उन का पसीना भी न गिरने दें। जहाँ पसीना गिरे वहाँ जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपना खून दे दे—तब यह मामला हल होगा।

श्रीमन्, मैं यह स्पष्ट पट रहा था— इस का भी जान लीजिए—एक नारा लबाया गया—जो बड़ा प्रगतिशीलता का

द्योतक था—“इंदिरा गांधी आई है, नई रोजनी लाई है”—अब देखिए—कितनी रोजनी लाई है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए दोनों को मिला कर 20 प्रतिशत आरक्षण था—सरकारी नौकरियों में अब देखिए—31-3-1964 को प्रथम श्रेणी 0.11 प्रतिशत, द्वितीय श्रेणी में 0.17 प्रतिशत तृतीय श्रेणी में 0.48 प्रतिशत और चतुर्थ श्रेणी में 9.78 प्रतिशत नोग थे। अब 1974 को लीजिए—एमजेंसो आने के पूर्व की पृष्ठभूमि में बतला रहा है—

अनुसूचित अनुसूचित
जाति जन
जाति

प्रथम श्रेणी	. 0 15	05
द्वितीय श्रेणी	. 0 35	0 02
तृतीय श्रेणी	. 2 64	0 24
चतुर्थ श्रेणी	. 12. 9	1. 59

जिन का 20 प्रतिशत स्थान मिलने चाहिए थे। सरकारी सेवाओं में, उन को कितने स्थान मिले—मैंने टॉडर जी की सरकार के आंकड़ों और उन्हीं की किताब के आधार पर सारी कहानी यहां आप की सेवा में साकायादा प्रस्तुत कर दी है—आप इस को देख लीजिए।

अब जरा संविधान का 46वा अनु-च्छेद पढ़ा जाय—

The State shall protect and promote with special care the economic interests of the weaker sections of the people and, in particular, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation'.

मैं पूछना चाहता हूँ—15 अगस्त, 1947 के बाद और जनता पार्टी की सरकार के 23 या 24 मार्च, 1977 के आने के पूर्व कांग्रेस सरकार ने अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित

जातिमें के लिए क्या किया ? हरिजनो के लिए जो कुछ किया, वह गांधी जी ने किया । हरिजनो के लिए जो कुछ किया—वह हम लोगो ने किया । आप को शायद यह मानूस नहीं होगा—मैं चाहता हूं इस सदन के सम्मानित सदस्य इस बात का भी जान जाय—सब से पहले जमींदारी एवालीशन कानून उत्तर प्रदेश में बना और उस समय चौधरी चरण सिंह जी मान लीये, इन्होंने सब से पहले हरिजनो को सिरदारी का अधिकार दिया । क्या इस देश के किसी दूसरे राज्य में सिरदारी का हक हरिजनो को मिला है ? वह सारी जमीन जब हरिजनो के पास थी, वह शिवसी थी, उन को सिरदारी का हक देकर उस जमीन का मालिक बना दिया । बामन, ठाकुर, लाला की हिम्मत नहीं हो सकी कि उन को बेदखल कर दें और यह सब चौधरी साहब के समय में हुआ । क्या देश के अन्य किसी राज्य में उसी जमीन दी गई ? कभी नहीं, कदापि नहीं ।

श्री भाऊसाहिब थोरट (पंढरपुर)

उस समय चौधरी साहब कौन सी पार्टी में थे ?

श्री राज नारायण : चौधरी साहब कांग्रेस पार्टी में थे । मगर मैं यह भी कहना चाहंगा कि अन्य सूबों में भी कांग्रेस की सरकार थी, क्या किसी ने ऐसा किया ?

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) डा० बी० रामकृष्ण राव की जो पहली कांग्रेस मिनिस्ट्री हैदराबाद में 1952 में बनी, उस ने भी जमींदारों को बेदखल कर के हरिजनों की जमीन दी ।

श्री राज नारायण : जो पहला मन्त्रालय था—पहले जिस का समुचित उत्तर देना चाहता हूं । चौधरी चरण सिंह की रपट के बिना उस समय के कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं ने लिखा—उस समय की कैबिनेट की प्रोसीजरिंग मंगा कर पढ़ लीजिए—चौधरी साहब ने अपनी रपट में लिखा कि हरिजनो की तरक्की के लिए क्या-क्या काम किया जाय और जा दूसरे मंत्री थे उन्होंने क्या मन्त्रालय दी—आप को मालूम हो जायगा । लेकिन चौधरी साहब अपने इरादों के पक्के थे, अपने कोल के पक्के थे, एक बार जो निर्णय कर लेते हैं, उस पर चलते हैं । अब यह छाती क्यों फटने लगी जब तमाम कामागत बैठने लगे । मे अपने कांग्रेस बन्धुओं से शायद जोड़ कर बिनती करता हूँ कि जरा वे हमारी बात ध्यान से सुनें । मैं एट्रामिटीज इयूनिंग एमर्जेन्सी की बात कह रहा हूँ । यह जबर्दस्ती नमबन्दी गिनती हुई, जबर्दस्ती नमबन्दी हरिजनो की हुई, जबर्दस्ती नमबन्दी पिछड़े लोगों की हुई, जबर्दस्ती नमबन्दी ब्रह्मण ठाकुर और बनिये की नहीं हुई । इसलिए एट्रामिटीज इयूनिंग एमर्जेन्सी के लिए जब शाह आयोग बैठा, तब उन लोगों की छाती क्यों फटी । उधर जो गरीब हरिजन परिवारों में पैदा हुए हैं उन के प्रति हमारी सहानुभूति है मगर वे कांग्रेस पार्टी में जो वेन्टेड एन्स्टेंस है उन के द्वारा एम्प्लोयमेंट मिले जाते हैं । इसलिए वे इस तरह का प्रस्ताव रखते हैं कि उन के द्वारा यह बात कह जाय । गांधी जी का जो जयन्ती आगमा, तब देखेंगे, मगर मैं चौधरी साहब, मैं एक बात यह कहना चाहता हूँ सम्म भ्रमन जना 'अस्मिन्' । जहाँ जत जन में समता का व्यवहार हो, वह समाज है । इस सिद्धांत को हम मानते हैं । "समता राज ।

[श्री राज नारायण]

प्रकाशः यस्य" समता के द्वारा जो प्रकाशित हो, वह समाज है। इस सिद्धांत को अपना कर ही चौधरी साहब समाज में रहने के लिए प्रतिज्ञ है।

(अध्यक्ष) . मनु को पढ़ना चाहते हो, तो हमारे पास आओ। मनु ने भी यह कहा है

"जन्मवा जायते शुद्र

सस्कारात् द्विज उच्यते

वेद पाठात् भवेत् द्विजः

ब्रह्म जावोति ब्राह्मण"

मनु ने भी कहा है कि जन्म से सभी शुद्र होते हैं जाति से नहीं। जो ब्रह्म को जाने वह ब्राह्मण है। ब्राह्मणी के पेट से जो पैदा हुआ हो वह ब्राह्मण नहीं है। यह सब चीजें हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, इसलिए जानते हैं। गीता को आप पढ़िये, तो उस में भी यही कहा गया है। चाहे गीता पढ़े चाहे महाभारत पढ़े और चाहे रामायण पढ़े, सब में यही कहा गया है। रामायण को आप पढ़िये। सबरी के यहाँ जब राम जाने हैं, तो वह कहती है कि आप तो राजा हैं और मैं अछूत औरत हूँ। आप हमारे यहाँ कैसे खाना खायेंगे। इस पर राम कहते हैं

"कह स्वपति मनु भामिनि बाता।

मानहु एक भक्ति कर नाता।"

उन्होंने कहा कि मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। यह जातपात, ऊँच-नीच की कोई बात नहीं है। मैं जो जिस परिवार में पैदा हो, अगर वह ईमानदार है, सच्चा है, बड़िया और भला है, तो वही ब्राह्मण है। "ब्रह्म जावोति ब्राह्मण"। जो ब्रह्म को जाने, वही ब्राह्मण है। जो ब्राह्मणी के पेट से पैदा हुआ, वही ब्राह्मण नहीं है।

श्री केशवराव बोडगे (नांदेड) : राजन, रामायण साहब शम्भू का छूत किस ने

किया था? क्या शम्भू का छूत राम नहीं था?

श्री राज नारायण : मैं जानता हूँ कि शम्भू को राम ने मारा लेकिन शम्भू को मार कर प्रायश्चित्त भी राम ने किया, मगर यहाँ पर तो दो लाख लोगों को जेल में बन्द कर दिया गया था और कोई प्रायश्चित्त नहीं किया गया। आप ने जय प्रकाश नारायण जी के उस वक्तव्य को पढ़ा है, जो उन्होंने 7 जुलाई, 1977 को दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे पता नहीं कि मेरा किडनी कैसे खराब हो गई। रिहार्ड से छह दिन पहले मुझे बताया गया कि मेरी किडनी खराब हो गई है। कैसे टूट गई, मैं नहीं जानता। श्रीमन्, अभी मेरे पास एक चिट्ठी है जो डा० करोली ने लिख कर भेजी थी।

MR CHAIRMAN You have already taken twenty-five minutes. Whatever time you take will be deducted from your side. Please keep that in mind.

श्री राज नारायण : श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर दूँ कि अगर चौधरी साहब आपसे कहें कि इनको न बालने दो तो मैं बैठ जाऊँ।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि अभी अभी हमारी पोकेट में एक चिट्ठी थी जो हमने प्रधान मंत्री जी को दे दी। डा० करोली ने कन मुझका लिख कर चिट्ठी दी कि हमारे पास स्वास्थ्य विभाग का एक सेक्रेटरी, जिसका नाम है बागची, वह आये और जब मैं अपने दफ्तर में था, डा० करोली प्रेसीडेंट के डाक्टर थे, उस सेक्रेटरी ने हमको कहा कि मुझको कुछ खास रोग के बारे में बात करना है। उन्होंने कहा कहिये, तो उसने कहा कि घर पर चल कर बात करूँगा। तो वह अपने घर ले गये और घर जा कर उन्होंने डा० करोली को बताया।

श्री बसन्त साठे (अकोला) : आप किस के लिये बात कर रहे हैं?

श्री राज नारायण : मैं आपके लिये बात कर रहा हूँ।

श्री बसन्त साठे : भरे, आप चौधरी साहब की किडनी खराब कर दोगे।

श्री राजनरायण : आप जो चाहते हैं वही बोल रहा हूँ कि हरिजनों और जनजातियों का उत्थान कैसे होगा। वही बोल रहा हूँ कि कैसे सरकार बना कर जनजातियों का उत्थान हुआ... (व्यवधान) जनतत्व का तत्व है कि दूसरे की बात सुनो और अपनी बात को सुनाओ। अगर जानते हो तो व्यवहार में लाओ।

मुझे यह कहना है कि उनको मनाह दी गई यानी डा० कैराली को, कि बाबू जग-जीवन राम 5 तारीख को अपने दोरे में लौट रहे हैं, उनको मनाह दी कि तुमका हाईर्ट घंटेक है और 15 तारीख तक बिलियडन अस्पताल में किसी तरह दाखिल करा दो। डा० कैराली ने कहा मैं यह हरगिज नहीं कर सकता। यह एक डाक्टर के सिद्धांत के विरुद्ध है। ता वह कहते हैं कि तुम्हें मालूम है कि मैं कौन बोल रहा हूँ, मैं कहा मैं मदेश लाया हूँ? यह मैं समझता कि केवल डाक्टरों के पद से भ्रमण हो जाओगे। जेल के दरवाजे बहुत चौड़े होते हैं। तब उस डाक्टर ने कहा कि हमारे घर से निकल कर चले जाओ। वह चिट्ठी हमारे पाम है जा हमने प्रधान मंत्री जी का दे दी है। उस चिट्ठी के बारे में कभी यहाँ बिस्तृत चर्चा होगी। हमने डा० कैराली से कहा था कि जा अन्य बात हो ईमानदारी से भगवान को मानते मानकर दो क्योंकि तुम ईश्वर को मानते हो। ता अभी रिजनी चीजे मानते आयेगी। डब्लुदायें दूक है रोता है क्या, आगे आगे देख ले होता है क्या। इसीलिए बहा पर आफन मची हुई है। मैं कहना चाहता हूँ सभाधारी दल के लोगों से विशेष तौर से कि मन्सुब अगर गांधी जी के सिद्धान्त के मुताबिक जनता पार्टी के लोगों को बनना है, जयप्रकाश नारायण जी के समग्र क्रान्ति के सिद्धान्त को मानते हुए, डा०

लोहिया के सत्य क्रान्ति का मानते हुए, चौधरी चरण सिंह के जाति बिहीन समाज को बनाना चाहते हो और भारगरजी भाई के मानों को पूरा करना चाहते हो तो अपने ऊपर नियंत्रण करो और प्रतिज्ञा ले ला कि सब का उत्थान करना है। हिन्दू के माने क्या और मुसलमान के माने क्या है म हिन्दू और मुसलमान पर भी आ जाऊंगा क्योंकि हमारे कुछ मुसलमान भाई भी यहाँ बोल गये। "हिन्दुय दुष्टान छति हिन्दू"। हिन्दू की परिभाषा है कि जो दुष्टा का हनन करे वह हिन्दू, और जो खुद दुष्टता कर वह हिन्दू नहीं। मुसलमान की परिभाषा क्या है? जो इस्लाम में मनामत वा लम्बदार हा वह मुसलमान। तो हिन्दू और मुसलमान दोनों की परिभाषा एन है।

16, 17, 18 मिनट्स का जात तोड़ो सम्मेलन दिल्ली में होने जा रहा है। चौधरी चरण सिंह उसका समापन करेंगे। श्री जग-जीवन राम तथा अन्य बड़े बड़े नेता उसमें बोलेंगे। माननीय सदस्य श्री उमम आर्य से।

जाति प्रथा की बुनियाद कैसे पड़ी और उसका खातमा कैसा हो? यह कार्ड मामूली रोग नहीं है। पश्चिम के समाजवादी कहा करते थे—डा० लार्डिया का भी उनमें झगडा था—कि केवल धन का बटवारा करने में इस समस्या का हल हो जायेगा। मगर श्री कर्पूरी ठाकुर आज बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, ता क्या बहा के ठाकुर और ब्राह्मण के लडके श्री कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ नाने नहीं लगाते हैं? वे नाने लगाते हैं : नाई है नाई, यह राज बग्या? इसका काम कुछ और है। यह नाने उग दल के लोग लगाते हैं, जो अपने आपका क्रान्तिकारी कहते हैं। क्या उन्हें शर्म नहीं आती?

श्री राय मरेश दासब उत्तर प्रदेश के पहला पिछडा मुख्यमंत्री बना है। उनके मुख्यमन्त्रित्व काल में बड़े अच्छे ढंग से विकास

[श्री राम नरेश यादव]

हो रहा है। उसका गिराने के लिये अनेक प्रकार की कोशिशें हो रही हैं।

एक माननीय सदस्य : यादव बैकवर्ड होने हैं।

श्री राजनरायण : मैं तो मानव समाज का एक बनाना चाहता हूँ, मगर आज हमारे देश में क्या स्थिति है? देश के काने-काने में बने 9 करोड़ बायोमीक लोगों की तरफ से यह मांग आ रही है। वे सफाई मजदूर हैं जिन्हें हमारी जाति के लोग भगी कहते होंगे। गांधी जी ने कहा था कि अगर मैं पुनर्जन्म लूँ, तो मेरा दुश्मन है कि मैं भगी के परिवार में जन्म लूँ। पाखाना उठान से कोई भगी नहीं बन जाता है। इसलिए जब मैं जेल में जाता हूँ, तो हस्त में एक दिन जल्द मर का पाखाना माफ करता हूँ, ताकि जेल के लोग यह समझ जायें कि काम करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। इन 9 करोड़ बायोमीकियों की मांग है कि हम हरिजनों से अलग हैं, इसलिए हमारी सीटें अलग से रिजर्व्ड हों। उनका कहना है कि हरिजनों के नाम पर केवल चमार आ जाते हैं और हम लोगों का कोई पूछना नहीं है। अगर इस तरह की चीजें चलाई जायेंगी, तो न जाने कितने दुकड़ हो जायेंगे। इसलिए जब मैंने श्री राम नरेश यादव का नाम लिया, तो माननीय सदस्य का यह नहीं कहना चाहिये था कि वह तो यादव हैं।

हमें बुद्ध से मेलना चाहिये। उनके आराम में एक नार्डिंग लड्डका मबसे पड़ने गया। उसके बाद जब एक राजा का लड्डका गया, तो बुद्ध ने उसमें प्रतिज्ञा करवाई कि तुम्हें इस नार्डिंग के लड्डका का नमस्कार करना होगा, क्योंकि वह हमारे आश्रम का गुराना सदस्य है और तुमसे पहले आया है। माननीय सदस्य बुद्ध का पढ़ें और सीखें। वे केवल पार्लियामेंट का मेम्बर बन जाने से अपने आप को बड़ा

आदमी न समझे। न मालूम कितने पार्लियामेंट के मेम्बर आयेगे और जायेंगे।

कल मैं चौधरी चरण सिंह के आदेश पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की एक सभा में गया था। उनकी मांगों को मैं चौधरी चरण सिंह की सेवा में रखूंगा। उनका कहना है कि राजस्थान में एक मोना जाति है। उसे राजस्थान में सब हक है, लेकिन दूसरे प्रान्तों में उसे कोई हक नहीं है। बागडिया आदि ऐसी बहुत सी जातियाँ हैं, उन्हें भी हरिजनता का हक मिलना चाहिये और पूरी तरह से जाच-पड़ताल कराकर विधेय अधिनियम का सिद्धान्त दिया जाना चाहिये।

SHRI L. K. DOLEY (Jalgaon) :
Sir, I rise on a point of order....

MR. CHAIRMAN : There is no point of order.

SHRI L.K. DOLEY **

MR. CHAIRMAN : Order, order. Nothing of what the hon. Member said should be taken down. If the hon. Member does not sit in spite of my ruling, then I may have to name him. Please sit down. Unnecessarily in the name of points of order you are taking the time of the House.

SHRI MOHD SHAFI QURESHI :
I rise on a point of order.

MR. CHAIRMAN : The hon. Members cannot take the law into their own hands without my permission.

SHRI MOHD SHAFI QURESHI (Anantnag) : Why don't you listen to him (Interruption). His point of order was this. He was talking about Hinduism, he talked about Islam and then he talked about Buddhism. This gentleman wanted to ask whether he knew anything about Buddhism. How many Buddhis are there in this country? Does he know this?

MR. CHAIRMAN : There is no point of order. He is competent enough to put forth his case. Why should you, Mr. Qureshi speak? You may continue.

श्री राज नारायण : मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे सम्मानित सदस्य कोई ऐसी अनगल बात नहीं कर रहे थे कि उस पर कोई हल्ला मचाए। वह हम से जानना चाहते थे कि बुद्धिष्टों को संख्या क्या है। बुद्धिष्टों को संख्या मैं बता दूँ... (व्यवधान)

SHRI L. K. DOLEY : On a point of order.

MR. CHAIRMAN : What is your point of order ?

SHRI L. K. DOLEY : I want to go on record on this question.

This point of order is specific, because he has quoted so many religious scriptures Ramayana and Mahabharata....

MR. CHAIRMAN : Please come to your point of order.

SHRI L. K. DOLEY : He has quoted Lord Buddha. I want to ask a specific question : What is the fate of Buddhism in India ? What does he know about Buddhism ?

MR. CHAIRMAN : There is no point of order.

SHRI L. K. DOLEY : I want to go on record on this question.

16.56 hrs.

MR. SPEAKER in the Chair

श्री राज नारायण : बुद्ध शरणं गच्छामि, धर्म शरणं गच्छामि, संघ शरणं गच्छामि। अगर बुद्ध को समझना चाहते हो तो काशी में सारनाथ में चलो और वहाँ हमारी शागिर्दी करो। भारत की जातो प्रथा का यह कलंक है कि भारतवर्ष से बुद्ध धर्म लोप-प्रायः हो गया लेकिन यहां से चीन, बर्मा, लंका और जापान में चला गया।

गांधी जी के नेतृत्व में हमने जिस सभंत वादी जनतन्त्रीय समाज को बनाने की प्रतिज्ञा की थी और जिस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मोरारजी के नेतृत्व में और चौधरी चरणसिंह जी के घर-मंत्रीत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसको बनाने में न मालूम कितने नौजवानों ने फाँसी की रस्सी चूमी है, न मालूम कितनी लड़कियों के सिन्दूर धुल गये हैं, न मालूम कितने मासूम बच्चे संगीन की नोक पर लुटा दिये गये हैं, न मालूम कितनी माताओं

की गोदें सूनी हो गई हैं और न मालूम कितने नौजवानों ने जेल की सीखियों में कराहते-कराहते अपने प्राण तोड़ दिये हैं। उस समाज की रचना के लिए आज चरण सिंह और मोरारजी भाई के साथ कंधे से कंधा मिला कर पीछे चलते हुए जनता पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता खड़ा है और खड़ा रहेगा तथा हरिजनों और मुसलमानों पर किसी तरह का अत्याचार नहीं होने देगा—वही अच्छा और सच्चा हिन्दू है जो एक मुसलमान की जिन्दगी बचाने के लिए अपनी जिन्दगी को खतरे में डाल दे। यही है—जनता पार्टी का सिद्धान्त।

इन शब्दों के साथ मैं आज अपने भाषण को न चाहते हुए भी विरोधी दल की हस्तक्षेपीय नीति के कारण समाप्त कर रहा हूँ।

श्री आर० एन० राकेश : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्काइब्ड लिस्ट थी, उस के अनुसार आप ने सात बजे तक का समय निश्चित किया था, लेकिन एक घण्टे का टाइम मंत्री जी ने ले लिया, जब कि उन का नाम लिस्ट में नहीं था। मेरा आप से अनुरोध है कि इस डिस्कशन का टाइम एक घण्टा और बढ़ा दिया जाय।

SHRI VASANT SATHE : The time should be extended. For one hour a completely irrelevant speech was made, not connected with the subject. We were tortured ; so we must at least get that one hour spent like this.

SHRI L. K. DOLEY : This is exactly the type of speech by which the Scheduled Castes and Tribes are exploited (Interruptions) I am quite unhappy about the manner in which he has delivered his speech.

MR. SPEAKER : Shri Basant Singh.

17.00 hrs.

श्री बसंत सिंह खालसा (रोपड़) : स्पीकर साहब, मैं आप का बहुत मशकूर हूँ—आप ने मुझे पहली दफा इस एवान में बोलने का मौका दिया। बहुत सारी बातें यहां पर हमारे पहले माननीय मेम्बरों ने कही है। मैं उन को फिर से मेन्शन नहीं

[श्री बसंत सिंह खालसा]

नहीं करूंगा। हमारे कास्टीट्यूशन में कहा गया है—“कास्टीट्यूशन ऑफ इंडिया एनश्यास मोशल, डकानामिण्ड गण्ड पानिडि-कल जस्टिस फार आल पोपल”—लेकिन हिन्दुस्तान में हरिजन के साथ जो अन्याय, जुल्म और पाप किया गया है, वह आज हर एक का मालम है। इन हरिजनों पर अत्याचार करने वाले भी यहाँ बैठे हैं, और जिन पर अत्याचार होते रहे हैं वे भी आज यहाँ बैठे हैं। 1947 के बाद जितने अत्याचार उन पर हुए—उनकी बाबत रिपोर्ट यहाँ थर्ड प्रोग्राम इन रिपोर्टों में भी जा अत्याचार हुए हैं उन की कहानियाँ दर्ज हैं। इस देश में पिछले तीस सालों में कांग्रेस का राज्य था, जो उम्मीदें हमें इन लोगों से थी, वे सब इन्होंने खत्म कर दी। जनता पार्टी तो आज आई है, जनता पार्टी का डम है कोई कुत्तर नहीं है, जितने पाप किए वे इन लोगों ने किये जो सामने बैठे हुए हैं।

स्पीकर साहब, पाकिस्तान बना, उस के बाद बहुत बड़ी तादाद में रिपयजीज यह आये। उन के लिए एक सप्रेम मिनिस्ट्री ऑफ रिहैबिलिटेशन बनाई गई, श्री मेहरबान खान उस के वजीर थे। तमाम सूबों में उन के लिए मिनिस्ट्रीज बनाई गई, उनको सफाई दिये गये, इण्डस्ट्रीज दी गई, नौकरियों में रिजर्वेशन दिया गया, वोटों और परमिट्स दिये गये। मैं उन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन यह बात सही है कि उन लोगों को दिये गये और उन को रिहैबिलिटेड किया गया है। इसी तरह जब बंगला देश बना, बंगला देश से एक करोड़ लोग यहाँ आये, बंगला देश के लिए हिन्दुस्तान को जनता पर टैक्स लगाया गया और उन के लिए अच्छी रोटों और चगी रिहाइज का बन्दोबस्त किया गया। मैं आज बिरोधी दल में बैठे हुए इन कांग्रेसियों से पूछा जा चाहता हूँ—हम लोगों ने, जो हजारों वर्षों के

उजड़े हुए हैं, क्या कुत्तर किया था जो हमारी तरफ इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हम को उठाने के लिए यत्न क्यों नहीं किया गया? हमें रिहैबिलिटेड करने का यत्न क्यों नहीं किया गया? जिस तरह मैं हमारे रिपयजी भाइयों के लिए, बंगला देश के भाइयों के लिए नेशनल प्रावलम समझ कर सैपरेट मिनिस्ट्री बना कर काम किया गया, हमारे लिए क्यों नहीं किया गया? मेरी दर-खाम्म है कि सब में पहले हमारे लिए, सैपरेट मिनिस्ट्री बनाई जानी चाहिए जो हमारे हरिजन और आदिवासियों के मसलों को नेशनल-लेवल पर हल करे। जब तक आप सैपरेट मिनिस्ट्री नहीं बनायेंगे, यह मसला हल नहीं होगा।

अब मैं उन बातों का जिक्र करूंगा जो पिछले तीस सालों में नहीं हाँ पाई हैं। रिजर्वेशन के मसले को लीजिये—जो आकड़े दिये गये हैं उन में जाहिर होता है कि कहीं 1 परसेण्ट सोट भरी है, कहीं दो परसेण्ट सोट भरी है और कहीं एक परसेण्ट भी नहीं भरी गई। क्या पिछली सरकार के मेम्बरान जो आज विरोध में बैठे हैं, बता सकते हैं—जब आप ने हम को मोके दिये, बाजोंफ दिये, हर तरह की सहूलियत दी, तो फिर हम इस योग्य क्यों नहीं हो सके कि हम भी आगे बढ़ सकें। क्या पिछले तीस सालों में हमारे में किसी को भी आप देश की किसी भी यनीवर्सिटी में वॉइस चांसलर नियुक्त कर सके? किसी भी सूबे में हरिजन गवर्नर बना सके? क्यों? क्या हम इस लयक नहीं हैं? आज विदेश में हाई कमिश्नर या मफीर भेजे जाते हैं—क्या कभी उन में हमारा भी कोई आदमी गया? पिछले तीस सालों में हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, वह मैं आप के सामने रखना चाहता हूँ। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में बहुत असेस जजेंज लगते चले आ रहे हैं—लेकिन आज तक हमारा एक जज

भी उन में नहीं है। मिर्क इन्ही मामलों में हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, इण्डस्ट्रीज के मामले में, दूसरे ऐसे बहुत से मामले हैं, जिन में आज भी हमारा नामोनिशान नहीं है। पोर्ट ट्रस्ट ऑफ बम्बई पोर्ट ट्रस्ट ऑफ मद्रास में भी कोई हमारा जगह नहीं है न कोई चयरमैन है अथवा कोई मैजिस्ट्रेट है। वरतन सारी कापॉजिशन ऐसी हैं जहाँ पर कोई हमारा चयरमैन या मैनेजिंग डाइरेक्टर नहीं है जैसे फूट कापॉरेशन आफ इण्डिया है, सीट कापॉजिशन आफ इण्डिया है। ता मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम भी इस देश के बाणिन्द हैं। यह हमारा देश है, हम इस की मर्यादा को मानते हैं, हम इस देश की कीर्ति में से एक हैं लेकिन हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाता है। हम यहाँ के देशवासी हैं और मैं समझता हूँ कि इस की तरफ आप को ध्यान देना चाहिए। क्या हमें इस योग्य नहीं समझा गया है। हम ने भी देश की आजादी में पूरा हिस्सा लिया है। हम ने भी लड़ाई लड़ी है। देश के कारखानों की उपज में हम न पूरा हिस्सा लिया है। हम खेतों में अपना खून पसीना बहा कर देश की उपज को अपने में जाना चाहते हैं। देश की रक्षा के लिए हम लड़े। गवर्नर सिविल लाइट इनफेण्ट्री है, जो कि प्योरली इण्डियन की है। अगर हम ने देश की रक्षा के लिए, देश में उपज बढ़ाने के लिए देश के डेवलपमेंट के लिए पूरा हिस्सा दिया है, ता फिर हमारे साथ क्यों भेदभाव किया जाता है। मैं उन भाइयों में जो कांग्रेस में बैठे हैं और जो हमारे इण्डियन पार्टी हैं, उनको कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को क्यों आपने इतना बाहुबल दिया है कि आप के होते हुए भी इण्डियन पर इतना जुल्म और सिलम किया है। किसी से मायने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। "कोई किसी को राज न दे है, जो ले है निज बल से ले है"। जो लेना है, वह निज-बल से

लेना है। मैं हरिजन संसद् सदस्यों से विनती और निवेदन करना चाहता हूँ कि आप का यह फर्ज बनता है कि आप यक-जहीती से इन जुल्मों और सिलमों के खिलाफ लड़ाई लड़े और मैं यह मांग करता हूँ हालांकि मौजूदा सरकार का, यह बात सही है, इस में कोई हिस्सा नहीं है मगर मेरी मांग है कि वह हम लोगों की हालत को सुधारे। हरिजनों ने देश की आजादी के लिए, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, कारखानों में पैदावार बढ़ाने के लिए और खेतों में उपज बढ़ाने के लिए हिस्सा लिया है, इसलिए इन के ऊपर जो जुल्म हुआ है, उन को समाप्त किया जाए। पंजाब में जो जुल्म हुए हैं और जो एमजसती लगी थी, उस में शिरोमणि अकाली दल ने मोर्चा लगाया था जो पूरे 19 महीने चला। और पंजाब में बहुत सारे हरिजन एम० एल० ए० 19 महीने जेलों में रहे थे। मैं सब से पहले इस मोर्चे में गया था और 19 महीने भीसा के अधीन मैं जेल में रहा। मैं एक बात यह कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पिछली सरकार ने हमें एकोनोमीकली, सोशलली और पालीटीकली पीछे धकेला है, हम उम्मीद रखते हैं कि मौजूदा सरकार इन तीनों बंधनों को और हमारी तरफ ज्यादा तबज्जह देगी और जितना हमारा हिस्सा हाना चाहिए, कारखानों में, बिजनस में, जमीन में और दूसरी जगहों पर वह हमें देगी। यह पालीटीकल मामला होना नहीं चाहिए। जहाँ तक मजिस्ट्रिज का ता लुक है, हरिजन मुलाजिमों का रिकार्ड खराब किया जाता है और जब तक यहाँ पर कोई कानून नहीं बन जाता या एसेम्बलीज में कोई कानून नहीं बन जाता कि उन लोगों का जिन्होंने हमारा रिकार्ड खराब किया है मज्जा दी जाएगी, तब तक हमारा भना नहीं हो सकता। यह चीज एकट से जब तक दबे नहीं की जाती तब तक मजिस्ट्रिज में हमारा हिस्सा हम को नहीं मिल सकता।

[श्री बसन्त सिंह खाबसा]

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मौजूदा जो कैबिनेट है, उस में सिर्फ बाबू जगजीवन राम जी ही हम लोगों की तरफ से है। केवल बाबू जगजीवन राम जी से ही हमारा काम नहीं बन जाता। उस में भी हमें 25 या 30 परसेन्ट अपना हिस्सा मिलना चाहिए। मैं यह चाहूंगा कि श्री मोंरारजी देसाई जब अपनी कैबिनेट का एक्स्पेंशन करें, तो उस में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का पूरा हिस्सा उन को मिलना चाहिए।

SHRI N. SREEKANTHAN NAIR : Is it not in order and in accordance with the parliamentary practice that those people who have moved substitute motions should be given time ?

MR. SPEAKER: They will be given time.

SHRI M. V. KRISHNAPPA (Chikballapur): Mr. Raj Narain took one hour. I had submitted a list of 9 members but none of them except one, got the opportunity to speak. All the time has been given to the Janata Party Members. Out of six hours, only one member could speak from our side. If this is the attitude, then, I think, our members have no business to sit here. The Minister concerned will also require time for replying. I am the Chief Whip of the Party and they are all blaming me.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): I will take half-an-hour.

MR. SPEAKER: I will give you time.

SHRI B. SHANKARANAND (Chikodiy): I have been seeing all these days on the Order Paper that the motion was moved by Prof. Madu Dandavate. He is the Minister of Railways and I do not know why he has moved the motion. I am not attributing any motives to the Home Minister.

MR. SPEAKER: Because in the absence of the Home Minister, he has been authorised to move that.

SHRI B. SHANKARANAND: I have been listening to many speeches on the problems of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. But it pains me to see that many of the speeches have been received by many of the Members in a lighter way. I mean to say that the importance of the SC & ST problems has not been taken as seriously as it should have been. From the speech which has been just now delivered by the hon. Minister I find, that he has touched upon everything except the problems of the SCs & STs.

I do not want to refer to the question of representation in the services because for days together, it has been discussed. I wish to draw the attention of the House on the various issues raised by the Commissioner in his reports of 1971-72 and 1972-73. Besides recommending hundreds of recommendations for the considerations of the Government, he has raised fundamental questions. I am sorry to say that those questions have not been discussed at all. He says:

"There is no doubt that the problems of caste-discriminations are the most important and archaic of our country and are the root causes of our evils."

Again he says:

"The weaker sections of the society could be brought upto the general standard in the country in a short a time as possible by one and all."

Here, I want to say that the issue of SC & ST is not a party issue. But I have heard in the speeches that Members are just blaming one party or the other. Every ailment of this country was attributed to the British Rule. Now, the Janata is blaming the Congress and vice-versa. This has been made a party issue. That is not the case. This is a national issue.

When we are talking about the atrocities on Harijans, when we are talking about the welfare of Harijans, sometimes it is taken in a light way. Can I not ask: Are we not ashamed of these atrocities committed on the weaker sections of the society even after 30 years of Independence? We are not at all ashamed. We talk of our religion; we talk of our culture; we talk of our heritage; we talk of our history; we talk of everything. I can give vent to the feelings of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in this country. No one in this country who belongs to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, whether he is a Minister or an M.P. or an ordinary citizen, is at all happy. For him, the future is dark and gloomy. He does not see any hope of salvation. The ray of hope was Dr. Ambedkar. I have been in this House for the last

more than 10 years. Every now and then, on constitutional issues and other issues, Dr. Ambedkar is quoted both by the Opposition and the ruling party, including the past and the present Prime Ministers. They appreciate his actions; they appreciate his thoughts. But none is going to accept the way he has shown to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Now, if at all we are interested to remove untouchability and, once and for all, the problems of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, can we not follow the way of Dr. Ambedkar? That is the question which every Scheduled Caste and Scheduled Tribes Member should put to himself, if not to others. I know, there are many prominent Scheduled Caste and Scheduled Tribes Members sitting on the ruling side. I do not know why they are keeping quiet. May be, perhaps, in the hope of becoming Ministers, they do not want to harm the feelings of the Treasury Benches. In private, they give vent to their anger but, in public, I see them silent. I am really shocked.

SHRI CHAND RAM: Are we really keeping quiet? Are we not speaking for them? (*Interruptions*).

SHRI B. SHANKARANAND: I know, Mr. Chand Ram is a very powerful leader of the Scheduled Castes. I wish him to be a member of the Cabinet of Mr. Morarji Desai. I have been waiting for it so that he does something for them. Many people are here who are quite capable and who speak a lot about the downtrodden people and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people. Why is it that such eminent Members who are in the Janata Party are not included in the Cabinet?

AN HON. MEMBER: Mr. Jagjivan Ram is there.

SHRI B. SHANKARANAND: Of course, Mr. Jagjivan Ram is there. But if you want to treat him as a Scheduled Caste leader, I am very sorry for that. We have not treated him as a Scheduled Caste leader. We have treated him as a national leader. If you want to reduce him only to the level of a Scheduled Caste leader, then I am very sorry for that.

Further, the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has said:

"The question is whether the cool breeze of freedom has given any solace to weaker sections of our society, the Scheduled Castes and Scheduled

Tribes. Has this political freedom any meaning for such a mass of people who still suffer from social disabilities and economic inequalities?"

This is the question put by him. He has very frankly given certain reasons. He has said that though there is a will to do something, it has not been done. He says:

"Why, therefore, it has not been possible for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to swim along with others in the mainstream of development and be equal partners in the benefits of all our achievements. Has this been due to indifference to tackling this problem adequately at the policy-making level?"

I am not making this a party issue.

Having very little time at my disposal, I want to mention one very important point, that is, the place of religion in this country in maintaining the caste system, thereby maintaining untouchability in perpetuity. Whether untouchability can be removed without removing caste system is a basic question. If the Government says that it can be removed, then they can advance their argument. Then what is the solution? How can they remove caste system? When we think of issuing tickets for elections, whether it is the Congress Party or the Janata Party or any other political party, we think in terms of caste; whether this man can win from this constituency; whether that man can win from that constituency and so on. It happens with every political party. I do not blame only one political party. So, this caste system is just like a cancer.

About caste system, Dr. Ambedkar said and we also say that our freedom in future will be in danger. Dr. Ambedkar assured that only by conversion, untouchability can be removed. He had shown it by action. Unfortunately, Shri Raj Narain spoke of manusmriti. When he was speaking about manusmriti, many Members on this side and many Members on that side were burning in their hearts. That manusmriti was burnt by Dr. Ambedkar. It was the root cause for introducing this caste system and untouchability, and that was being relied upon by the Janata Ministers. What they may be thinking about the solution? This is very unfair, this is very unfortunate that the Ruling Party's Ministers are giving this impression in this country that the Ramayana, the Mahabharata and manusmriti can solve this problem of caste system. Then I don't think this country has any future. I have some historical truth to tell. Sir, you come from Karnataka State. You know there in the 12th century,

[Shri B. Shankarnand]

there was a man called Basaveswar, who was brahmin by birth. He established *veer saivism* i.e. *lingayata* religion. He established a new religion and wanted to make that religion universal. The *vachnas* are containing the universal truth. He started converting all the people, he wanted to do away with the caste system and you know that everyone joined the *lingayata* religion and today, you may be knowing—because people in the North may not be knowing—that *lingayats* and *Harijans* in Karnataka are, from birth to death, having the *sanskars* even today. But after conversion, the *lingayats* are having a predominant position in the social hierarchy. They claim to be of a higher caste and really they are treated as a higher caste. A person who converted himself into Christianity yesterday, today the Hindus look upon him as a man of equal status. I do not blame the religion. Do you think that they have all come from foreign countries? They are all converted Indians who mostly are from the backward classes. The converted people claim equal status in the society. But those like myself and my forefathers, who did not change their religion, still remained caste people, they still remain *chamars* in society and are at the bottom of the social hierarchy.

Dr. Ambedkar was fully convinced that not by economic equality the social status can be raised, not by any economic improvement, the social status can be raised. He said, when delivering the speech, while presenting the Constitution: "Today, we are politically equal, today, we have one man one vote, but socially and economically we are not equal." If we are to perpetuate this, this caste-system should continue and the atrocities will continue.

In spite of the best wishes of Chaudhuri Charan Singh or the Ruling Party Members or the Opposition Members, as long as this untouchability and caste system continue, nobody can stop the atrocities, caste system itself divides the society into a water-tight compartment, not on equal footing, but on gradation of superiority. But, as long as this caste system continues, atrocities will continue, whether we want or do not want it. Finally, since after three years, under Art. 334 the Constitutional provision regarding reservation in this House is going to cease, I would like to know the thinking of the Janata Government in this regard. Are they thinking of continuing this facility for another ten years or do they think that

the social condition of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes has come up to the general level and that they can stand on their own legs without any Constitutional protection?

Secondly, I would like to know about the people who have converted themselves to Buddhism. This is a very important question. I have scanned through the reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and also the annual report given by the Home Ministry for 1976-77 and I have found that this problem has not been touched by anybody. There are lakhs of people who have converted themselves to Buddhism with the hope of achieving salvation in course of time—in this generation or the next generation or many generations thereafter—and that, as the *Lingayites* have gained social status, Buddhists may also achieve social status in future. Is the Government going to encourage such conversion by helping the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people by all means so that these people can find their own salvation? I do not want you to thrust your solution on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. If a *Harijan* seeks an escape by embracing Buddhism, will the Government help him by giving him all sorts of concessions as are given to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people? This is the only way which will help solve this problem; otherwise, this will continue.

I would like to ask one more question. The Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has given many recommendations in his reports and I believe the Home Ministry has studied them all. I want to know how many of them the Government is going to accept and how many it is not going to accept.

So these are the two questions. Firstly, will the converted Buddhists be given the same concessions as are given to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes communities? The Scheduled Tribes, whether they are Christians or Muslims, have been given Constitutional protection. Art. 25 gives freedom to all to profess and practise any religion. I am a Scheduled Caste man and I can practice Buddhism. It is nowhere mentioned in the Constitution that I cannot. Now, Explanation II says that under sub-clause (b) to clause (2), any reference to Hindus shall be construed as including a reference to persons professing the Sikh religion or the Buddhist religion. There are Scheduled Castes in Sikh religion also. So when the Constitution is very clear that Hindus means Buddhists also, if a Scheduled Caste person professes to be a

Buddhist why should he be debarred from the Constitutional concessions ?

So, these are the three questions I am putting. One is, how many recommendations is the Government going to accept ? Secondly, are the concessions under Art. 334 going to cease or will they be extended for another ten years, i.e. up to 1980 ?

Secondly, we would like to know whether the Government is going to encourage those scheduled caste persons who are converted or who want to convert themselves to Buddhism in order to escape from this untouchability.

Lastly, there are 76 vacancies of Supreme Court and High Court Judges. We would like to know, how many persons belonging to scheduled castes and scheduled tribes would be appointed to these posts. We would also like to know how many persons belonging to these categories would be appointed as Governors.

SHRI B. C. KAMBLE (Bombay South-Central): Sir, I have been trying to get a chance to speak in the last session and this one, but I am not getting it. I have decided that hereafter I must assert myself and I should not keep quiet. If I do not get a chance, I will walk out.

MR. SPEAKER: I will try to give you a chance.

SHRI P. V. PERIASAMY (Krishnagiri): Mr. Speaker, Sir I am privileged to make nine maiden speech on the manifold problems of nearly one-fourth of our country's population. You cannot deny, Sir, that these 25 crores of scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes have been given the constitutional protection and statutory support for their upliftment. Yet you cannot also deny that they are going fast down the deepening depths of despair, while a few are floating in the rarefied air of luxury.

Article 46 of the constitution directs the duly established government to protect the scheduled castes and scheduled tribes from social injustice and all forms of exploitation. In this background, what has the Commissioner to say in its Annual Reports under discussion ? He has been for nearly two decades bemoaning and bewailing the lot of backward classes. He has been making some meaningful suggestions to improve their lot. I am sorry to state that even a stroke would have melted on hearing the sordid stories of these people. But the political parties and the elite leaders of the nation have, in fact, exploited their misery for their personal aggrandisement. For

three decades they have flourished on the frailties of these people. The bureaucrats have bewitched the ministers and have successfully evaded their statutory obligations. I will substantiate my strictures by stating a few figures:

There is 15% and 7-1/2% reservation in recruitment for scheduled castes and scheduled tribes respectively. What is the position in 1974 ? On 1st January, 1974, the following position obtained in the sphere of Central Government :

Scheduled Castes :

Class I posts	3.58%
Class II posts	4.83%
Class III posts	10.34%
Class IV posts	17.86%

Scheduled Tribes :

Class I posts	0.65%
Class II posts	0.50%
Class III posts	2.35%
Class IV posts	4.24%

Even after five general elections, the duly elected Central Governments could not give full reservation to scheduled castes and scheduled tribes in the Government service. What is the use of specifying a statutory reservation ?

You know, Sir, that the public sector was created in the country not only for augmenting national production but also for economic emancipation of the down-trodden. What has been the contribution of 105 public sector undertakings in coming to the rescue of scheduled castes and scheduled tribes so far as employment is concerned ?

I shall place before you the dismal picture in this matter :

Class I	Class II	Class III	Class IV
Scheduled Castes			
1.20%	2.98%	10.27%	25%
Scheduled Tribes			
0.27%	0.42%	0.66%	9%

We have a Parliamentary Committee to go into the question of welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. We have a parliamentary committee on Public Undertakings. In spite of these

[Shri P. V. Periasamy]

august bodies their lot has not improved. This only proves that the steel frame of the bureaucracy will not melt unless it is put in the fire of capital punishment for shirking the constitutional responsibility. I demand that the Janata Government which swears by the long-forgotten ideals of Mahatma Gandhi to whom Harijans were the kith and kin, should amend Article 46 of the Constitution prescribing capital punishment for failing to protect the Scheduled Castes and Scheduled Tribes from social injustices and all forms of exploitation.

The officials take shelter under the subterfuge of non-availability of qualified candidates, which compel them to de-reserve a great many reserved vacancies. Does it speak well for a representative government which could fill only 44% of the reserved Scheduled Caste vacancies and 26% of Scheduled Tribe reserved vacancies on the ground of non-availability of suitable candidates, when there are 6 lakhs of scheduled castes and 2 lakhs of scheduled tribes candidates registered with the employment exchanges in the country? Sir, it is no use our Home Minister saying that eradication of corruption should start from the top. Here he should set an example from the top by implementing the statutory obligations and whenever there is a failure, he should ensure that those responsible are removed, as the scheduled caste and scheduled tribe people are wallowing in filth and mire.

Sir, the Home Minister requires all his five decades of political acuity to lift these people from the hell of misery.

In the end, I demand that Arignar Anna's cherished goal of "One community—one God" (*Onre kulam, Oruvane Datvam*) must become a part of the Constitution of India.

SHRI B. C. KAMBLE (Bombay South-Central) : These are the reports with regard to the working of the constitutional safeguards for our categories of people—the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the Backward Classes and Anglo-Indians. My respectful submission is that so far as the working of these constitutional safeguards relating to the Backward Classes is concerned, there is not a mention of a word at all. This is a constitutional omission amounting to a contempt of the constitution.

Now it is correct that these reports pertain to the Congress regime and I ask the hon. friends who are sitting here on the Congress Benches. I am telling

them: what is the net result of these constitutional safeguards? The Commissioner admits that they are reduced to the position of serfs and sub-human conditions and the gap is widening more and more. These are the admissions. I will not go into the statistics. 1112 murders during the Congress regime have taken place during the three years to which these reports pertain.

When the Scheduled Castes were converted in 1956, the Congress Government there. So far the Buddhists were suppressed by the Congress Government. Not only the Buddhists were suppressed but their organization was attempted to be destroyed and I am here to challenge the Congress Party. Babasaheb Ambedkar's movement cannot be destroyed by anybody. I have contested not from a reserved seat but from a general seat and I have defeated Mr. Dange's daughter and a Congress labour leader. When my friend, Mr. Shankaranand tried to champion saying 'why have you remained a Mahar? Why have you remained an untouchable? Why do you want to take Babasaheb Ambedkar's name when you have deserted his organization in order to destroy it? I want to tell him that we are here to fight everyone of you, the selfish people. Therefore, I am here raising my voice..

MR. SPEAKER : Please don't refer to personalities.

SHRI B.C. KAMBLE : I am submitting.....

MR. SPEAKER : Kindly do not refer to personalities.

SHRI B.C. KAMBLE : I am submitting that since 1956 Buddhists have been suppressed by the Congress regime—by Shrimati Indira Gandhi—and they have attempted to destroy the organisation.

M. RAM GOPAL REDDY : What does he talk? We had a war in Buddhism with China.

SHRI B.C. KAMBLE : Congress has never worked either as a mother of these people or as a nurse. This has been Putnamasi.

Now it is the turn out of Janata Government. I am very happy that the hon. Home Minister is believing in the teachings of Buddha. I am very happy they are quoting Dr. Lohia. I am very happy that they are quoting also that they are in consonance with the principles

which are propounded by Dr. Ambedkar. When the whole House is supporting the cause let us see how the Constitutional safeguards will be implemented and if these Constitutional safeguards are not implemented, why are they not implemented.

I am making certain suggestions. The first thing is that the policy of Harijans and Girijans is not based on human considerations at all. It is related to God. Even Hari is despised. Therefore, Harijans are despised.

What is Girijans? They are people from Mohammad. We are the sons of this country. We are citizens. Why are we called Harijans and so on? My first respectful submission is leave out this policy.

Dr. Ambedkar has written a book on 'Untouchables'—who they were and how they became untouchables. Somebody will have to write a book on 'Tribals' who they were and how they became tribals. Somebody will have to write a book on 'Backward Classes'. My respectful submission is to change this policy.

Implement the Constitutional safeguards. So far as the political safeguards are concerned, so many people are elected on Reserved seats. The Reserved seats are captured by various political parties. Those elected on Reserved seats, how are they working for the Constitutional safeguards? There is not a word in this regard. Similarly there must be some information pertaining to the Ministers who are working for the backward classes. There is not a word about it. Therefore, I submit that untouchability and Hinduism both go together. They live together and die together. If untouchability exists, this religion exists. Both must live and die together. There is no escape from this. It is no use talking that we will do this and we will do that. Let us go step by step.

So far as the Buddhists are concerned. I am very happy that the hon. Prime Minister Shri Morarji Desai is known to him since 1952 when I was a Member of the Bombay Legislative Assembly. He had been good enough to declare that he has an open mind on the subject. He is prepared to discuss this subject. This is not a small concession. I declare here that in case the Prime Minister or the Janata government does not look to the grievances of the Buddhists etc. I shall be the first person to fight. As we have fought with the Congress so also we shall fight with the Janata

party as well. So far as Buddhists are concerned, I am not raising the subject here. We will discuss this with the hon. Prime Minister. If there is an opportunity then we will raise that problem. With these words I conclude. Thank you.

SHRI B. SHANKARANAND : The hon. Member who referred to my championing the cause of the SC and ST people spoke as if he is the only person in this country who is very well-versed with the problem of the SC and ST people and is authorised to champion their cause. That arrogance, I think, is not sustained by his performance in the House.

SHRI B. C. KAMBLE : I said that you deserted Dr. Ambedkar.

SHRI B. SHANKARANAND : If by desertion is meant my joining the congress party then he also is equally to blame. I am very sorry about his knowledge of politics because he also has been elected on the Janata ticket. That equally applies to him.

SHRI B. C. KAMBLE : I am not elected on Janata ticket. I am supported by Janata. I am elected on the Republican party ticket supported by Janata. We have voted for Janata in many constituencies. Janata has supported me only in one constituency. This is the position which I wanted to clarify.

SHRI N. SREEKANTAN NAIR : (Quilon) : Sir, my motion is different, from the motions advanced by other members in that they want employment to this section or that section in the scheduled caste list whereas I am talking of something else, and it is this. There are inequalities. There is corruption. There is nepotism in every sphere of officers, bureaucrats and even political leaders. Every section is trying to exclude the Harijans and the scheduled castes and Scheduled tribes, denying them their due share. There are certain methods adopted by public sector undertakings. They ask employment exchange to send persons with four or five year's experience. How can the graduates of the scheduled castes and scheduled tribes have that experience? They do not have that experience. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act was brought by the previous Congress Government. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Amendment) Act of 1976 codifies the various categories of people to be included as scheduled castes and tribes and give this matter some concrete shape.

[Shri N. Shreekanthan Nair]

Sir, in Kerala, we were three distinct entities. Travancore and Cochin were different States. Malabar was under the British. Each area had its own categories of scheduled castes and scheduled tribes which did not permeate into the other areas of the State. All these classes were codified in the Amendment Act. Now the notification of the Amendment Act does not give them the right to get a certificate to join school or college or get professional training. Joining service is also being denied to them because the notification regarding 'coming into force' under this Act has not been made.

If that were done, why have you not certified them as scheduled castes and scheduled tribes in our State? These people do not get employment because of that. For example this Amendment Order had been publicised but that has given the people in Cochin only a false hope that they will get scholarship or they will get admitted to the schools and in the bharatiya hostels. That is not the case at all. That is because that has not been notified. I want to bring this to the notice of the Minister that in the interest of our State as also in the interest of the State as well, as soon as the act comes into force that should be immediately notified. In Kerala this is a most important thing which eats into the very existence of the Government.

SHRI A. K. ROY (Dhanbad) : Mr. Speaker, Sir, I am surprised to learn that our poor God has committed all these mistakes and, as a result, we have got this caste system. I beg to differ with them. To think that the present caste system is only a religious or social phenomenon would be wrong. Some think, it is only an economic phenomenon; there too, I beg to differ with them. I think the present caste system is an offshoot of a peculiar socio-economic conditions that exist to-day and the problem has become more complicated being faced with political manoeuvring in the country since Independence.

I was told that it was poor Manu who created this mischief. Poor Mahabharata and Ramayana Scriptures were quoted to support this theory. In that connection I want to draw the attention of the House why they should quote Mahabharata or Ramayana? Let us go to the Vedas. Even in the last book of Rig Veda, it was contemplated that of a great Mighty Power form the head came the Brahmins, from the arm came the Kshatriyas, from the waist came the Vaishyas, and from the feet came Shudras. That shows that from the very beginning, there was the thinking to

connect the caste with the class. And since then, in India, castes are connected with the classes. Even to-day, if you go through the statistics, you will find that in grade I, there is no scheduled caste or tribe and in grade II there will be a slight increase; in grade III it will be slightly more than that but in class IV it will be still more. That means for the lowest jobs, at the feet of the society, the number is more.

Sometime back, the Anthropological Survey of India published a report which is very clear. It says that through we are talking of socialism and what not and when it has been written in our Constitution, we are being consoled and we are happy also to read it, but, in the society, in the villages, the same strata exists. The land belongs to the upper caste people and the lower caste goes to the lower rung of the ladder where they remain poor.

So, it is a socio-economic problem and so it must be done away with. Unless there is a radical land reform and the last thing of feudalism is smashed, nobody can remove the caste system in this country.

If to-day everybody becomes Buddhist, do you mean to say that it will be a solution to the problem? Even among Muslims, I have seen there is a caste system. Some sections of the Muslims think that they are one before God but in society they are not. Some sections of Muslims say that we must have some reservations. If some people become Christians, then also that will not be solved. Dr. Ram Mohan Roy tried this experiment more than hundred years ago but that experiment has failed. What is needed is social, political and economic revolution. This caste and the feudalism, that is feudalistic capitalism must be smashed. Then only it can be removed. Do you agree with that?

Sir, I read the two reports of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Commissioner—one report made 278 suggestions/recommendations and the other 245. It appears to me that they are not recommendations but they are 278 charge-sheets against the past Government and 245 charge-sheets against the Congress Government.

But I want to ask you this question. We should not be happy with that. It has been a chargesheet to the Congress government. I want to ask this great Janata Government: are you ready to undo what has been done? If you are ready, then it is all glory to you; if you are not ready, then I shall be forced to

conclude that you are also birds of the same feather and now you want to flock together. I should like to bring to your kind notice that I have given two substitute motions. One motion refers to this; we remain in the tribal area, in Chitrangpur; that is the tribal belt area, industrial complex. Our great minister Mr. Ramchandra is here; he deals with coal. Our Home Minister is here; he deals with Adivasi and Harijan problems. There is a central hospital run by the Central Labour department and it is meant for the colliery workers. There all would be admitted for treatment but the Harijan sweepers are still debarred from entry and treatment. Can you believe it? I have brought the circular with me.

SHRI DINEN BHATTACHARYA (Serampore): You place it on the Table of the House.

SHRI A. K. ROY: You will be further interested to know that the name of the hospital is Jagjivan Ram hospital. In a hospital named Jagjivan Ram hospital, Harijans are debarred. They are employees of the colliery, they have provident fund; they have the other things. Clerks, babus, panwans would be admitted; Officers would be admitted but Harijan sweepers will not be admitted. This position exists today. I went to Dhanbad to enquire; I went to the hospital. I talked to the Director of personnel; he was a Harijan himself. Mr. Mahapatra and I told him: you are a Harijan and still Harijan sweepers are not admitted in the hospital run by the central government meant for the workmen. He said: we were also helpless but it is an order of the Government; please go there and change the order.

AN HON. MEMBER: Please read the circular.

SHRI A. K. ROY: It reads: "Government of India, Ministry of Labour and Employment, Coalmines' Labour Welfare Organisation Rule—for the treatment at the hospital under the Coalmines' welfare organisation is current upto 13-10-1975, all colliery workers whose names are borne in the registers under the Mines Act who have not got pay of more than Rs. 730 per month except the following categories, viz., Sweepers including sanitary sweeper mazdoor." This is what is stated.

It was the product of Emergency; it was going on before that also. It was just revived; it was issued on 21-11-75. I want to move the substitute motion. I would request the hon. Home Minister we are fortunate to have our Energy Minister also

here—to announce on the floor of the House today that this restriction will go from today.

15.00 hrs.

MR. SPEAKER: There are several other speakers. You must conclude now.

SHRI A. K. ROY: You will find in our society that where there is caste battle, there is oppression, and where there is caste battle, there is also oppression. But where both are combined, there is terrible oppression. This is what happened in the case of agricultural labourers in Bihar. We see in Shahar, Chauri in Arah, Cheeri in Ranchi, Phunpun in Patna and also in other places. There is terrible oppression in collieries because most of the miners come from Scheduled Caste and Scheduled Tribes people. That is why there was oppression due to the caste and oppression due to caste—both combined together—to crush the poor fellow. I would like to ask the Mines Minister to pay some attention.

You know about the cases of atrocities, but you have forbidden all references to atrocities saying that it is *Sub judice*. But who are the victims of those atrocities in coal mines?

I shall give a specific instance. Some time back there was a firing, firing by the BCLL. There was a judicial commission on that Shijua firing. The commission found that the firing was wrong and unjustified and said that BCLL was guilty. Like this, in all cases, the victims are Harijans. Most of the miners are Harijans and they are the victims. I would like to tell you that the Mines Minister must compensate all the victims and also a Parliamentary Committee must go to the coalfield to investigate the matter.

Last but not the least is the suppression of Harijans and Adivasis in the collieries. The House will be shocked to know that in the coalfield after nationalisation, 50,000 Harijans and Adivasis have been removed from the registers of collieries. That process is going on. In the name of bringing mechanisation, they have removed not one or two thousand but fifty thousand. I can give you the data. I would like to know from this House whether we can make it that is why I demanded in my 3rd substitute motion that the percentage of Harijans and Adivasis as was in the colliery on the date of nationalisation must be kept fixed and this House must put a ban on the reduction of percentage of Harijans and Adivasis.

S'ri A. K. Ray]

There was a law and a convention that the kind of the advars is can be taken only by the advars, and not by non-advars in Bihar. Similarly, reservation should be made in the services also that if Harijans or advars are retrenched or retired, their substitutes must be Harijans and advars only atleast in the clericalies. Otherwise, in the course of a few years we will lose all the Harijan and advar women.

Through you, Sir, I humbly ask the cooperation of all the members, particularly my colleagues from Bihar, who have seen the tragic things in Rupaspur in Purnea district and who know the enquiry which was conducted at Gholi in mungyr. Let us all unite together. It is an occasion to see that the poorer and weaker section of the community get the justice which they absolutely deserve at least in this day.

श्री राम कुंभार बेरवा (टोक) अध्यक्ष महोदय, गेड्यूल्ड कान्ट्स और गेड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट पर जो बहम हो रही है, इस पर अनेक माननीय सदस्यों ने अनेक प्रकार के आकटे और सुझाव पेश किए हैं। पुरानी रिपोर्ट पर पिछली राक सभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बहुत से माननीय सदस्यों ने बहस की मांग की थी, परन्तु भूतपूर्व सरकार के कानों पर जू तक नहीं गेंगी। मैं माननीय गृह मंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने इन रिपोर्टों को सदन में पेश करके इन पर विचार करने का अवसर प्रदान किया। इस सदन में अनेकों माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। जिस समय हम लोग विधान सभा और लोक सभा की उम्मीदबारी के लिए खड़े होते हैं और वहां पर जाते हैं तो हम अनेकों आश्वासन देने पड़ते हैं। तत्कालीन सरकार भी अनेक प्रकार की सुविधायें देने की बात करती है, लेकिन मैं आप के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, जो नौकरियों में हैं, क्लास 1 और क्लास 2 में उनका अनेक प्रकार से शोषण होता है। यदि वे कोई एम्प्लीकेशन देते हैं तो उस पर कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं होता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि

जनता सरकार बनने के बाद मैंने अनेक मंत्रालयों को चिट्ठया लिखी हैं, लेकिन जवाब में कोई परिवर्तन नहीं आया है। जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लोगों को जो आशा बंधी थी वह आज ठप्प सी दिखाई दे रही है। आज इस सदन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की रिपोर्ट पर बहस हो रही है, जिस का मन्त्रन्ध सभी मंत्रालयों से है, लेकिन मुझे दुःख है कि अन्य मंत्रालयों के कोई मंत्री इस बहस को सुनने के लिए यहां उपस्थित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, गेड्यूल्ड कान्ट के लोगों में अधिकतर मजदूर-टाइप के लोग होते हैं। न उन के पास जमीन होती है और न घर होते हैं। मेरा मंत्री महोदय ने निवेदन है कि गेड्यूल्ड कान्ट के वे लोग जो दूसरे राज्यों में रहते हैं, उन को भी वे सुविधायें मिलनी चाहिए, जो उनके अपने राज्य में मिलती हैं। जैसे हमारे राजस्थान के 5 लाख मजदूर बेरवा जाति के, दूसरी जातियों के, दिल्ली में रहते हैं। उन को भी यहां की अनुसूचित जातियों में दर्ज करना चाहिए। इस में बहुत ज्यादा लोगों को राहत मिलेगी और गेड्यूल्ड कान्ट्स को मिलने वाली सुविधायें उन को भी मिल सकेंगी। इस समय वे इन सब सुविधाओं में वंचित हैं।

पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पिछली कांग्रेस सरकार ने हरिजनों के लिए कुएँ आदि बनाने के लिए कुछ कदम उठाए थे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि गांवों के अन्दर जहां भी हरिजनों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां पीने के पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए। राजस्थान में अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां गांव वाले उन को पानी नहीं लेने देते। उन को काफी दूर से पानी ला कर पीने के पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है।

हम यहाँ पर चाहें जितना भाषण दे दें, लेकिन जब तक सरकार इस मामले में कुछ करना नहीं चाहेगी, कुछ नहीं होगा, इस लिए इस तरफ शीघ्र ध्यान देने की जरूरत है।

रैबिन्ट स्तर पर हरिजनों के लिए तत्काल कुछ ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिस से धनाढ्य लोग गरीबों को दबा न सकें। एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूँ कि जिस हरिजन के पास कोई जमीन हो या जमीन का कोई पर्चा हो, वह लगान देता हो, उस को उस जमीन में कोई निकाल न सकें। आज ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग मिल कर हरिजनों को इतना परेशान कर रहे हैं ताकि वह जमीन को छोड़ कर भाग जाए और वे उस को जमीन पर कब्जा कर लें। इस प्रकार के बहुत से झगड़े आज चल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मुख्य मंत्रियों को सख्त निर्देश दें कि उन के साथ अन्याय न हो, उन को जमीन से बेदखल न किया जाए।

मैंने अपने गृह मंत्री जी को बहुत नजीदक से देखा है—वे जिनकी बात कहते हैं, उस से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। हरिजनों के लिए उन के मन में बहुत मद्भावना है और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि वे इन की स्थिति को सुधारने के लिए कोई काम उठा न रखेंगे। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, हमारी मीटिंग में जब भी चौधरी साहब के बारे में चर्चा चलती है तो मैं यही कहता हूँ कि मैंने उन को बहुत नजीदक से देखा है, वे हरिजनों के बहुत बड़े हिमायती हैं, अब सरकार के हर विभाग में हरिजनों के लिए कार्य होगा, अब उन का शोषण कभी नहीं हो सकेगा।

अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी छुआछूत की बात कह रहे थे—छुआछूत के बारे में 1972 में, पिछली लोक सभा में एक पालियामेन्ट्री कमेटी बनी थी, जिस की इस बात का अध्ययन करना था कि छुआछूत के कानूनों पर कितना प्रभाव हो रहा है, अब की कितना सब बनाना चाहिए।

मैं भी उस कमेटी का मembre था। हम ने जगह-जगह जाकर हरिजनों के साथ माटिंग की, उनकी जो सामाजिक समस्या थी, उन के साथ सलाह-मशविरा किया। आज कल हरिजनों के रिजर्वेशन को खत्म करने की बात चल रही है। मेरा कहना यह है कि अगर रिजर्वेशन खत्म कर देंगे तो गाय को यहाँ एक भी हरिजन मम्बर दिखाई नहीं देगा। आज भी यह भावना है कि अगर कोई हरिजन किसी जनरल सीट में खड़ा हो जाता है, तो उस को कोई भी अपना वोट नहीं देना चाहता। आज भी वह भावना बनी हुई है कि अगर किसी जनरल सीट पर से कोई हरिजन, चाहे वह कितना ही योग्य क्यों न हो, खड़ा हो जाए, तो कोई उसे वोट देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि अनमूलित जातियों और प्रमूलित जनजातियों के लिए जो रिजर्वेशन है, उस को प्रागे के लिए भी बढ़ाया जाए। मजे पूरी आशा है कि हमारा गृह मंत्री जी इस पर पूरा ध्यान देंगे।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आज एक जेन्टलमन वास्ट को एक राज्य में अगर जेन्टलमन वास्ट माना जाता है, तो दूसरे राज्य में उस को अनमूलित जाति नहीं माना जाता। मेरा निवेदन है कि इस चीज को रद्द करना चाहिए और सभी राज्यों में ऐसे केसेज में उसको अनमूलित जाति माना जाना चाहिए।

उत्तरा कह कर मैं समाप्त करना हूँ।

SHRI G. S. RHEDDI (Mysore): Mr. Speaker, Sir, I move a substitute motion No. 23. Since time is not being given to move this motion, I will try to speak on this matter. I have made out a special point. My substitute motion—

“... urges the Government to set up a commission to enquire into the condition of the converts to other religions from the scheduled castes or from, with a view to determining the desirability of extending the economic and educational benefits from the point of view of backwardness and other disabilities suffered by them.”

[Shri G. S. Reddi]

In this great country of ours, from time immemorial the sufferings undergone by the scheduled castes have been spoken about by all the Members of this House. There are certain converts to Christianity and Islam religions from among the scheduled castes who are not enjoying the economic benefits which are given to others from among the scheduled castes.

Some people think that the status of these converts to Islam and Christianity has been upgraded and that they need not have any of these benefits. But every Member of this Parliament who knows these people down there in the villages will bear evidence to the fact that these converts from Hindu religion to other religions suffer from the same disabilities and that they live in the same huts and are undergoing the same difficulties of untouchability and caste disadvantages derived from Hindu religion. Therefore, the concessions given to the Buddhists and Hindu people should be extended to the other converts from the scheduled castes origin.

In our great country, we believe in secularism. We give no benefits on the basis of religion. We give all our benefits and concessions on the basis of economic and other disabilities suffered by them. Therefore, whether the government is that of the Congress or of the Janta party, we should see that this equality is established and concessions are given to everybody equally. Therefore, I request the Home Minister to set up a commission. If he still has a doubt whether these people are suffering from the same disabilities, let him appoint a commission to go into the matter; after he and the government are convinced that these people are suffering, these people should be given equal treatment. There should not be any discrimination based on religion.

श्रीधर हरी राम मक्कासर (बीकानेर):

अध्यक्ष महोदय, मैं मिरा एक दो मिनट में अपनी बात कह कर बैठ जाऊंगा। राजस्थान में गंगानगर-बीकानेर है। वहां पर तीन बड़ी नहरें हैं गंग नहर, भाखड़ा और राजस्थान नहर। हिन्दुस्तान में इतनी बड़ी नहरें और कहीं नहीं होंगी। वहां पर लाखों हेक्टर सरकारी जमीन है, जो कि भूमिहीन गरीबों व हरिजनों को एलोट होनी चाहिए। वे लोग भूमिहीन हैं और पिछड़े हुए हैं। वहां पर उस जमीन का

नीलाम किया जा रहा है। इसके विरोध में वहां पर आन्दोलन हुआ। कांग्रेस सरकार वहां पर जो जमीन नीलाम करना चाहती थी उस के विरोध में बड़ा आन्दोलन हुआ था। उसने वादा किया था कि इस जमीन को हरजनों या भूमिहीनों को दिया जाएगा? लेकिन ऐसा न करके उसने इसकी नीलामी शुरू कर दी। मैकडों एकड़ जमीन नीलाम की गई। हरिजनों और पिछड़ी जाति के लोगों ने तब की सरकार में कहा कि आपने वादा किया था कि आप इस जमीन को भूमिहीनों और पिछड़ी जातियों को देंगे लेकिन उन को न देकर तब की सरकार ने इसको नीलाम करना शुरू कर दिया। जब वहां पर इन जातियों के लोगों ने आन्दोलन किया तो तब की सरकार ने उन पर बेतहाशा गोलियां चलाई। इस के बारे में पहले से, अन्य मंत्रियों व मुख्य मंत्री और दूसरे कांग्रेसियों ने पहले से मशिवरा कर लिया था। इस का नतीजा यह हुआ कि मंगरिया में तेरह लोगों की जानें गई और अन्य को जिन्दा जला दिया गया ताकि कोई सबूत ही बाकी न रह जाए। इसके अलावा बहुत से लोग फट्टर हुए थे। मादरा में दो लोग गोली बारी से मरे और दम पांच फट्टर हुए। चूरू में एक मरा और काफी लोग फट्टर हुए। मैं चाहता हूं जो मरे या फट्टर हुए उन को समुचित मुआवजा दिया जाए और वहां के जो हरिजन हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, उन को जमीन दी जाए, भूमिहीनों को जमीन दी जाए।

श्री फिरंगी प्रसाद (वांसागांव):

अध्यक्ष महोदय सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह एक गलत धारणा बन गई है कि माननीय श्री० चरण सिंह हरिजन विरोधी हैं। इस बिषय में मैं साफ कहना चाहता

हूँ कि मुझे भी उनके साथ उत्तर प्रदेश की विधान सभा से दो टर्म रहने का अवसर मिला है और मैंने उनके कार्यों को वहाँ उत्तर प्रदेश में देखा है। उनके कार्यों को छिपाया नहीं जा सकता है, बहुत से कल्याणकारी कार्य उन्होंने वहाँ किए हैं। माननीय राज नागयण जी ने उस पर प्रकाश डाला भी है। वहाँ पर जैसा सब का विदित है हरिजन आदि को उन्होंने ही सिरकारी राइट दिए। यह बहुत बड़ा कल्याणकारी काम उन्होंने वहाँ किया। साथ ही उत्तर प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमिशन व मदर्यों में कांग्रेस की तरफ से उनके पूर्व कभी भी हरिजनों का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। चौधरी चरण सिंह के जमाने में हरिजनों को उन्होंने अपनी ओर से स्थान दिया और एक नई परम्परा का उन्होंने श्रीगणेश किया। माय ही उत्तर प्रदेश की मड़ी समितियों में उनके पहले कांग्रेसी शासन में कभी भी हरिजनों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। उन्होंने ही अपने समय में उनका प्रतिनिधित्व देकर एक कल्याणकारी काम किया। आज उनके बाल सफेद इस कारण हुए हैं कि उनका अपना निजी अनुभव है। लेकिन कांग्रेसी लोगों के मन में कालिमा है आत्मा में भी कालिमा है उनके बाल ऊपर से सफेद हो गए हैं लेकिन उनके मन और आत्मा की कालिमा धुल नहीं सकती है मिट नहीं सकती है। लेकिन चौधरी चरण सिंह का मन और आत्मा भीसे की तरह साफ है। कांग्रेसियों के मन और आत्मा की कालिमा को अगर आप धोना चाहें तो आसानी से आप धो भी नहीं सकते हैं।

कांग्रेसी राज्य में तीन कारणों से ये भ्रष्टाचार और जुल्म हरिजनों पर हुए और वे कारण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हैं। राजनीतिक कारण की

ओर ध्यान दें। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता था तो उसको ले कर कांग्रेस का विघटन हुआ। उस समय मैं उत्तर प्रदेश की विधान सभा में मुख्तियार साठ से विधायक चुना गया था। और भी बहुत से मदर्यों चुने गए थे। मुझे तथा और मदर्यों का यशपाल कपूर हजरतगज में कपूर हाटल में गए और वहाँ पर उन्होंने रूप में ऐसे और शराब के बन पर हम सब को ताड़ने की भरमा वांछित की। हरिजन विधायकों का पूर्ण रूप में उस प्रकार ताड़ने का प्रयास किया गया लेकिन वे इस में सफल नहीं हुए। इस सब का पूरा विवरण वहाँ की विधान सभा की बारंबारी में आपका देखने का मिल जा जाएगा। वह किसी में छिपी हुई नहीं है और वह पूर्ण रूप में सत्य है। शासन करने वाली पार्टी राजनीतिज्ञ स्तर पर इस तरह में भ्रष्टाचार करेगी तो उसका देश के अन्य लोगों पर कैसा बुरा असर डालेगी इसका अनुमान आप आसानी से लगा सकते हैं।

रिपोर्ट में मैं एक आकड़ा मैं आपको सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यह कांग्रेस के जमाने का है। राज्य की मवाओ में काम करने वाले हरिजन लोगों के साथ किस प्रकार के भ्रष्टाचार और जुल्म किए गए यह उसका एक नमूना है। इन भ्रष्टाचारों और उन्मीडन की जो तालिका है वह मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1972-73 और 1973-74 में राज्य की मवाओ में लगे हुए हरिजन लोगों पर किए गए भ्रष्टाचारों की संख्या का आप देखें। इनकी संख्या है 2078। साथ ही साथ छुआछूत संबंधी उन्मीडन 629, भूमि और कृषि संबंधी हैं 138, शिक्षा में 244, आवास

[श्री किरंगा प्रसाद]

से संबंधित 219, वित्तीय सहायता में 34 और विविध में 114। इस तरह से कुल मिनाकर 3,456। 1973-74 में क्रम से सेवा संबंधी, छुआछूत उन्पीडन, भूमि और कृषि, शिक्षा, आवास, वित्तीय सहायता और विविध में संख्या, इस प्रकार है: 3228, 716, 210, 212, 64, 88, 104। कुल मिनाकर 4622 होता है।

इसी तरह से जो अन्य राज्यों में उन्पीडन की घटनाएँ घटी हैं उनको भी बताना चाहना था, लेकिन समय कम है। मान्यवर, 13 राज्यों की सूची है उसमें हरिजन और अन्य जातियों के जो आंकड़े हैं उनमें हम प्रकाश है कि कितने परीक्षा में शामिल हुए, कितनों ने परीक्षा दी और कितने अंतिम रूप में निकले। आन्ध्र प्रदेश में परीक्षण पाने वालों में शेड्यूल्ड कास्ट के 24 और शेड्यूल्ड ट्राइब के 11। परीक्षा देने वालों में शेड्यूल्ड कास्ट के 20 और शेड्यूल्ड ट्राइब के 10, और अंतिम नियुक्ति के लिए शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब में 16 और 8 क्रमशः। इसी तरह से कई राज्यों के आंकड़े हैं बहुतों में कहा गया है कि उनकी संख्या ही उपलब्ध नहीं हुई। ता मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस देश में आज तक कांग्रेस शासन के उन्पीडन की कहानी जो हुई है वह बहुत ही दर्दनाक है।

उत्तर प्रदेश की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्री मंगलदेव विशारद जो इस सदन के सदस्य हैं, उन्होंने भूमि व्यवस्था जांच समिति की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के भूमि चोरों की सच्ची कहानी रख दी थी, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं हुआ। उस समय के एक कांग्रेसी मिनिस्टर ने एक हरिजन बोली

की लड़की को मार डाला था, वह गोरखपुर के विधायक थे और उस समय वे शासन में थे। उसकी किसी को महक तक नहीं थी। एक महीने के बाद मैंने अपने स्त्रोत से इस बात का पता लगा कर तत्कालीन एस० एस० पी० को कहा और वह बात सही निकली, और जब मैंने उस बात को सामने रखा तो मुझे भी जान से मारने की धमकी दी गई। ऐसी ऐसी बातें हुईं। कांग्रेस के पेट में छुने हुए जो भ्रष्टाचार होते हैं उनको जब हम लोगों ने कहा तो हमको एस० आई० एस० ए० में बन्द कर दिया गया। इस लिए राजनीतिक स्तर पर भी कांग्रेस वालों ने काफी भ्रष्टाचार किया। ममाज में जा हो रहा है उगकों केवल रुडियों, परम्पराओं की आड़ में नहीं छुपाया जा सकता है। जो पहले की गलत परम्परा, चली आ रही हैं उनको तोड़ना होगा, और जब तक इस देश में वर्ग विहीन और जाति विहीन समाज नहीं बनेगा तब तक यह बात साफ नहीं हो सकती है।

सरकारी आधार पर धीरे धीरे प्रयास हो रहे हैं, इसकी सराहना हम इस नाते आगे करेंगे। माननीय चरण सिंह ने इस समाज को काफी निकट से देखा है, समझा है उनके दिल में तड़पन है। वे उनके लिए कुछ करेंगे ऐसी मेरी आशा और विश्वास है। साथ ही साथ मैं एक बात और बता दूँ कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के एक विधायक श्री श्यामधर मिश्र हैं, शायद वह केन्द्र में किसी समय डिप्टी मिनिस्टर भी रह चुके हैं। वह बनारस के भदोही निर्वाचन क्षेत्र से इस समय विधायक चुने गए हैं 22 जलाई को जब उत्तर प्रदेश विधान सभा का सत्रावसान हुआ उस समय एक नया प्रसाद नामक बोली जो उनके तथा अन्य विधायकों

के कपड़े धाता है और विधायक निवास में रहता था बरसात की बजह से समय पर कपड़े नहीं सूखे। उसको उन्होंने बुलवाया और दूरी तरह से पीटा और अपने लड़के से पिटाया। उसके बाद वह पुलिस स्टेशन लखनऊ के सुपुर्द किया गया और वहां जाकर उसने अपना दम तोड़ दिया। मैं अपनी पार्टी के मिनिस्टर महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कि जब कांग्रेस के लोग ऐसे अपनी सफेदपोशी दिखाकर अन्धेरों में ऐसे पाप की कहानी करेंगे तो यह क्या बात हुई? कांग्रेस वालों ने आश्वासन दिया था कि हम जनता पार्टी के साथ अच्छे कार्यक्रम में सहयोग करेंगे तो वह कहाँ हम लोगों के साथ सहयोग करते हैं। यह तो उनकी कबनी और करनी का उदाहरण है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात इतना कहकर यहीं समाप्त कर देता हूं।

कई सालगीब सबस्य : अध्यक्ष महोदय, एक घंटे का समय बड़ा दिया जाए। (अव्यवधान)

MR. SPEAKER: Please sit down. Otherwise, you would not get the Minister's reply.

SHRI AMAR ROY PRADHAN (Cooch Behar): I am on a point of order.

MR. SPEAKER: Please sit down. When I am on my legs, you cannot have your point of order. Even if you extend the House upto 8 O'clock, it will not be possible, because there are a large number of Members who want to speak. It is not possible at all. Please sit down. I am on my legs. The question is that it is not possible to do it. We have calculated that we have given to each party fairly reasonable time in regard to their entitlement. It is true that from 14 hours, it has come to 13 hours. All that we can do is to extend the House by another hour. If it is the pleasure of

the House to extend it by another hour, I have no objection. Please hear the Minister. (Interruptions)

SHRI AMAR ROY PRADHAN: I am on a point of order. I like to know it very clearly whether the House will be guided by its rules of procedure or not? I have a substitute motion.

SHRI CHARAN SINGH: It has become a crowd instead of a legitimate.

MR. SPEAKER: What is your point of order?

SHRI AMAR ROY PRADHAN: I have my substitute motion no. 20. It is the practice of the House that if a Member gives a substitute motion, you will have to give a chance to speak in the House. If it has not been done, then what is the justification of placing his substitute motion in the House?

MR. SPEAKER: If you press it, then it will be put to the vote of the House.

SHRI VASANT SATHE: Without speaking?

SHRI CHARAN SINGH: I think they will ultimately agree that hard words do not break any bones nor do they solve any problem. My point is that no problem can be solved in this way. As I was saying, you rightly observed that extension of House by one hour will not satisfy all the Members and perhaps the time will not be available even on the 8th. I had suggested to the gentleman (Mr. Chutiman) who was presiding here before you (Mr. Speaker) that to cope up with this, if necessary, the discussion might be postponed to the next session. One full day may be given for the discussion, but only one day and not more than that.

MR. SPEAKER: Now that the Home Minister has agreed to have a full day for the discussion in the next session, there is no point in sitting further today. We will take this up in the next session in its due time. The House now stands adjourned.

12.35 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, August 8, 1977 Sraavana 17, 1899, (Saka).